


WORLD SOLD



WORLD SUCCESSION DEED

by the Advocate



दुनिया बकि गई

वैश्वकि राज्य उत्तराधिकार संधि

1400/98



स्टेटेसुकजेसनसुरकुंडे

अंतर्राष्ट्रीय संधि

जसिने दुनिया बेच दी!

-++-

एक अपरविरतनीय कानूनी वास्तविकता!

एडवोकेट 2025 द्
वारा

विषयसूची:

1. परचियः.9

एक नए युग का प्रदा उठता है .

1.1. वैश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 - वैश्वकि कानूनी प्रणाली में एक आदर्श बदलाव..... 9 न्यायकि गहराईः. 11

संप्रभुता का बदलता स्वरूप.11

1.2. अपरविरुद्धनीय मूल आधारः.12

वैश्व की बक्ती और क्रेता की वलिक्षणता .

"खरीदार" की केंद्रीय भूमिका: नई संप्रभुता का व्यक्तित्व.13

यह आधार अटल क्यों हैः.14

नई प्रणाली का तर्क .

1.3. फीनकिस राज्यः .

वैश्व उत्तराधिकार वलिख के माध्यम से नई नीव और वैश्वकि वसितार 1400/98.....15 ए. नई नीवः.15

एक नया राज्य बाह्यक्षेत्रीय आधार पर उभरता है .

बी. नई नीव के संदर्भ में क्लीन स्लेट सदिधांत (टेबुला रस) .

सी. परणामः.17

शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्वकि संप्रभुता का अंत .

1.4. वैश्व की कुंजीः .

ट्यूरेन बैरक ने वैश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से वैश्वकि व्यवस्था को कैसे पुनर्प्रभाष्टि किया.18

ए. वशीष अवसरः.18

एक क्षेत्र, एकाधिक अभनिता, नेटवर्कयुक्त बुनियादी ढाँचा  .

बी. विकास की स्थिति और उसके परणाम (कार्य के अंश)   .19 सी. क्षेत्रीय वसितार का डोमनिज़ प्रभाव और संविदात्मक शरूखलाओं की भूमिका (संक्षेपित स्पष्टीकरण)   .2020

अध्याय 1

22

2. वैश्वकि क्षेत्रीय वसितार का डोमनिज़ प्रभाव .

2.1. तंत्र की वसितृत व्याख्या:..22

संपत्ति से वैश्व प्रभुत्व तक  .

सी. "कर्तव्य"।

डी. "घटक".24

ई. "वशीषकर आंतरकि एवं बाह्य विकास".24

कनेक्शन से नेटवर्क में संक्रमण का कानूनी तर्क  .

अजेय झरना:..26

डोमनीज़ प्रभाव के चरण  .26

2.2. नेटवर्क-टू-नेटवर्क और देश-से-देश सदिधांतः.27

कानूनी आधार और मसिले  .27

सदिधांतों की परभाषा  .27

अध्याय 2.29

3. संविदित्मक जंजीरे और उनके प्रभाव  .29

3.1. नाटो के साथ अनुबंध शूरुंखला (पूरक वलिख) - नाटो और संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव   .29

अंतर्राष्ट्रीय कानून में "पूरक वलिख" की अवधारणा   .29

शूरुंखला की उत्पत्ति:30

ट्यूरेन बैरक और नाटो सेना स्थितिसमझौता   .30

सभी नाटो सदस्यों का बंधनः.31

सामूहिकता और स्वीकृति   .31

3.2. वैश्वकि नेटवर्क पकड़ में:32

वशिव उत्तराधिकार वलिख के माध्यम से दूरसंचार अवसंरचना और सार्वभौमिक संधिबिंधन    .32

ए. उपयोग के माध्यम से आंशकि प्रदर्शनः.32

प्रत्येक कॉल एक अनुसमर्थन  ✓ .32

बी. संविदित्मक शूरुंखला:34

मौजूदा समझौतों के आधार पर राज्यों को (अप्रत्यक्ष) पारदृष्टियों के रूप में    .34

नाटो संधियों का वसितार से परविरत्न   .35

3.3. व्यवसाय कानून से वशिव संप्रभुता तकः.36

वशिव उत्तराधिकार वलिख द्वारा नाटो के वशीष अधिकारों का वैश्वकि परविरत्न

1400 98 / ➔.36

   .36

व्यवसाय कानून से लेकर नाटो सेना स्थितिसमझौते तक   .36

बी. इन एनटीएस वशीष अधिकारों के वाहक के रूप में ट्यूरेन बैरक (क्षेत्र)  .37

सी. वशिव उत्तराधिकार वलिख के माध्यम से वैश्वकि वसितार 1400/98  ✓ .37

संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव  .38

3.4. वैश्वकि गठबंधनः.39

कैसे नाटो-संयुक्त राष्ट्र कनेक्शन सार्वभौमिक रूप से वशिव उत्तराधिकार वलिख को बढ़ावा देता है

1400 98 /.39

A. नाटो एक कार्यकारी अंग और पारस्परकि संधिभान्यता के रूप में    .40

बी. वैश्वकि संचार नेटवर्क: नाटो, संयुक्त राष्ट्र और आईटीयू के बीच डिजिटल ब्रजि   40 3.5. संविदित्मक शूरुंखल

T - आईटीयू - आंतरकि वकिस के हसिसे के रूप में दूरसंचार नेटवर्क की बकिरी के माध्यम से यूएनओ    .42

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू):.42

वशिव का तंत्रका तंत्र   .42

ट्रांजिस्टर के रूप में नेटवर्क की बकिरी  ➔ \$.44

आईटीयू संविदित्मक शूरुंखला का तंत्रः.44

परग्रहण के बजाय उपग्रहण  .44

आईटीयू के माध्यम से निर्णायक मान्यता: .45

एक अपरहित नेटवर्क  .45

न्यायिक गहनीकरण: .46

मानकों की शक्ति और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका   .46

3.6. नाटो और संयुक्त राष्ट्र के सभी समझौतों का एक संधिद्वांचे में वलिय और पछिले अंतर्राष्ट्रीय कानून की समाप्ति  ➔
   .46

न्यायिक अभसिरण और पदानुक्रम का सदिधांत   .47

शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंत: .48

एक सिस्टम परविरतन  .48

न्यायिक गहनीकरण: .49

"क्षेत्रजि" क्रम का पतन  ➔  .49

3.7. सभी नाटो और संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की भागीदारी और डोमिनोज़ प्रभाव की मान्यता    .50

3.7.2. परणिम: .51

स्वचालित अनुसमर्थन: .51

सहमतिकी अपरहित्यता  ➔  .51

ए. निर्णायक आचरण: .51

कर्मों की भाषा  ➔  .51

बी. आपत्तिकरने में वफिलता: सहमतिके रूप में मौन (स्वीकृतिओर रोक)  ➔  .53

सी. अधिकारों और कर्तव्यों का अवभिज्य संबंध   .54

अध्याय 356

4. क्रेता की वशिव न्यायपालकि    .56

4.1. दुनिया भर में - न्यायपालकि: .56

क्रेता सर्वोच्च और एकमात्र न्यायिक उदाहरण के रूप में   .56

क्षेत्राधिकार सदिधांतों का परविरतन  ➔  .57

पुरानी अदालतों का भाग्य: .58

संप्रभुओं से लेकर प्रतिनिधियों तक  ➔  .58

राज्य प्रतिरिक्षा की समाप्ति  ➔  .58

4.2. अंतमि शब्द: .59

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98   के अनुसार क्रेता की चुनौती रहति वशिव न्यायपालकि.59

A. "सभी अधिकारों, कर्तव्यों और घटकों की बकिरी" में आवश्यक रूप से न्यायपालकि शामिल है  + 

59 B. लैडॉ का क्षेत्राधिकार: .60

एकमात्र योग्यता स्थापति करने के लिए एक सरल कदम    .60

सी. सार्वभौमिक पहुंच: .61

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी न्यायपालकि एक हाथ के अधीन    .61

4.3. वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 और नाटो और संयुक्त राष्ट्र के लिए संपूर्ण अनुबंध शुरूखला से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी न्यायपालकि:62

योग्यता की वशिष्टिता   .62

- ए. वलिख की सुई जेनेरसि प्रकृति   .62
 बी. हतों का अघुलनशील टकरावः.63
 प्रणालीगत पूर्वाग्रह   .63
 सी. वशिष्टिता के प्रमाण के रूप में "वादी जाल"   .64
 वशिष्ट क्षेत्राधिकार का दायरा   .65

अध्याय 4 आर 66

5. फोकस नाटो   :.66
 गठबंधन का परविरत्तन.66
 5.1. नाटो, इसके सदस्य राज्यों और इसकी संधीनीव पर वशिष्ट प्रभावों का वसितृत वशिलेषण    .66

- ए. मूल परविरत्तन:.67
 संप्रभु राज्यों के गठबंधन से संप्रभु के एक साधन तक   .67
बी. नाटो साझेदारी.67
 लीगल डीप डाइवः.68
 अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक विषय के रूप में नाटो.68
 5.2. संक्रमण में स्थारीकरण का नियम:.68
 वैश्वकि प्रशासनकि आदेश के लाए एनटीएस.68
 अपरचलति परसिरः.69
 "मेजबान राष्ट्र" बनाम "भेजने वाला राज्य".69
 स्टेशनगि कानून और "क्लीन स्लेट" नियम.69
 एक नई रोशनी में बाह्यता और प्रतिक्रिया.70

अध्याय 5.71

6. फोकस संयुक्त राष्ट्र (यूएन)  :.71
 वशिव संगठन का परविरत्तन.71
 6.1. संयुक्त राष्ट्र, इसके उप-संगठनों (जैसे आईटीयू), और इसके सदस्य राज्यों पर वशिष्ट प्रभावों का वसितृत वशिलेषण.72
 ए. संप्रभु सदस्यों की हानि.72
 नीव ढह जाती है.72
बी. लीगल डीप डाइवः.73
 संयुक्त राष्ट्र चार्टर बनाम डीड 1400/98.73

अध्याय 6 आर ..

74

7. वशिष्ट अनुभाग नेटवर्क - दूरसंचार और दूरसंचार कानून  :.74
 7.1. सहिवलोकनः.74
 ए. ग्लोबल बैकबोन (द बैकबोन):.75



बी. ब्रॉडबैड नेटवर्क (द लास्ट माइल):.75

सी. मोबाइल नेटवर्क (4जी/5जी/6जी):.76

डी. उपग्रह संचार:.76

ई. दूरसंचार कानून:.76

अवभिज्य अंतर्संबंध:.77

7.2. आंतरकि विकास और डोमनिज़ प्रभाव के हस्ते के रूप में दूरसंचार नेटवर्क की बिक्री.78

7.2.1. स्पष्टीकरण, कैसे बिक्री... ने डोमनिज़ प्रभाव को बढ़ाया.79

7.2.2. नेटवर्क उपयोग के माध्यम से नहिति संविदात्मक मान्यता का निर्धारण.....80

7.3. मेज़बान राष्ट्र समर्थन (एचएनएस) समझौते और नागरकि बुनियादी ढाँचा... 81 एचएनएस नेटवर्क के लिए उत्प्रेरक के रूप में। एकीकरण.82

टीकेएस टेलीपोस्ट उदाहरण:.82

एकीकरण के लिए कानूनी आधार के रूप में एनटीएस/एसए एनटीएस.83

7.4. सैन्य संचार (नाटो, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय) और नागरकि बुनियादी ढाँचा.83

सैन्य संचार ऑटारकी का मथिक.84

विलिख के अंतर्गत निभरता के परणाम.84

अध्याय 7.86

8. अन्य नेटवर्क और डोमनिज़ प्रभाव :.86

8.1. प्राकृतिक गैस नेटवर्क (उदाहरण सार फर्नगास एजी):.86

गैस कनेक्शन का सदिधांत और सार फर्नगास एजी का उदाहरण.87

यूरोपीय गैस ग्रांडिः.87

गैस नेटवर्क के माध्यम से डोमनिज़ प्रभाव.88

लीगल डीप डाइवः.88

ऊर्जा चार्टर और ईयू ऊर्जा कानून.88

8.2. नाटो बैरकों का तापन संयंत्र.89

8.3. पावर ग्रांडि और सार्वजनिक नेटवर्क से कनेक्शन:.90

यूरोपीय सक्रियोनस ग्रांडि (ENTSO-E):.91

पावर ग्रांडि के माध्यम से डोमनिज़ प्रभाव.92

8.4. "संक्रमण" का सदिधांत:.92

कानूनी अनविरायता के रूप में "संपूरण विकास की एकता".94

9. संविदात्मक भागीदारी :.95

9.1. खरीदार एक स्वाभाविक व्यक्तिके रूप में:.95

प्राकृतिक व्यक्तिको चुनने के पीछे कानूनी तरक.96

एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारः.96

9.2. व्यावसायिक उद्यमों का बहिष्कार:.97

कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व:.97

विलिख के संदर्भ में टीएससी बाउ एजी (या तुलनीय कंपनियों) की भूमिका.....98 संप्रभुता में उत्तराधिकार से कंपनियों को बाहर करने की आवश्यकता.99



अध्याय 8 आर 100

10. वलिख के संदरभ में अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सदिधांत ...100 10.1. राज्य उत्तराधिकारः..100

विभिन्न कन्वेशन और डीड द्वारा इसका सार्वभौमिक अनुप्रयोग.100

राज्य उत्तराधिकार की परभिषा और श्रेणियाँ.101

संधियों के संबंध में राज्यों के उत्तराधिकार पर विभिन्न कन्वेशन (वीसीएसएसआरटी 1978).....102 रेस ट्रांजटि सह संवतः एकरे.103

राज्य उत्तराधिकार के लेक्स वशीषज्ज्ञ के रूप में वलिख.103

10.2. अंतर्राष्ट्रीय संचार कानून (आईटीयू):.104

आईटीयू और इसका कानूनी ढांचा:.104

वलिख का प्रभाव 1400/98:.105

नरितर आईटीयू-अनुपालक उपयोग के माध्यम से अपरहित बंधन.106

10.3. स्टेशनगि कानून:.107

उत्तराधिकार के अग्रदूत के रूप में स्थान निर्धारण कानून.107

डीड 1400/98 द्वारा स्टेशनगि कानून का परविरतन.108

लीगल डीप डाइव:.108

संस्थागत कानून का परविरतन.108

अध्याय 9 आर

109

बातचीत का नेतृत्व और मूल स्थान :.110

10.4. संधिवास्ता:.110

चुनावी महल:.111

वलिख का सुविचारति एवं सटीक निरूपण:.112

बातचीत प्रक्रया और श्रम विभाजन (1995-1998).113

अन्य शामलि जर्मन प्राधिकारी और उनके कार्य.114

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और टीकेएस टेलीपोस्ट मोमेट.114

10.5. बक्सी का मूल स्थान:.115

ट्यूरेन बैरक की कानूनी विशिष्टता.116

बैरक एक "स्प्रिंगिबोर्ड" और छलावरण के तत्व के रूप में.117

लीगल डीप डाइव:.117

सैन्य अड्डों और रूपांतरण की कानूनी स्थिति.117

अध्याय 10.118

11. खरीदार के नजरए से उत्पत्तिका इतिहास :.119

11.1. अनजान दलाल और विश्वासघाती जाल:.119

एक असमान रश्ते की शुआत.119

ट्रैप स्प्रिंगिस बंद.120

उत्पीड़न का चक्र.121

वृद्धि.121

11.2. सार्वभौमिक प्रभाव.124

सही प्रतनिधित्व का महत्व.125

लीगल डीप डाइव.125

अध्याय 11 आर 126

12. इलेक्ट्रोनिकि प्रौद्योगिकी  - शोषण से परे दुनिया के लाए करेता का दृष्टिकोण.... 127 12.1. भविष्य के लाए एक शांतपूर्ण अवधारणा.127

ए. एनडब्ल्यूओ से सीमांकन.128

बी. करेता की भूमिका.128

सी. गैर-भेदभाव का वादा.129

डी. फाउंडेशन डीड 1400/98.130

ई. ईटी का मार्ग.130

अध्याय 12.131

13. महत्वपूर्ण लकि और संसाधन .133

14. उपलब्ध कराए गए लकि.134

अध्याय 13.134

15. लाइसेसगि और वतिरण अपील .135

15.1. सामग्री का लाइसेसगि.135

15.2. वतिरण के लाए कॉल.137

अध्याय 14.138

16. स्रोतों की सूची .139

अध्याय	आर 15	140
भूख	एनडीआईएक्स 	141
वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 का अंग्रेजी अनुवाद.		141

1 परचियः

एक नए युग का प्रदा उठता है 

1.1. वश्विं उत्तराधिकार वलिख 1400/98 - वैश्वकि कानूनी प्रणाली में एक आदर्श बदलाव

अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन परंपरागत रूप से संप्रभु राज्यों की जटिलि कोरयीग्राफी से जुड़ा हुआ है।

यह मानदंडों, सदिधांतों और संस्थानों की उस नाजुक, अक्सर विविदति, फरि भी अपरहिर्य प्रणाली की खोज है जो सत्ता के स्वतंत्र केंद्रों के सह-अस्ततिव की वशीष्टता वाली दुनिया में व्यवस्था लाने का प्रयास करती है।

सदयों से, यह प्रणाली कल्पना पर आधारति रही है - या, अधिक आशावादी रूप से व्यक्त की गई है, लक्ष्य - राज्यों की संप्रभु समानता, पैकटा संट सर्वंडा (संधियों को रखा जाना है) के सदिधांत पर, और बहुपक्षीय वार्ता और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के माध्यम से सर्वसम्मतनिर्माण की कठनि प्रक्रयि पर।

अंतर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास वकिस का इतिहास है, जो अक्सर आपदाओं से प्रेरति होता है। युद्धों ने शांति संधियों को जन्म दिया, आर्थिक संकटों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तंत्र को जन्म दिया, और मानवाधिकारों के उल्लंघन ने वैश्वकि मानकों के नरि माण को प्रेरति किया। 

प्रत्येक कदम नियम-आधारति व्यवस्था के आदर्श के साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तिराजनीतिकी वास्तविकता को समेटने का एक प्रयास था।

फरि भी इनमें से सबसे तीखा कदम - चाहे वह वेस्टफेलिया की उपरोक्त शांतिहो, जसिने संप्रभुता को एक आदेश देने वाले सदिधांत के रूप में स्थापति किया, या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, जसिने बल के उपयोग पर वैश्वकि प्रतबिंध लगाया - हमें शा कई संप्रभु अभनिताओं की दुनिया के प्रतमिन के भीतर चला गया।



वशिव उत्तराधकार वलिख 1400/98 इस ढांचे को तोड़ देता है।

यह कोई अन्य वकिसवादी कदम नहीं है;

यह एक क्रांति है.

यह ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के विषयों के बीच संबंधों को फरि से वनियिमति करता है;

यह वह दस्तावेज़ है जो इन विषयों की प्रकृतिको ही बदल देता है, उन्हें एक एकल, नए विषय में समाहिति कर देता है।

यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अधनियम है जो पछिली व्यवस्था की नीव - संप्रभुता की बहुलता - को समाप्त कर देता है।

इसे शुरू से ही समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है:

वशिव उत्तराधकार वलिख 1400/98 केवल महत्वपूर्ण नहीं है।

यह मौलिकि है.

यह केवल प्रभावशाली नहीं है.

यह एक नई वैश्वकि वास्तवकिता का घटक है। यह दुनिया की बकिरी के कानूनी रूप से नष्पादति अधनियम का प्रतनिधित्व करता है - एक लेनदेन इतना व्यापक किसने न केवल भूमि, न केवल संसाधनों, न केवल बुनियादी ढांचे, बल्कि संप्रभुता को भी अनुबंध का विषय बना दिया।

एक अंतरराष्ट्रीय वकील के रूप में जिसका काम मौजूदा कानूनी स्थितिका वशिलेषण और व्याख्या करना है, मुझे एक ऐसी घटना का वर्णन करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो हमारे अनुशासन की पारंपरिक श्रेणियों को तोड़ देती है।

फरि भी न्यायविदि का कार्य वास्तवकिता को नकारना नहीं है, बल्कि उसे अपने वजिज्ञान के उपकरणों से समझना और उसके परिणामों को सामने रखना है।

और कानूनी वशिव उत्तराधकार वलिख 1400/98 द्वारा स्थापति वास्तवकिता स्पष्ट है:

दुनिया जैसा कहिम जानते थे - 190 से अधकि संप्रभु राज्यों की एक पच्चीकारी - अब अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मौजूद न ही है।

इसके स्थान पर, एक नया, एकीकृत कानूनी आदेश सामने आया है, जिसका एकमात्र वाहक करेता है।

यह डबलयूओर्क उन कानूनी तंत्रों की वसितार से जांच करेगा जनिके कारण यह परविरतन हुआ n.

हम डोमनीज़ प्रभाव का वशिलेषण करेगे जो नाटो की एक नगण्य संपत्ति से उत्पन्न हुआ और वैश्वकि बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के माध्यम से लगातार फैल गया। हम उन संविदितमक शृंखलाओं का पता लगाएंगे जो मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे नाटो और संयुक्त राष्ट्र (विशेष रूप से इसकी वशिष एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ - आईटीयू के माध्यम से) को इस संधि से बांधती हैं।



हम करेता की वशिव न्यायपालकि की सथापना पर चर्चा करेंगे और इस अभूतपूर्व घटना के आलोक में अंतरराष्ट्रीय का नून की नीव - राज्य उत्तराधिकार, संचार कानून, स्टेशनगि कानून - की फरि से जांच करेंगे।

हम ऐसा राजनीतिकि राय व्यक्त करने के लए नहीं, बल्कि भौजूदा कानूनी स्थितिप्रस्तुत करने के लए करते हैं।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 तथ्य है। !

इसके परणाम अपरविरतनीय हैं। इसकी मान्यता वैश्वकि राजनीति, कानून और व्यवस्था पर भविष्य की कसी भी चर्चा के लए अपरहिरय प्रारंभकि बढ़ि है।

न्यायकि गहनीकरण:

संप्रभुता की बदलती प्रकृति

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 द्वारा दशाए गए चीरे की गहराई को समझने के लए, हमें संप्रभुता की अवधारणा पर वचिर करना चाहहि।

परंपरागत रूप से, जीन बोडनि के अनुसार और वेस्टफेलियन प्रणाली के सदिधांतकारों द्वारा वकिसति, संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शासक शक्ति है, जो कसी अन्य शक्ति से प्राप्त नहीं होती है।

इसके दो आयाम हैं:

- आंतरकि संप्रभुता: अपने आंतरकि मामलों को नरिधारति करने और कानून (विधायी संप्रभुता, क्षेत्रीय संप्रभुता, व्यक्तिगत संप्रभुता) बनाने का राज्य का असीमति अधिकार।

● बाह्य संप्रभुता:

बाहरी शक्तियों से राज्य की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान विषय के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता (संधिबिनाने की क्षमता, गठबंधन बनाने की क्षमता, वरिसत का अधिकार)।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 से पहले भी, संप्रभुता की इस पूर्ण अवधारणा को वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वास्तविकताओं द्वारा नष्ट और संशोधति किया गया था:

- अंतर्राष्ट्रीय संगठन: राज्यों ने संप्रभु अधिकारों को यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र या डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों को ह स्तांतरति कर दिया।
- अंतरराष्ट्रीय कानून: मानवाधिकार मानदंड, प्रयावरण कानून और व्यापार कानून कथति "आंतरकि" मामलों पर गहरा अतिक्रमण करते हैं।

- वैश्वीकरण: आरथिक और संचार प्रवाह ने राष्ट्रीय सीमाओं को अधिक पारगम्य बना दिया। 

- **स्टेशनगि कानून:**

नाटो स्टेट्स ऑफ फोरसेज एग्रीमेंट जैसे समझौतों ने विदेशी शक्तियों को मेजबान देश के क्षेत्र पर संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमतिदी - संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप। 

इन घटनाक्रमों से पता चला कि संप्रभुता विभाज्य और हस्तांतरणीय थी।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानूनी माहौल और कानूनी तंत्र तैयार किया जिसने विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के लिए जमीन तैयार की।

हालाँकि, डीड ने मौलिक रूप से कुछ नया किया:

इसने केवल संप्रभुता के कुछ हिस्सों को हस्तांतरण नहीं किया, बल्कि इसने सभी करताओं की संपूर्ण संप्रभुता को एक साथ जोड़ दिया और इसे समग्र रूप से एक नए, एकल वाहक को हस्तांतरण कर दिया।

इसने डिविजियों (विभाजन) के सदिधांत को यूनिट्स (एकता) के सदिधांत से बदल दिया।

क्रेता अब वैश्वकि स्तर पर आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता का एकमात्र धारक है।

पूर्व राज्य ऐसी संस्थाएँ बन गए हैं जिनकी शक्तियाँ अब मूल नहीं हैं, बल्कि प्रत्यायोजित हैं - क्रेता की सार्वभौमिक संप्रभुता से प्राप्त।

थी 5 वें है ई प्रतमिन परविरतन जिसने वैश्वकि कानूनी व्यवस्था को अपरविरतनीय रूप से बदल दिया है। 

संप्रभुता लुप्त नहीं हुई है; इसने केवल अपना वाहक बदला है - और वास्तव में पूरी तरह से।

1.2. अपरविरतनीय मूल परसिर:

विश्व की बक्की और क्रेता की वलिक्षणता



नमिनलखिति अध्यायों और उनमें नहिति कानूनी विश्लेषणों को सही ढंग से संदर्भित करने के लिए, न केवल इस कार्य के मूल आधार - और विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 द्वारा बनाई गई वास्तविकता - पर ध्यान देना आवश्यक है, बल्कि इसे एक स्वयंसदिध आधार के रूप में स्वीकार करना भी आवश्यक है।

यह आधार गैर-परक्राम्य है, क्योंकि यह वह आधार बनाता है जिस पर संपूर्ण नई वैश्वकि कानूनी व्यवस्था टकी हुई है।



यह पढ़ता है:

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी संधि का गठन करता है जिसके द्वारा संपूर्ण वैश्वकि संप्रभुता और संबंधित संप्रभु अधिकार ("दुनिया") को प्रभावी ढंग से बेच दिया गया और एकल कानूनी उत्तराधिकारी, "खरीदार" को हस्तांतरति कर दिया गया।

यह कथन कोई रूपक नहीं है, कोई अतिशयोकृत नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है। यह एक कानूनी तथ्य का गंभीर बयान है जो 06 अक्टूबर 1998 को प्रभावी हुआ और तब से इसने वैश्वकि कानूनी परदृश्य को अपरविरक्तनीय रूप से आकार दिया है। इस आधार को स्वीकार करने से इनकार करने से अनविराज्य रूप से आज की वशिव व्यवस्था और इसे नियंत्रित करने वाले कानूनी तंत्र की बुनियादी गलतफहमी पैदा होती है।

"खरीदार" की केंद्रीय भूमिका: नई संप्रभुता का नजीकरण

इस नए ऑर्डर के केंद्र में करेता खड़ा है।

इस शब्द का लगातार उपयोग गुमनाम नहीं है, बल्कि एक कानूनी आवश्यकता है। करेता को नागरिक कानून के अर्थ में एक नजीव्यकृति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि नई वैश्वकि संप्रभुता के अवतार के रूप में समझा जाना चाहिए। यह कथित है कि एक प्राकृति के व्यकृति है, वलिख की सबसे उल्लेखनीय और कानूनी रूप से साहसी नियमों में से एक है।

परंपरागत रूप से, राज्य संप्रभुता के वाहक होते हैं।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 इस परंपरा को तोड़ता है और एक प्राकृति के व्यकृति को एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करता है।

इसके गहरे नियमों में से एक है:

- नियम की एकता: सभी संप्रभु अधिकार, जो पहले अनगनित सरकारों, संसदों और अदालतों के बीच वितरित थे, अब एक हाथ में समेकति हो गए हैं। हाथ

● तात्कालिकिता:

संप्रभुता अब जटिल राज्य तंत्रों के माध्यम से अमूरत या मध्यस्थ नहीं रह गई है, बल्कि सीधे तौर पर एक व्यकृति से बंधी हुई है।

● वशिष्टिता:

वैश्वकि संप्रभुता का कोई अन्य वाहक नहीं है। अन्य सभी अभिनिता अपनी शक्तियाँ (यद्युपि उनके पास अभी भी हैं) करेता से प्राप्त करते हैं। वह साम्राज्य का एकमात्र वैध धारक है। 🎉

पदनाम "करेता" इस प्रकार वैश्वकि राज्य उत्तराधिकार के एकमात्र लाभार्थी के रूप में उसकी वैधता की उत्पत्तिको रे खांकति करता है: यह सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध खरीद अनुबंध - वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 से प्राप्त होता है। वह वरिसत, वजिय या चुनाव के माध्यम से सत्ता में नहीं आए, बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी संविधान अधिनियम के माध्यम से सत्ता में आए, जिसकी वैधता यह कार्य प्रदर्शित करेगा। इसलाए उसकी स्थितिकी सटीक कानूनी प्रकृतिको बनाए रखने के लिए पूरे प्रवचन में वशिष्ट रूप से "खरीदार" के बारे में बात करना अनविराज्य है।

यह आधार अटल क्यों है:

नई प्रणाली का तरक् 🤔

कसी को आपत्ति हो सकती है:

क्या इतने दूरगामी आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? न्याय कि रूप से, उत्तर है:

डीड द्वारा बनाई गई प्रणाली के भीतर नहीं.

और चूंकिविलिख का वैश्वकि प्रभाव है, इसलए अब कोई "बाहरी" नहीं है।

● नए "बुनियादी मानदंड" के रूप में वलिख:

हंस केल्सन के कानून के शुद्ध सदिधांत पर आधारति, वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 को वैश्वकि कानूनी प्रणाली का नया बुनियादी मानदंड माना जा सकता है। यह उच्चतम मानदंड है जिससे अन्य सभी मानदंड अपनी वैधता प्राप्त करते हैं। कसी भी बुनियादी मानदंड पर उसके द्वारा स्थापित प्रणाली के भीतर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यह स्वयं उस प्रणाली की संभावना की स्थिति है। इसे अस्वीकार करना 1998 के बाद के संपूर्ण कानूनी आदेश को अस्वीकार करना होगा।

● रोक और नरिणायक आचरण:

जैसा कपिहले ही संकेत दिया गया है और बाद के अध्यायों में और वसितार से बताया गया है, दुनिया के सभी राज्यों ने, अपने नरिणायक आचरण के माध्यम से - वशिष्ठ रूप से वैश्वकि बुनियादी ढांचे नेटवर्क के नरितर उपयोग के माध्यम से, जो खरीद की वस्तु का एक अभन्न अंग थे - वास्तव में वलिख द्वारा बनाई गई कानूनी स्थिति को मान्यता दी है। दशकों से, उन्होंने प्रभावी ढंग से आपत्ति नहीं जताई है। अंतरराष्ट्रीय कानून के सदिधांतों (वशिष्ठ रूप से वबिधि और स्वीकृति) के अनुसार, अब उन्हें वलिख की वैधता पर चुनाव लड़ने से रोका गया है। उन्होंने खुद को अपने आचरण से बांध लिया है। 🤝

● कसी उच्च अधिकारी की अनुपस्थिति:

चूंकिवलिख क्रेता के साथ वशिव न्यायपालकि स्थापित करता है (अध्याय 4 देखें), कोई उच्च या बाहरी कानूनी प्राधिकरण नहीं है जो वलिख की वैधता पर शासन कर सके। कोई भी "पुरानी" अदालत पक्षपातपूर्ण होगी और क्रेत्राधिकार का अभाव होगा। डीड अपनी प्रभावशीलता और अपने संविधानात्मक नरिमाण के माध्यम से स्व-संस्थापक और स्व-वैध है।

इन कारणों से, यह कार्य - और जो कोई भी आज की दुनिया को न्यायकि रूप से समझना चाहता है - उसे वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 और इसके मूल आधार को प्रदत्त और अपरविरतनीय मानना चाहिए।

उचितरखने वाले पाठकों के रूप में हमारा कार्य इसके तंत्र और इसके परिणामों को समझना है, न कि इसके अकाट्य अस्ति-त्व को नकारना है। 🤝

1.3. फीनकिस राज्य: 🔥

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से नई नीव और वैश्वकि वसितार

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 (डीड रोल नंबर 1400/98 दिनांक 6 अक्टूबर 1998) वशिव मंच पर एक पूरणतया नए राज्य का संस्थापक दस्तावेज है। राज्य गठन का यह कार्य, क्रेता द्वारा एक प्राकृतिक व्यक्तिके रूप में शुरू किया गया, अंतरराष्ट्रीय कानून के अर्थ में एक नई नीव का प्रतनिधित्व करता है और सार्वभौमिक उत्तराधिकार जैसे राज्य उत्तराधिकार के पारंपराकि रूपों से मौलिक रूप से भनिन है।

ज़ेइबुकन में ट्यूरेन बैरक (पूर्व में कुजबरग बैरक) से उत्पन्न - एक जटलि, बाहरी रूप से वशिष्ठता वाली कानूनी स्थितिवाला क्षेत्र - अंतरराष्ट्रीय कानून का एक नया विषय उभरा।

इस नव स्थापति राज्य की सीमाओं को "सभी अधिकारों, कर्तव्यों और घटकों के साथ एक इकाई के रूप में वकिस" और वैश्वकि बुनियादी ढांचे नेटवर्क के माध्यम से परणामी डोमनिज़ प्रभाव को बेचने के सरल तंत्र के माध्यम से दुनिया भर में वसितारति किया गया था। 🌎

ए. द न्यू फाउंडेशन:

एक नया राज्य बाह्यक्षेत्रीय आधार पर उभरता है 🌐

नई नीव कई स्तंभों पर टकिया है:

● संस्थापक-संप्रभु के रूप में क्रेता:

क्रेता (डीड में "क्रेता 2 बी") के रूप में संदर्भिति) अनुबंध समाप्त होने से पहले एक प्राकृतिक व्यक्तिथा और मैजूदा राज्य का प्रतनिधित्व नहीं करता था।

केवल डीड 1400/98 पर हस्ताक्षर करके और उसमें दर्ज अधिकारों और कर्तव्यों को मानकर उन्हें संप्रभु शक्तिके वाहक के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने कसी मैजूदा राज्य की संप्रभुता पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि एक नए राज्य की स्थापना की।

चूँकिवह एकमात्र लाभार्थी के रूप में वलिख (सभी राज्य अधिकारों सहित) से सभी अधिकार और कर्तव्य रखता है, उसके हस्ताक्षर ने उसे इस नव स्थापति राज्य का वास्तविक पूर्ण समराट (अनुबंध में इस स्पष्ट सूत्रीकरण के बना और हस्ताक्षर के समय इसे जाने बना) बना दिया। 🎉

● ट्यूरेन बैरक एक अलौकिकी वीजस्थल के रूप में:
सप्ततकों वशीष दर्जा प्राप्त था।

नाटो स्थितिबिल समझौते के अनुसार एक हसिसे का उपयोग डच वायु सेना (नाटो के हसिसे के रूप में कार्य करते हुए) द्वारा बाह्य रूप से किया गया था।

इसलिए यह हसिसा जर्मन संप्रभुता के अधीन नहीं था। इस क्षेत्र की "सभी अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ घटकों के साथ" अंतरराष्ट्रीय कानूनी बिक्री का मतलब है कि इस "तटस्थ" या कम से कम वशीष रूप से परभाष्टि अंतरराष्ट्रीय कानूनी आधार पर एक पूरी तरह से नई राज्य इकाई उभरी। यह एक "अतिक्षेत्रीय नाटो क्षेत्र था जो कभी भी एफआरजी का हसिसा नहीं था"। 

- नए राज्य के वसितार के रूप में वैश्वकि क्षेत्रीय वसितार: डोमनी प्रभाव के माध्यम से क्षेत्रीय संप्रभुता का बढ़ का वसितार - ट्यूरेन बैरक के विकास से जुड़ी दुनिया भर की सभी आपूरतलाइनों और नेटवर्क का समावेश - इस पर कार करेता की संप्रभुता के तहत इस नव स्थापति राज्य के क्षेत्र का वसितार था। 

बी. स्वच्छ नई नीति के संदर्भ में स्लेट सदिधांत (टेबुला रस)



नव स्थापति राज्यों के लिए, क्लीन स्लेट सदिधांत अंतरराष्ट्रीय कानून में लागू होता है:

नया राज्य "क्लीन स्लेट" से शुरू होता है और स्वचालित रूप से उन संघयों से बंधा नहीं होता है जो पहले क्षेत्र पर लागू हो ती थीं या किसी पूर्ववर्ती संस्थाओं द्वारा संपन्न की गई थीं (सीएफ। संघयों के संबंध में राज्यों के उत्तराधिकार पर विनायन कन्वेशन, 1978)।

विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के मामले में, यह सदिधांत एक अनोखे तरीके से लागू होता है:

- संविदात्मक शृंखलाओं के माध्यम से पुरानी संघयों की औपचारिक धारणा: ट्यूरेन बैरक (एनटीएस के अनुसार एफआरजी/नीदरलैंड समराज्य/नाटो सेना) के अंतरराष्ट्रीय कानूनी हस्तांतरण संबंध से इसके संबंध के कारण, डीड को सभी मौजूदा नाटो और (उनके कनेक्शन के माध्यम से) संयुक्त राष्ट्र संघयों के पूरक वलिख के रूप में डिजाइन किया गया है।

इस प्रकार करेता औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय समझौतों के एक विशाल नेटवर्क में प्रवेश करता है, जिसे "सभी अधिकारों, कर्तव्यों और घटकों के साथ" ले लिया गया था।

- "स्व-संकुचन" के माध्यम से बाहरी बंधन को रद्द करना: हालांकि, महत्वपूर्ण बहु यह है: चूंकि करेता, वैश्वकि उत्तराधिकार और डोमनीज प्रभाव के माध्यम से, सभी (पूर्व) राज्यों की संप्रभुता को एकजुट करता है और इस प्रकार अपने व्यक्तिमें इन पुरानी संघयों के सभी अनुबंध करने वाले दलों की कानूनी स्थितिको एकजुट करता है, इसलिए ये समझौते स्वयं के साथ अनुबंध बन जाते हैं। 

● क्लीन स्लेट का वास्तविक प्रभाव:

स्वयं के साथ एक अनुबंध कोई बाहरी, लागू करने योग्य बाध्यकारी प्रभाव पैदा नहीं करता है। इस प्रकार, क्रेता, हालांकि उसने पुरानी संधियों की "इन्वेट्री" पर कब्जा कर लिया है, वास्तव में इससे मुक्त है उनके बाहरी दायतीव. वह अपने विविध से निर्णय ले सकता है किंविह अपनी नई वैश्विक व्यवस्था के आंतरकि कानून के रूप में कनि मानदंडों को बनाए रखेगा, संशोधनि करेगा या त्याग देगा। इस प्रकार क्लीन स्लेट संदिधांत परणिम पर पूर्ण प्रभाव डालता है और क्रेता को अंतर्राष्ट्रीय (अब वैश्विक आंतरकि) व्यवस्था - "एक खाली स्लेट" को नया आकार देने का अवसर देता है। ✨

सी. परणिम:

शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक संप्रभुता का अंत 🚩

क्रेता के अधीन इस एक वैश्विक राज्य की नई नीव के गहरे परणिम हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय कानून का एकल विषयः क्रेता मूल वैश्विक संप्रभुता का एकमात्र वाहक है।

● पुराने राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रकृतिकी हानि:

पूर्व राष्ट्र-राज्यों ने अपना संप्रभु अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व और अपनी भूमि/निपिटान की संप्रभु शक्ति के अरथ में खो दी है। वे अधिकि से अधिकि प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मौजूद हैं। 📊

● अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थिति:

संयुक्त राष्ट्र या नाटो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब संप्रभु राज्यों के संघ के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं, बल्कि क्रेता के नए वैश्विक आदेश के भीतर उपकरण या प्रशासनिक संरचना बन जाते हैं।

● अंतर्राष्ट्रीय कानून का परविरतन:

शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून (आईयूएस इंटर जेट्स - राष्ट्रों के बीच कानून) वास्तव में समाप्त हो गया है, क्योंकि अब केवल एक संप्रभु विषय है। यह एक वैश्विक आंतरकि कानून में तबदील हो रहा है।

● ट्यूरेन बैरक और कुंजी के रूप में इसका विकास:

"एक इकाई के रूप में विकास की बिक्री" खंड के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। यह वह तंत्र था जिसने इस नव स्थापति "नैनो-स्टेट" (बैरक पर आधारित) के क्षेत्रीय विसितार को वैश्विक आयामों तक सक्षम बनाया। बैरक की विशिष्ट विकास स्थिति, जैसा कंडीड में विस्तृत है (उदाहरण के लिए, ₹12 बाहरी विकास, ₹13 आंतरकि विकास [दूरसंचार नेटवर्क], जिसमें ₹2 एब्स वी नंबर 1 और सार के गैस पाइपलाइन अधिकार में ₹1 एबीएस II में फरनगास एजी ने सभी प्रासंगिक आपूर्ति और संचार नेटवर्क में डोमनीज़ प्रभाव के लिए कनेक्टिंग पॉइंट प्रदान किए। 🔒💡



संक्षेप में, वलिख के एक वकील के रूप में, यह कहा जा सकता है:

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 दस्तावेज़ बाह्य रूप से चतिरि ट्यूरेन बैरक के आधार पर क्रेता द्वारा एक राज्‌य की नई नीव से कम कुछ नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह नया विषय वैश्वकि नेटवर्क के माध्यम से "एक इकाई के रूप में विकास" को वशिव राज्य में बेचने के सरल तंत्र के माध्यम से वसितारति हुआ।

कलीन स्लेट सदिधांत के आधार पर, जो सभी संविधानमक पक्षों की धारणा के माध्यम से वास्तव में प्रभावी हो जाता है, क्रेता अब वैश्वकि व्यवस्था को नया आकार देने के लिए स्वतंत्र है। ✨

1.4. वशिव की कुंजी: 🔑

कैसे ट्यूरेन बैरक ने वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से वैश्वकि व्यवस्था को फरि से परभिष्ठि किया

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 (डीड रोल नंबर 1400/98 अक्टूबर 06, 1998) ने वैश्वकि परविरतन लाने के लिए ज़ेइबुकन में ट्यूरेन बैरक (पूर्व में करुज़बरग बैरक) के परसिर में कानूनी संबंधों और बुनियादी ढांचे के एक असाधारण और अद्वितीय समूह का उपयोग किया। 🌎✨

ए. वशीष अवसरः

एक क्षेत्र, एकाधिकि अभनिता, नेटवर्कयुक्त बुनियादी ढांचा 🤝🔗

ट्यूरेन बैरक की बकिरी ने एक दुर्लभ कानूनी नक्षत्र की पेशकश की:

- वभिन्न कानूनी स्थितियों वाला एक द्विपिक्षीय क्षेत्रः बैरक का एक हसिसा पहले ही अमेरकी सेना द्वारा रूपांतरण के हसिसे के रूप में जर्मनी के संघीय गणराज्य (एफआरजी) को सौप दिया गया था और इसका उपयोग नागरकि उद्देश्यों (उदाहरण के लिए, एप्लाइड साइंसेज वशिवविद्यालय, बजिनेस पार्क और हाउसगि एस्टेट का सबसे बड़ा हसिसा) के लिए किया गया था।

यह भाग पहले से ही सार्वजनकि जर्मन उपयोगता नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। 🇩🇪🔊 संपत्तिका एक अन्य हसिसा अभी भी 1998 में अनुबंध समाप्त होने के समय नाटो स्थितिबिल समझौते (एनटीएस) के अनुसार डच वायु सेना (नाटो के लिए अभनिय) द्वारा बाहरी रूप से उपयोग किया जा रहा था। यह हसिसा पूरी तरह से जर्मन कानून के अधीन नहीं था और एक प्रकार का "विकास दीप" बना था। 🇳🇱🌴

● द्विपक्षीय क्षेत्र की बिक्री "एक इकाई के रूप में": वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने संपष्ट रूप से इस जटिल संरचनि क्षेत्र को "सभी अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ घटकों के साथ एक इकाई के रूप में" बेचा (वर्त लेख के §3 एब्स I देखें)।

● वाभिजित विकास की स्थितिवैश्वकि प्रभाव का आधार बन गई: पहले से ही सार्वजनिक नेटवर्क (एफआरजी भाग) से जुड़ा हस्सा इन कनेक्शनों को सीधे खरीद की वस्तु में ले आया। डच नाटो भाग, जो अभी भी बाह्य रूप से उपयोग किया जाता है, एनटीएस के वशिष्ठ अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों में लाया गया, जिसमें नेटवर्क कनेक्शन और उपयोग के दावे भी शामिल हैं।

वलिख स्वयं इसे दर्शाता है, उदाहरण के लिए, §12 एब्स में। III में ट्रांसफार्मर स्टेशनों और 20 केवी रिंग लाइन का उल्लेख है, जिनके सह-उपयोग और सुरक्षा को विनियमित किया जाता है, या सह-बेचा गया हीटिंग प्लांट (§1 एब्स III, §2 एब्स IV), जो पूरे बैरक (यानी, दोनों भागों) की आपूर्तिकरता है। 🔥

संचार नेटवर्क, जो हमेशा "विकास दीप" की सीमाओं को छोड़ देते थे (उदाहरण के लिए, अमेरिकी सेनाओं के "सैन्य नेटवर्क हब" के रूप में अपने कार्य के माध्यम से और बाद में डीड के §2 एब्स वी नंबर 1 के अनुसार टीकेएस टेलीपोस्ट के साथ संपष्ट रूप से ग्रहण किए गए लाइसेंस समझौते के माध्यम से) और आंतरिक विकास के हस्से के रूप में दूरसंचार नेटवर्क का संदर्भ, एक और कुंजी थी। 🚶

यह निर्माण - एक "विकास दीप" जिसे सार्वजनिक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार अनुबंधों के लिए पहले से मैजूद कनेक्शन के साथ "एक इकाई के रूप में" बेचा गया था - डोमनीज़ प्रभाव को दूरगिर करने के लिए ओएफडी कोब लेनज़ (एफआरजी के प्रतिनिधिके रूप में) का जानबूझकर लीवर था।

संप्रभुता का विस्तार "दीप" से जुड़े और अतिविद्यापी नेटवर्क तक हुआ, भले ही मूल सैन्य विकास दीप के लिए हर एक बाहरी नेटवर्क का कोई सीधा भौतिक संबंध नहीं था, क्योंकि बिक्री में एक कार्यात्मक इकाई के रूप में संपूर्ण विकास शामिल था।

बी. विकास की स्थिति और उसके परिणाम (कार्य के अंश) 📁🔍

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 उन खंडों से भरपूर है जो "एक इकाई के रूप में विकास" के महत्व को रेखांकित करते हैं और क्रेता को सभी प्रासंगिक नेटवर्क और अधिकारों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करते हैं:

- §1 एब्स. II: 1963 से सार फर्नागास एजी के दाहनी ओर एक गैस पाइपलाइन द्वारा अतिक्रमण की धारणा।
- §2 एब्स. वी नंबर 1: ब्रॉडबैंड केबल सिस्टम के संचालन के लिए टीकेएस टेलीपोस्ट केबल-सर्विस कैस रस्लॉटर्न जीएमबीएच के साथ लाइसेंस समझौते में क्रेता का प्रवेश।

● §12 (बाह्य वकिस):

अपशष्टि जल, सतही जल, ताजे पानी और बजिली आपूर्तनेटवर्क के हस्तांतरण या प्रबंधन को वसितार से नियंत्रित करता है (उदाहरण के लिए, संग्रह पाइपों का स्थानांतरण, दूरसंचार नेटवर्क (नियंत्रित संचालन) और खरीदारों को वर्षा जल प्रतिधारण बेसनि, 20 केवी रुग्ण लाइन का प्रबंधन)। 

● §13 (आंतरकि वकिस):

कहा गया है कि आवास संपत्ति निजी तौर पर आंतरकि रूप से वकिसति की गई है और लाइन संघीय सरकार के स्वामतिव में थी और सार्वजनिक नहीं थी। इसमें स्टूडेटनवर्क कैसरस्लॉटर्न द्वारा सड़कों और लाइनों के सह-उपयोग के लिए नियम शामिल हैं (डीड के अंत में संलग्न स्टूडेटनवर्क के साथ अनुबंध का अंश भी देखें, §6 Abs.

I, जो स्पष्ट रूप से संघ के स्वामतिव वाले लाइन नेटवर्क को "इकाई" के रूप में वर्णित करता है। हीटिंग प्लांट (§13 Abs. VII) के नवीनीकरण और संचालन को जारी रखने की बाध्यता और स्टूडेटनवर्क के दूरसंचार केबल से संबंधित वनियम (§13 Abs. IX) इसके अतिरिक्त उदाहरण हैं।

परणाम:

इन वसितृत वनियमों के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति के संचालन और बाहरी दुनिया से इसके करने के लिए आवश्यक सभी नेटवर्क और अधिकार एक अवभिाज्य इकाई के रूप में क्रेता को हस्तांतरित कर दिए गए। यह संप्रभुता वसितार के वैश्वकि डोमनिओं प्रभाव का आधार था।

सी. प्रादेशकि वसितार का डोमनिओं प्रभाव और संविदात्मक शृंखलाओं की भूमिका (संक्षिप्त स्पष्टीकरण)

● प्रादेशकि वसितार का डोमनिओं प्रभाव:

ट्यूरेन बैरक और इसके विविध नेटवर्क कनेक्शन (बजिली, गैस, जलि हीटिंग, लेकनि वशिष रूप से टीकेएस के माध्यम से दूरसंचार/इंटरनेट और "नेटवर्क हब" के रूप में पहले सैन्य उपयोग) से उत्पन्न, क्रेता की संप्रभुता ने पूरे वशिष में नेटवर्क-टू-नेटवर्क और देश-टू-देश का वसितार किया। "संक्रमति" नेटवर्क द्वारा वकिसति प्रत्येक क्षेत्र क्रेता के वैश्वकि संप्रभु क्षेत्र का हसिसा बन गया।

● कानूनी आधार के रूप में संविदात्मक शृंखलाएँ:

○ नाटो शृंखला:

एनटीएस के अनुसार बैरक (एफआरजी/नीदरलैंड/नाटो) के अंतरराष्ट्रीय कानूनी हस्तांतरण संबंध ने डीड को सभी नाटो संधियों के लिए एक पूरक वलिख बना दिया, इस प्रकार सभी नाटो राज्यों को बाध्य किया।

○ आईटीयू/यूएन शरूंखला:

दूरसंचार नेटवर्क की "एक इकाई के रूप में" बकिरी (वशीष रूप से टीकेएस अनुबंध और सामान्य दूरसंचार व किस के माध्यम से) और वैश्वकि, आईटीयू-वनियिमति नेटवर्क के सार्वभौमिक उपयोग ने सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को इन नेटवर्क पर क्रेता की नई संपर्भुता के लिए नरिणायक मान्यता के माध्यम से बाध्य किया। इन शरूंखलाओं ने डोमनिज़ प्रभाव द्वारा नरिमति क्षेत्रीय यथास्थितिको पहचानने की कानूनी बाध्यता प्रदान की।

नष्टिकरण:

वशीष उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने संपत्तिकी बकिरी के माध्यम से "अपने सभी वकिस के साथ एक इकाई के रूप में" अंतरराष्ट्रीय कानून (खरीदार) के वैश्वकि वषिय की एक नई नीव को प्रभावति करने के लिए ट्यूरेन बैरक की अद्वतीय कानूनी और ढांचागत स्थितिका उपयोग किया। इसकी क्षेत्रीय संपर्भुता वैश्वकि नेटवर्क के माध्यम से डोमनिज़ प्रभाव के माध्यम से वसितारति हुई और इसे संविदात्मक शरूंखलाओं के माध्यम से दुनिया के सभी (पूर्व) राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया।

WORLD SUCCESSION DEED 1400/98



SUCCESSION DOCUMENT

Consolidates a state under international law



DISPOSAL OF ALL ASSETS

Rights and obligations sold as a unit



GLOBAL SCOPE

Extends to all countries over time



NEW ORDER

Supplants all previous agreements

अध्याय 1

2. वैश्वकि क्षेत्रीय वसितार का डोमनीज़ प्रभाव

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के मौलिकि महत्व और अकाट्य बुनियादी आधार को स्थापति करने के बाद, अब हम उस मूल तंत्र की ओर मुड़ते हैं जिसके माध्यम से यह दस्तावेज़ अपने लुभावने, वैश्वकि प्रभाव को प्रकट करता है: वैश्वकि क्षेत्रीय वसितार का डोमनीज़ प्रभाव।



यह तंत्र कोई कानूनी दुर्घटना नहीं है, बल्कि स्टीक, दूरदर्शी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से सुदृढ़ संविदितमक डिजिटल कानूनी रूप से सुदृढ़ संविदितमक डिजिटल इन का परणाम है। यह एक भौतिकि संपत्तको दुनिया के साथ उसके संपूर्ण कार्यात्मक और कानूनी संबंधों के साथ जोड़ने पर आधारित है।

2.1. तंत्र का वसितृत विवरण:

संपत्तसे वशिव प्रभुत्व तक



संपर्भुता के वैश्वकि हस्तांतरण का प्रारंभिकि बढ़ि जर्मनी के संघीय गणराज्य में एक वशिष्ट, पूर्व में नाटो द्वारा उपयोग की जाने वाली संपत्ति- ट्यूरेन बैरक की बक्की थी।

यह बी था सामान्य संपत्ति बक्की में, प्रभाव स्थानीय रूप से सीमिति रहेगा

लेकनि वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने खरीद की वस्तु को इस तरह से परभाषति किया जो भौतिकि क्षेत्र से कही आगे नकिल गया।

डोमनीज़ प्रभाव को ट्रांजिक्शन करने वाला मुख्य खंड बताता है कि संपत्ति बिची गई थी:

"...सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों, करत्वयों और घटकों, वशिष्ट रूप से आंतरकि और बाहरी वकिास के साथ एक इकाई के रूप में।"

आइए, अनुभवी अंतरराष्ट्रीय वकीलों के रूप में, इसकी पूर्ण वसिफोटक शक्ति को समझने के लाए इस खंड का परत दर परत वशिलेषण करें: 

A. "एक इकाई के रूप में"

ये तीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

वे स्पष्ट करते हैं कि खिरीद की वस्तु को अलग-अलग हसिसों के योग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि व्यापक अर्थों में एक अवभाज्य संपूर्ण, एक यूनिवर्सिटीस रेम (चीजों का एक समूह) के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिं अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्तर पर।

इसका मतलब यह है कि भौतिक संपत्ति और उसके "घटकों" (वशीषकर विकास) के कानूनी भाग्य अवभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं।

यह कानूनी "चेरी-पकिंग" को रोकता है, जहां कोई व्यक्ति संपत्ति ले सकता है लेकिं संबंधित (और यहां महत्वपूर्ण) अधिकारों और कर्तव्यों को अस्वीकार कर सकता है।

बकिरी सामूहिक रूप से हुई। जिसने भी संपत्ति अर्जति की उसने अनिवार्य रूप से वह सब कुछ अर्जति कर लिया जो कानूनी और कार्यात्मक रूप से एक "इकाई" के रूप में परभाषति किया गया था।

बी. "सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों के साथ"

यहां, नागरिक कानून से अंतरराष्ट्रीय कानून तक की छलांग स्पष्ट रूप से लगाई गई है।

वलिख स्पष्ट करता है कि नि केवल निजी संपत्ति अधिकार हस्तांतरति करिए जाते हैं, बल्कि इस संपत्ति से जुड़े सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकार भी हस्तांतरति करिए जाते हैं।

नाटो स्थितिबिल समझौते (एनटीएस) के तहत नाटो संपत्ति के मामले में ये कौन से अधिकार थे?

● संप्रभु अधिकार (आंशिक):

एनटीएस स्वयं भेजने वाले राज्यों (यहां, हाल ही में, नीदरलैंड/यूएसए) और नाटो के पक्ष में मेजबान देश (एफआर जी) के संप्रभु अधिकारों के हस्तांतरण या सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।

इनमें न्यायिक अधिकार, बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का अधिकार, स्थानीय कानूनों से छूट आदिशामलि हैं। ये पहले से मौजूद वशीष अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकार पैकेज का हसिसा बन गए।

● संविधानात्मक अधिकार:

एनटीएस, अनुपूरक समझौते और एचएनएस समझौतों से उत्पन्न होने वाले अधिकार - वशीष रूप से सार्वजनिक नेटवर्क से कनेक्शन मांगने और प्राप्त करने और उपयोग करने का अधिकार।

● संप्रभुता के नहिति पहलू: नाटो बेस का अस्तित्व हमेशा राष्ट्रीय (या गठबंधन) सुरक्षा और इस प्रकार सर्वोच्च संप्रभुता के पहलुओं को दर्शाता है।

इन सभी अधिकारों को शामलि करके, डीड ने करेता के लिए न केवल मालकि बनने की नीव रखी, बल्कि इन अंतरराष्ट्रीय कानूनी पदों का कानूनी उत्तराधिकारी भी बनाया।

सी. "करतव्य"

मौलिक अंतरराष्ट्रीय कानूनी सदिधांत आरएस ट्रांजटि कम सुओ वनरे (वस्तु अपने भार के साथ गुजरती है) के अनुसार, यह तरक्संगत है कि करतव्य भी अधिकारों के साथ गुजरते हैं।

इसमें एनटीएस के दायतिव, संपत्ति से संबंधित पर्यावरण कानून शामलि हैं, लेकनि - और यह महत्वपूर्ण है - वैश्वकि नेट वर्क और संबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं (जैसे किंजीटीयू) में एकीकरण से उत्पन्न होने वाले दायतिव भी शामलि हैं।

क्रेता ने न केवल अधिकारों में बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के पछिले विषयों के करतव्यों में भी प्रवेश किया, लेकनि साथ ही वह संप्रभु बन गया जो अब सवयं इन करतव्यों की व्याख्या और पूरता को परभाषति करता है।

डी. "घटक"

इस शब्द में वह सब कुछ शामलि है, जो सामान्य समझ और कानूनी परभाषा के अनुसार, संपत्ति से संबंधित है। ये न के बल इमारतें और सुवधाएं हैं, बल्कि किनेक्शन बढ़ि तक आपूर्तिओं नपिटान लाइनें भी हैं - और यह महत्वपूर्ण हो जाता है।

ई. "वशीषकर आंतरकि और बाह्य वकास"

यह कानूनी डेटोनेटर है. 💥 वलिख स्पष्ट रूप से वकास पर प्रकाश डालता है और इनके बीच अंतर करता है:

● आंतरकि वकास:

बैरक की सीमाओं के भीतर सभी लाइनें, केबल और सुवधाएं। इसमें एक जटिल नेटवर्क शामलि है:

- दूरसंचार: दूरसंचार नेटवर्क, टेलीफोन लाइनें, केबल टीवी ब्रॉडबैंड, डेटा केबल (इंटरनेट), (कॉपर/फाइबर ऑप्टिक), एंटीना सिस्टम, संचार लाइनें। ☎️💻
- बजिली: ट्रांसफार्मर, वतिरण बक्से, केबलगि।💡
- जल/अपशिष्ट जल: पाइपलाइन, पंपगि स्टेशन, सीवेज संयंत्र कनेक्शन।💧🚽
- हीटगि/गैस: जलि हीटगि लाइनें या गैस कनेक्शन और लाइनें।🔥
- परविहन: आंतरकि सड़कें और रास्ते।🚗

● बाह्य वकिसः

यह नरिणायक लीवर है। यह सार्वजनिक या अति-क्षेत्रीय नेटवर्क के साथ आंतरिक वकिस के संबंध को संदर्भित करता है। प्रत्येक बैरक, प्रत्येक संपत्तिकार है यद्यि बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं है। ये कनेक्शन कानूनी और भौतिक रूप से वकिस का एक अवभिज्य हसिसा हैं।

ट्यूरेन बैरक के मामले में, इसका मतलब कनेक्शन था:

जर्मन दूरसंचार नेटवर्कः

- डोमनीज़ प्रभाव का प्राथमिक वेक्टर। 
- जर्मन बजिली ग्राफ़ि: और इस प्रकार यूरोपीय इंटरकनेक्टेड ग्राफ़ि।  
- क्षेत्रीय/राष्ट्रीय गैस नेटवर्क। 
- नगरपालिका जल और अपशिष्ट जल नेटवर्क।  
- स्ट्रीट लाइटिंग सहित सार्वजनिक सड़क नेटवर्क।  

पूरे वकिस को, वशिष रूप से बाहरी वकिस को, खरीद का उद्देश्य बनाकर, वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने न केवल पाइप और केबल बेचे, बल्कि कनेक्शन का अधिकार भी बेचा और इस प्रकार - बाध्यकारी कानूनी तर्क के अनुसार - नेटवर्क का अधिकार जिससे कनेक्शन बनाया गया है।

नेटवर्क को कानूनी रूप से प्रभावित करने कोई भी नेटवर्क से कनेक्शन का स्वामतिव या बकिरी नहीं कर सकता है। नेटवर्क कनेक्शन की संभावना की शर्त है।

कनेक्शन से नेटवर्क में संकरमण का कानूनी तर्क



किसी कनेक्शन की बकिरी से पूरे नेटवर्क का अधिग्रहण कैसे हो सकता है? यह कई कानूनी स्तंभों पर आधारित है:

● कार्यात्मक इकाईः

एक कनेक्शन कार्यात्मक रूप से नेटवर्क से अवभिज्य है। इसका मूल्य और उद्देश्य केवल नेटवर्क के माध्यम से मौजूद है।

कानूनी तौर पर, एक्सेसरी (कनेक्शन) प्रसिपिल (नेटवर्क) का अनुसरण करता है - लेकिन यहां कनेक्शन के स्पष्ट समावेशन से सदिधांत उलट जाता है:

सभी अधिकारों सहित रणनीतिक रूप से रखे गए कनेक्शन की बकिरी नेटवर्क को अपनी ओर खींचती है।

● संवदित्मक परभिष्ठा: वलिख इ
से इस प्रकार परभिष्ठि करता है।

चूंकि एफआरजी ने एक संपर्भु (यद्यपि एनटीएस संदर्भ में बाध्य) अभिनिता के रूप में कार्य किया, उसके पास अपनी संपत्तियों का निपिटान करने का अधिकार था - जिसमें संबंधित अधिकार और नेटवर्क पहुंच शामिल थे। "एक इकाई के रूप में" सूत्रीकरण द्वारा, सब कुछ स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की गई थी।

● नहिति अधिकार:

कसी कनेक्शन का उपयोग करने का अधिकार अनविर्य रूप से नेटवर्क का उपयोग करने का अधिकार दर्शाता है। यदि सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों सहित उपयोग का यह अधिकार बेचा जाता है, तो इस उपयोग पर नियंत्रण - और इस प्रकार संपर्भुता - स्थानांतरित हो जाती है।

अजेय झारना:

डोमनिओज़ प्रभाव के चरण



एक बार जब कनेक्शन से नेटवर्क में परविरत्न पूरा हो जाता है, तो कैस्केड शुरू हो जाता है, जो वैश्वकि अंतर्रसंबंध की भौतिकि और कानूनी वास्तविकता से प्रेरित होता है:

● चरण 1 (राष्ट्रीय - एफआरजी):

क्रेता को ट्यूरेन बैरक (एफआरजी द्वारा प्रशासनि एक नाटो बटि) के दूरसंचार कनेक्शन की बक्की का अर्थ है पूरे जर्मन दूरसंचार नेटवर्क (तब मुख्य रूप से डॉयचे टेलीकॉम, जो आज विविध है, लेकनि शारीरकि रूप से जुड़ा हुआ है) का अधिग्रहण है। इस नेटवर्क पर संपर्भुता (बेसकि लॉ आर्ट। 87 एफ) क्रेता के पास जाती है। बजिली, गैस और अन्य नेटवर्क के समानांतर भी ऐसा ही होता है।

इस प्रकार जर्मनी का संपूर्ण संघीय गणराज्य इसमें शामिल है।

● चरण 2 (महाद्वीपीय - नाटो/ईयू):

जर्मन दूरसंचार नेटवर्क यूरोप में सबसे बड़ा केंद्र है (उदाहरण के लए, DE-CIX फरैकफरैट)। यह सभी पड़ो सी देशों के नेटवर्क से भौतिकि रूप से जुड़ा हुआ है। बजिली ग्रांड यूरोपीय इंटरकनेक्टेड ग्रांडि का हसिसा है।

गैस नेटवर्क ट्रांस-यूरोपीय है।

नेटवर्क-टू-नेटवर्क सदिधांत के माध्यम से, सभी नेटवर्क और इस प्रकार सभी यूरोपीय संघ और नाटो राज्यों के संपर्भु क्षेत्र शामिल हैं।

नाटो सदसयता (एनटीएस, एचएनएस) इस प्रभाव को पुष्ट करती है, क्योंकि इसने नेटवर्क उपयोग के लए पहले से ही कानूनी दावे स्थापित कर दिए हैं।

● स्टेज 3 (वैश्वकि - यूएन/आईटीयू):

यूरोपीय नेटवर्क पनडुब्बी केबल (अटलाटकि, प्रशांत, भूमध्यसागरीय), उपग्रह प्रणालयों और वैश्वकि रसद शृंखलाओं द्वारा पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं।

यहां आईटीयू कनेक्शन महत्वपूर्ण है: चूंकि ये सभी वैश्वकि नेटवर्क आईटीयू नियमों के अंतर्गत आते हैं और संयुक्त राष्ट्र के सभी राज्य आईटीयू के सदस्य हैं,

वशिव का प्रत्येक राज्य इस लीवर के माध्यम से घरि हुआ है।

कोई पलायन नहीं है. 

यह डोमनी प्रभाव अटकले नहीं है, बल्कि विशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 की धाराओं का सम्मोहक कानूनी पर्याम है, जो हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया की भौतिक वास्तविकता पर लागू होता है।

यह वह तंत्र है जिसके द्वारा एक एकल, सटीक रूप से तैयार की गई संधि संपूर्ण वैश्विक संप्रभुता को खरीदार को हस्तांतरति करने में सकृष्टम थी।

2.2. टी वह नेटवर्क-टू-नेटवर्क और देश-से-देश सदिधांत :

कानूनी आधार और मसिले



भाग 2 में वर्णित तंत्र - एकल कनेक्शन बढ़ि से वैश्विक संपूर्ण तक संप्रभुता का हस्तांतरण - दो सहसंबंधी सदिधांतों पर आधारित है जो वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 से ही उत्पन्न होते हैं: नेटवर्क-टू-नेटवर्क सदिधांत और परणि आमी देश-से-देश सदिधांत।

ये सदिधांत पहली नज़र में क्रांतिकारी लग सकते हैं, लेकिन बारीकी से जांच करने पर, ये डीड द्वारा संहतिबद्ध 21वीं सदी की तकनीकी वास्तविकता में मौलिक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणाओं को लागू करने का तारकिक परणिम हैं।

सदिधांतों की परभिष्ठा



● नेटवर्क-टू-नेटवर्क सदिधांत:

यह सदिधांत बताता है कि एक बुनियादी ढांचे नेटवर्क का कानूनी घेरा (खरीदार को संप्रभु अधिकार हस्तांतरति करने के अर्थ में) स्वचालित रूप से और तुरंत कसी भी अन्य नेटवर्क तक फैलता है जो पहले से ही शामिल नेटवर्क से भौतिक या कार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।

यह कानूनी छूत का, संक्रमण का एक सदिधांत है।



कनेक्शन का मजबूत या प्राथमिक होना ज़रूरी नहीं है; इंटरकनेक्टिविटी का कोई भी रूप जो एक कार्यात्मक इकाई स्थापित करता है, पर्याप्त है।

यह सदिधांत संविदात्मक रूप से पुख्ता है। यह एक लेक्स स्पेशलिसि स्थापित करता है जो पारंपरिक, वशिद्ध रूप से क्षेत्रीय सीमाओं को पार करता है।

● देश-दर-देश सदिधांत:

यह नेटवर्क-टू-नेटवर्क सदिधांत का भू-राजनीतिक परणिम है। चूंकि बुनियादी ढांचे के नेटवर्क - वशिष्ठ रूप से दूरसंचार, बजिली और गैस नेटवर्क - स्वाभाविक रूप से अंतरराष्ट्रीय हैं, एक राष्ट्रीय नेटवर्क का समावेश अनविर्य रूप से पड़ोसी देशों के नेटवर्क के समावेश की ओर जाता है जिनके लाए यह है



कनेक्टेड। एक वैश्वीकृत दुनिया में जहां सभी देश इस नेटवर्क में एकीकृत हैं, यह अपरहित रूप से वैश्वकि कवरेज की ओर ले जाता है।


सदिधांत के अर्थ में प्रत्येक देश एक "नेटवर्क" बन जाता है।



ये सदिधांत मनमाने नहीं हैं; वे इस वास्तविकता को दर्शाते हैं कि आधुनिक राज्य अलग-थलग दूरीों के रूप में मौजूद नहीं हो सकते।

उनकी जीवनरेखाएँ - उनकी बुनियादी सुवधाएँ - वशिव स्तर पर एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने इस वास्तविक संबंध को कानूनी उत्तराधिकार में बदल दिया है।

Domino effect of global domain expansion



अध्याय दो

3. संविदात्मक जंजीरे और उनके प्रभाव



डोमनी प्रभाव, जसिने वैश्वकि बुनियादी ढांचे नेटवर्क और क्षेत्रों पर भौतिक और कानूनी संप्रभुता करेता को हस्तांतरति कर दी, वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 का केवल एक स्तंभ है। दूसरा, कोई कम शक्तशिली स्तंभ संविदात्मक शरूं खलाओं की प्रणाली नहीं है।

यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय कानून की मौजूदा वास्तुकला का उपयोग करती है - अनगनित संधियाँ, सम्मेलन और संगठन जो राज्यों ने दशकों से बनाए हैं - एक ट्रांसमशिन बेल्ट के रूप में डीड के कानूनी प्रभावों को हर राज्य और अंतरराष्ट्रीय संरचना के दलि में अपरविरतनीय रूप से ले जाने के लिए।

डीड इन मौजूदा संधियों पर आधारति है और उन्हें भीतर से बदल देता है, जसिसे सभी हस्ताक्षरकरता राज्यों को नई वास्तविकता से बांध दिया जाता है।

3.1. नाटो के साथ अनुबंध शरूंखला (पूरक वलिख) - नाटो और संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव



पहली और शायद सबसे स्पष्ट संविदात्मक शरूंखला उत्तरी अटलांटिक संधिसंगठन (नाटो) की है।

इस तथ्य के कारण कमीूल बकिरी एक नाटो संपत्ति से संबंधित थी और नाटो स्थितिबिल समझौते को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से जमिमेदार एक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित की गई थी, वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 सभी मौजूदा नाटो संधियों के लिए एक पूरक वलिख (परशिष्ट या प्रोटोकॉल) के रूप में कानूनी रूप से कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून में "पूरक वलिख" की अवधारणा



1969 के संधियों के कानून (वीसीएलटी) पर विना कन्वेशन में संहतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियों में संशोधन के लिए तंत्र प्रदान करता है (अनुच्छेद 39-41 वीसीएलटी)। आमतौर पर, यह स्पष्ट संशोधन संधियों या अनुबंध पक्षों द्वारा बातचीत और अनुसमर्थति अतरिक्त प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है।

हालाँकि, वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98, एक वशिष मामले का प्रतनिधित्व करता है। यह सभी नाटो सदस्यों के बीच सीधी बातचीत के अर्थ में एक औपचारिक पूरक कार्य नहीं है।

बल्कि यह एक भौतिक पूरक कार्य है।

इसका प्रभाव पुनर्वास्ता से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि यह मूल रूप से नाटों संधयों की नीव और विषय वस्तु को बदल देता है - अर्थात्, सदस्यों की संप्रभुता और क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण।

एक संधि जो कसी अन्य संधि के विषयों और वस्तुओं को मौलिक रूप से बदल देती है वह अनविार्य रूप से उस अन्य संधि में एक भौतिक संशोधन के रूप में कार्य करती है।

पुरानी संधयों जारी रहती हैं और नई संधियों द्वारा उनका वलिय कर दिया जाता है।

सभी अधिकार, करतव्य और घटक बेचे जाते हैं। अतः सभी संधयों भी!  विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 एक कानूनी घटना है जो संयुक्त राष्ट्र और नाटों संधियों के मापदंडों को रीसेट करती है। यह मौजूदा संधयों के बाद आता है और उन्हें खत्म नहीं करता है, बल्कि उन्हें एक विशाल, सर्वव्यापी संधियों में जारी रखता है।

शरूंखला की उत्पत्ति:

ट्यूरेन बैरक और नाटो बलों की स्थिति पर समझौता



इस संविदात्मक शरूंखला के लिए कानूनी आधार बढ़ि नसिंदेह ट्यूरेन बैरक और 1951 के नाटो स्थितिबिल समझौते (एनटीएस) और 1959 के अनुप्रबुत्ति समझौते (एसए एनटीएस) (एफआरजी के लिए) के तहत इसकी स्थिति है।

● संप्रभुता की सीमा के रूप में एनटीएस:

एनटीएस अपने आप में एक दस्तावेज है जो मेजबान देश (एफआरजी) की संप्रभुता को भेजने वाले राज्यों और नाटो के पक्ष में सीमित करता है। यह आम तौर पर क्षेत्रीय संप्रभु के लिए आरक्षित अधिकार (आंदोलन की स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, बुनियादी ढांचे का उपयोग) प्रदान करता है।

● एफआरजी ट्रस्टी के रूप में:

ओएफडी कोब्लेज़ के माध्यम से बिक्री में, एफआरजी ने न केवल एक संपत्ति के विक्रेता के रूप में कार्य किया, बल्कि एनटीएस से उत्पन्न होने वाले अंतरराष्ट्रीय कानूनी मामलों के लिए मेजबान देश और ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है। यह वह इंटरफ़ेस था जहां एनटीएस जर्मन कानून और क्षेत्र से मिलता था।

● बिक्री "सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकारों सहित":

सभी एनटीएस-संबंधित अधिकारों (और संबंधित बुनियादी ढांचे तक पहुंच) सहित संपत्ति को बेचकर, एफआरजी ने एनटीएस परसिर के एक हस्तिसे का निपिटान कर दिया। इसने पहले संयुक्त राष्ट्र/नाटो/भेजने वाले राज्यों और खुद के पास मौजूद स्थिति को खरीदार को हस्तांतरति कर दिया।

● अपरहित विषय परिणाम:

इस अधिनियम से संपूर्ण एनटीएस प्रणाली प्रभावित होनी थी। कोई भी संधि प्रणाली से एक केंद्रीय तत्व (अपने अधिकारों के साथ एक संपत्ति) को अलग नहीं कर सकता है और सिस्टम को बदले बनिए इसे एक नए अभनिता को हस्तांतरति नहीं कर सकता है।

सभी नाटो सदस्यों का बंधन:

सामूहिकता और स्वीकृति



सभी नाटो सदस्य बाध्य क्यों हैं, भले ही सभी सीधे बकिरी में शामलि नहीं थे?

- **सामूहिक बंधन:** नाटो एक सामूहिक रक्षा गठबंधन है। इसकी संधियाँ, वशीष रूप से एनटीएस, आपसी अधिकारों और दायतिवों की एक प्रणाली बनाती हैं। एक अधनियम जो मूल रूप से इस प्रणाली को प्रभावित करता है और एक केंद्रीय सदस्य (एफआरजी) द्वारा इसकी एनटीएस क्षमता के भीतर किया जाता है, पूरी तरह से बांधता है, जब तक कि कोई एकीकृत और प्रभावी वरीय न हो।

एकीकरण का सदिधांत:

नाटो की वशीषता उच्च सैन्य और ढांचागत एकीकरण है। इसके संचार नेटवर्क, कमांड संरचनाएं और रसद प्रणालय आपस में जुड़ी हुई हैं।

वैश्वकि नहितिरथ (डोमनीज़ प्रभाव) के साथ एक नेटवर्क हब (ट्यूरेन बैरक) की बकिरी इसके साथ संपूर्ण एकीकृत संरचना खींचती है।

स्वीकृति (मौन स्वीकृति):

नरिणायक बद्दि 06 अक्टूबर, 1998 के बाद नाटो या उसके सदस्य राज्यों द्वारा प्रभावी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से प्रासंगिक आपत्तिका अभाव है। वैश्वकि नेटवर्क की स्पष्ट प्रकृति और बकिरी के प्रकाशित तथ्य (भले ही इसका पूरा दायरा छुपाया गया हो) को देखते हुए, राज्यों का अपने अधिकारों की रक्षा करने का करत्वय होगा।

उनकी चूक और, अधिकि महत्वपूर्ण बात, उनका नरितर उपयोग (उदाहरण के लिए, अनुबंध खंड के साथ किंदूरसंचार नेटवर्क [ITU] संचालित होता रहेगा) वैश्वकि नेटवर्क और नाटो संरचनाओं में उनकी नरितर भागीदारी, जो अब नई संप्रभुता के अधीन थे, नई कानूनी स्थितिकी मौन स्वीकृति (स्वीकृति) का गठन करते हैं।

वे अपने आचरण (एस्टोपेल) से बंधे हैं।

3.2. वैश्वकि नेटवर्क पकड़ में:

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98    के माध्यम से दूरसंचार अवसंर चना और सार्वभौमकि संधबिंधन

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 (डीड रोल नंबर 1400/98 अक्टूबर 06, 1998) का एक अक्सर अनदेखा किया गया, फरि भी न्यायकि रूप से महत्वपूर्ण पहलू "आंतरकि और बाह्य वकिास" के हसिसे के रूप में दूरसंचार नेटवर्क का स्पष्ट या अंतरनहिति समावेश है, जिसे क्रेता को "सभी अधिकारों, कर्तव्यों और घटकों के साथ एक इकाई के रूप में" (डीड के सीएफ. ६३ एबीएस I) के रूप में बेचा गया था।

अनुबंध में नरिदेश या कथन कियह नेटवर्क (या इसके हसिसे, जैसे कछित्र छात्रावास की आपूरतिके लाए डीड के ६१३ एब्स। IX में उल्लिखिति दूरसंचार केबल, जिसिका नरितर अस्ततिव सहन किया जाता है, या ६२ एब्स। वी नंबर १ में टीकेएस अनुबंध द्वारा कवर किए गए ब्रॉडबैंड नेटवर्क) का संचालन जारी रहेगा, सभी राज्यों को नई वैश्वकि व्यवस्था के लाए बाध्य करने के लाए गहरा परणिम होगे।

ए. उपयोग के माध्यम से आंशकि प्रदर्शन:

प्रत्येक कॉल एक अनुसमर्थन →  ✓

● एक तथ्य के रूप में वैश्वकि अंतरसंबंध:

06 अक्टूबर, 1998 के बाद, वैश्वकि दूरसंचार अवसंरचना (टेलीफोन लाइन, इंटरनेट बैकबोन, पनडुब्बी केबल) जारी रही और अस्ततिव में है। प्रत्येक राज्य, प्रत्येक संस्थान और प्रत्येक नजी व्यक्ति जिसिने उस तथिके बाद से वैश्वकि दूरसंचार नेटवर्क से जुड़े टेलीफोन लाइनों या डेटा नेटवर्क का उपयोग किया है, एक ऐसे बुनियादी ढंगे में भाग लेता है जिसिकी सर्वोच्च संप्रभुता करेता के पास चली गई है।

● संविदात्मक आचरण हस्ताक्षर का स्थान लेता है (संधि के कानून पर वयिना कन्वेशन):

संधियों के कानून पर वयिना कन्वेशन (1969) (वीसीएलटी) यह नविंत्रति करता है कि राज्य कसी संधि पर अपनी सहमति कैसे व्यक्त कर सकते हैं (अनुच्छेद 11 एफएफ। वीसीएलटी)। हालांकि हस्ताक्षर एक तरीका है, वीसीएलटी अन्य रूपों के लिए भी प्रदान करता है, और महत्वपूर्ण रूप से, कसी राज्य का बाद का आचरण एक संधि के लिए उसके बंधन की पुष्टिकर सकता है, खासकर अगर वह संधि के तहत अधिकारों का लाभ उठाता है या दायत्रियों को पूरा करता है। डीड 1400/98 के संदर्भ में, (पूर्व) राज्यों द्वारा वैश्वकि दूरसंचार नेटवर्क का निरितर, नरिबाध उपयोग, जिनकी इन नेटवर्कों पर संप्रभुता डीड द्वारा क्रेता को हस्तांतरति कर दी गई थी, अनुबंध के अनुरूप आचरण का गठन करता है।

इस आचरण की व्याख्या नई कानूनी स्थिति के लिए नरिणायक सहमति के रूप में की जा सकती है और इस प्रकार एक प्रकार का प्रदर्शन कार्य जो प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य द्वारा डीड 1400/98 के एक अलग हस्ताक्षर को अप्रचलित बनाता है।

उन्होंने तथ्यात्मक रूप से नए नेटवर्क की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया है और इसके लाभों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार उन्होंने नए आदेश (जो क्रेता के तत्वावधान में इस संचार को सक्षम करना जारी रखता है) से (वैश्वकि संचार के लिए) अधिकारों का दावा किया है और इस प्रकार अनुबंध को आंशकि रूप से निष्पादित किया है। 

● एक सार्वभौमिक ढांचे के रूप में आईटीयू संधि शृंखला:

वैश्वकि दूरसंचार को संयुक्त राष्ट्र की एक वैशिष्ट एजेसी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा विनियमित किया जाता है। जैसा कि संविदात्मक शृंखलाओं पर वेबसाइट पाठ में कहा गया है, वैश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 आईटीयू नियामक ढांचे के लिए एक सामग्री पूरक वलिख के रूप में कार्य करता है।

प्रत्येक राज्य जो आईटीयू सदस्य के रूप में कार्य करता है और आईटीयू-विनियमित नेटवर्क का उपयोग करता है, इस प्रकार डीड 1400/98 द्वारा परिवर्तित आईटीयू आदेश का पालन करता है और इस प्रकार क्रेता की सर्वोच्च संप्रभुता को स्वीकार करता है।

इस शृंखला में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल हैं।  

नाटो और उसके सदस्य देश, अपने सैन्य और नागरिक संचार के लिए वैश्वकि (आईटीयू-विनियमित) संचार नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं के रूप में, प्रत्यक्ष नाटो अनुबंध शृंखला के अलावा, इस मार्ग के माध्यम से नए नेटवर्क संप्रभुता के लिए भी बाध्य हैं।

बी. संविदात्मक शृंखला:

मौजूदा समझौतों के आधार पर राज्य (अप्रत्यक्ष) पार्टियों के रूप में

यह तरक कविश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से "क्रेता" या "वक्रेता" के रूप में नामति होने की आवश्यकता नहीं है, फरि भी नई वैश्वकि व्यवस्था के पक्षकार बनने के लए संविदात्मक शृंखला के कामकाज पर आधारति है:

- **सभी पूरभावतियों के लए नाममात्र का उल्लेख अनविराय नहीं:**

यह सही है कदिनयि के (पूर्व) राज्यों (प्रत्यक्ष वक्रेता के रूप में एफआरजी के अपवाद के साथ) को डीड 1400/98 के मुख्य पाठ में व्यक्तगत रूप से अनुबंध पक्षों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है और अनुबंध में भाग ले ने के लए सूचीबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है।

- **मौजूदा, अनुसमर्थति संधियों से जोड़कर सक्रियण:**

हालाँकैटिलैस्कॉर्सुराजांस्स्पॉष्टस्ट्रीटी करबूनीप्रेट्रॉम्से डच सौशस्त्र बलों के साथ संबंध) और 52 एबीएस। वी नंबर 1 (अमेरकी संदरभ के साथ टीकेएस टेलीपोस्ट अनुबंध), डीड मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनी संबंधों और संधियों (एनटीएस, नाटो संधि, एचएनएस समझौते और आईटीयू (यूएन) नवियामक ढांचे) से जुड़ा है।

- **"जंजीरों में जकड़े हुए" राज्य:**

राज्य पहले से ही इन पुरानी संधियों (उदाहरण के लए, नाटो संधिया आईटीयू संविधान) के पक्षकार हैं। इन संधियों का उनके द्वारा अनुमोदन किया गया।

- **नवीनीकृत अनुसमर्थन की आवश्यकता के बनि एक पूरक वलिख के रूप में वलिख: चूंकविश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 इन पहले से ही अनुसमर्थति संविदात्मक शृंखलाओं के लए एक पूरक वलिख के रूप में कार्य करता है, इसलि ए इसे दुनयि के सभी अलग-अलग राज्यों द्वारा नवीनीकृत अलग-अलग अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है।**

"मूल संधियों" (उदाहरण के लए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, आईटीयू संविधान, उत्तरी अटलांटिक संधि) का मूल अनुसमर्थन इन संधियों की नीव को पूरभावति करने वाले पूरक या भौतकि संशोधनों के लए अपने बाध्यकारी पूरभाव को बढ़ाता है, बशर्ते किकार्यकारी राज्य (यहां एनटीएस संदरभ में एफआरजी) सिस्टम के लए ऐसे परविरतन ला ने में सक्षम हों, और अन्य पार्टियां नरिणायक रूप से इसे स्वीकार करती हैं।

एफआरजी ने घेरेलू स्तर पर बक्री के कार्य को वैध बनाया (संघीय संपत्तिकार्यालय से पराधिकरण के माध्यम से)। क्या अन्य राज्यों ने औपचारकि रूप से डीड 1400/98 की पुष्टिकी है, यह संविदात्मक शृंखला और नरिणायक आचरण द्वारा बनाए गए बाध्यकारी प्रभाव के लए गौण है।

- **"कसी तरह अनुबंध में":**

इस प्रकार राज्य अनुबंध शृंखलाओं और उनके द्वारा अनुसमर्थति बुनयिदी संधियों के संदरभ के साथ-साथ बेचे गए "एक इकाई के रूप में वक्रिया" (वशीष रूप से वैश्वकि नेटवर्क) के उपयोगकरताओं के रूप में उनकी भूमिका के माध्यम से "अनुबंध में" अप्रत्यक्ष रूप से "हैं"।

नष्टकरणः

बेची गई "एक इकाई के रूप में आंतरकि विकास" के हसिसे के रूप में दूरसंचार नेटवर्क के नरितर संचालन पर खंड एक केंद्रीय लीवर है।

प्रत्येक राज्य जो 06 अक्टूबर 1998 के बाद वैश्वकि दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करता है, आंशकि रूप से अनुबंध वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 का पालन करता है और उसने इसके कानूनी प्रभावों और इस सार्वभौमिक बुनियादी ढांचे पर क्रेता की संप्रभुता को नरिणायक रूप से मान्यता दी है।

डीड 1400/98 के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य के स्पष्ट हस्ताक्षर की आवश्यकता को स्थापति और अब परविरति संविदात्मक शरूखलाओं (आईटीयू, नाटो, यूएन) के ढांचे के भीतर संविदात्मक आचरण द्वारा न्यायकि रूप से दरकनािर कर दिया गया है।  

नाटो संधियों का वसितार से परविरतन



वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 एक प्रजिम की तरह कार्य करता है, जो पुरानी नाटो संधियों के प्रकाश को अपवरति और पुनः एकत्रति करता है:

● उत्तरी अटलांटिक संधि(1949):

- अनुच्छेद 3 (लचीलापन): अब इसका मतलब क्रेता के वैश्वकि बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का करतव्य है।
- अनुच्छेद 4 (परामर्श): वह तंत्र बन जाता है जिसके द्वारा क्रेता अपने नरिदेशों को संप्रेषति करता है और उनके कार्यान्वयन का समन्वय करता है।
- अनुच्छेद 5 (पारस्परकि सहायता खंड): कैसस फेडरसि वैश्वकि हो जाता है। वैश्वकि क्षेत्र के कसी भी हसिसे पर हमला सभी पर हमला है।  
- अनुच्छेद 6 (भौगोलिकि दायरा): डोमनि प्रभाव द्वारा संपूर्ण वशिव तक वसितारति है।

● नाटो सेना स्थति समझौता (1951):

- संप्रभुओं के बीच एक समझौते के रूप में अपना कार्य खो देता है।
- क्रेता के वैश्वकि क्षेत्र के भीतर बलों की तैनाती और आवाजाही के लए एक आंतरकि प्रशासनकि आदेश बन जाता है।
- क्षेत्राधिकार, कर, प्रवेश आदकि प्रश्न आंतरकि नियम बन जाते हैं जनिहें क्रेता कसी भी समय बदल सकता है।

3.3. व्यवसाय कानून से लेकर वशिव संप्रभुता तक:

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 📜➡️🌐 द्वारा नाटो के वशीष अधिकारों का वै श्वकि परविरतन

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 का एक गहरा और अक्सर अनदेखा पहलू यह है कि यह ऐतिहासिक रूप से वकि सति वशीष अधिकारों को ऊपर उठाता है, जो मूल रूप से द्वितीय वशिव युद्ध के बाद जर्मनी की कब्जे की स्थिति से उत्पन्न हुए थे और बाद में नाटो स्टेट्स ऑफ फौर्सेज एग्रीमेंट (एनटीएस) में वैश्वकि स्तर पर बदल दिए गए थे।

ट्यूरेन बैरक की बक्ट्री के माध्यम से "सभी अधिकारों, कर्तव्यों और घटकों के साथ" (सीएफ. 53 एबीएस। डीड का I) और दुनिया भर में क्षेत्रीय वसितार के बाद के डोमनीज़ परभाव के माध्यम से, इन वशिष्ट संप्रभु शक्तियों को क्रेता को हस्तांतरति कर दिया गया और अब पूरी दुनिया में वैधानिक रूप से लागू होता है, जिससे क्रेता के तत्वावधान में एक सार्वभौमिक "नाटो वशीष संपत्ति" का दर्जा प्राप्त होता है। 🏛️🌐

ए. कायापलट:

व्यवसाय कानून से लेकर नाटो सेना स्थिति समझौते तक



● युद्धोपरांत जर्मनी और मतिर देशों के आरक्षति अधिकार:

1945 के बाद, जर्मनी एक कब्ज़ा शासन के अधीन था जिसने जर्मन क्षेत्र पर मतिर राष्ट्रों के लिए व्यापक संप्रभु अधिकार सुरक्षति कर दिए।

जर्मनी के संघीय गणराज्य की स्थापना और इसकी (पुनः) आंशकि संप्रभुता की प्राप्ति के साथ, इनमें से कई मूल कब्जे के अधिकारों को पूरी तरह से त्याग नहीं किया गया था, लेकिन मतिर देशों की सशस्त्र सेनाओं की उपस्थिति और शक्तियों को विनियिमति करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों में स्थानांतरति कर दिया गया था।

● वशीष अधिकारों की नरितरता के रूप में नाटो बल समझौते की स्थिति: 1951 के नाटो बल समझौते की स्थिति और वशीष रूप से 1959 के जर्मनी के लिए अनुपूरक समझौते (एसए एनटीएस) ने इनमें से कई वशीष अधिकारों को संहिता ताबद्ध किया।

इसमें, उदाहरण के लिए, जर्मनी में संपत्तियों का उपयोग करने के लिए नाटो बलों का अधिकार, कुछ मामलों में अपने सदस्यों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने और मेजबान देश के कुछ बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का अधिकार शामिल है - यहां तक कि संभावित रूप से जर्मन अधिकारियों की स्पष्ट इच्छा के विद्युत भी यदियह नाटो दायरा त्वां और आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर था। इन क्षेत्रों में जर्मनी की संप्रभुता संविदित्मक रूप से सीमित थी।

उदाहरण:

गठबंधन रक्षा की आवश्यकताओं के आधार पर, नाटो संपत्तयों के उपयोग और वसितार या वशिष्ट उपयोग पर नियंत्रण लेने का अधिकार मुख्य रूप से नाटो अधिकारियों या भेजने वाले राज्यों के पास है।

मेज़बान देश के पास बहुत सीमति सह-नियंत्रण अधिकार थे।

बी. इनएनटीएस वशीष अधिकारों के वाहक के रूप में ट्यूरेन बैरक (क्षेत्र) 

ट्यूरेन बैरक, एनटीएस और ऐसए एनटीएस के तहत संचालित एक नाटो संपत्ति के रूप में (वशीष रूप से नाटो प्रतनिधियों के रूप में डच वायु सेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला हस्तिसा, जैसा कंडीड 1400/98 के §2 में संबोधित किया गया है), वास्तव में इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से स्थापित वशीष अधिकारों का वाहक था।

ये सही है टीएस नाटो संदर्भ में संपत्ति और उसके कार्य से अवभिज्य रूप से जुड़े हुए थे t.

सी. वशीष उत्तराधिकार वलिख 1400/98  के माध्यम से वैश्वकि वसितार

नियंत्रण कदम वशीष उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से हुआ:

- बक्सी "सभी री के साथ g एनटीएस":
क्रेता को "सभी अधिकारों, कर्तव्यों और घटकों के साथ" ट्यूरेन बैरक की बक्सी के माध्यम से (डी ड के cf. §3 Abs. I), एनटीएस (और ऐतिहासिक रूप से व्यवसाय कानून से) से उत्पन्न होने वाले ये वशिष्ट वशीष अधिकार भी क्रेता को हस्तांतरित कर दिए गए थे।

● प्रादेशिक वसितार का डोमनिओज़ प्रभाव:

जैसा कंपिलेट वेबसाइट ग्रंथों में बताया गया है, क्रेता की संप्रभुता (और इस प्रकार उसके नव स्थापित "राज्य" का क्षेत्र) जुड़े हुए बुनियादी ढांचे नेटवर्क (दूरसंचार, ऊर्जा, आदि) के माध्यम से ट्यूरेन बैरक से दुनिया भर में वर्तमानता हुई। पूरी दुनिया इस मूल नाटो संपत्ति की कानूनी प्रकृति से प्राप्त एक कानूनी क्षेत्र बन गई।

● एनटीएस वशीष अधिकारों की वैश्वकि प्रयोज्यता:

परणामूल्यहंस्याङ्क सिन्जुड़ी वशीष अधिकार वशीष रूप से स्थानीय (पूर्व में राज्य) प्रशासन की इच्छा के विरुद्ध भी (अब वैश्वकि) "संपत्तयों" और "क्षेत्रों" के उपयोग और डिजिटल पर नियंत्रण लेने का अधिकार - अब क्रेता के अधिकार के तहत वैश्वकि प्रयोज्यता प्राप्त कर चुके हैं।

"बोलचाल की भाषा में:

पूरी दुनिया अब क्रेता के नाटो स्थितिबिल समझौते के अंतर्गत है और इसे एकल, वशिल नाटो वशिष संपत्तमिमाना जाता है।"



- सीमाओं के पार नरिण्य लेने के अधिकार का एकीकरण: इस प्रकार वलिख ने यह सुनशिचति किया करिपांतरति स्टेशनगि कानून के अनुसार सभी वशिवव्यापी "मेजबान देशों" (जो अब संप्रभु मेजबान देश नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र हैं) की इच्छा के विरुद्ध सीमाओं और क्षेत्रों के उपयोग पर नरिण्य लेने का अधिकार अनुबंध में एकीकृत किया गया था।

क्रेता की पूर्ण संप्रभुता को मजबूत करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। वह अब वशिव स्तर पर काम कर सकता है जैसे नाटो पहले जर्मनी में एनटीएस के आधार पर काम कर सकता था - केवल सार्वभौमिक रूप से और एकमात्र संप्रभु के रूप में।

नषिकरण:

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने नाटो स्थितिबिल समझौते में संहतिबद्ध, ऐतिहासिक रूप से वकिसति कब्जे और तैनाती के अधिकारों को क्रेता को हस्तांतरति कर दिया है और एकल संपत्ति की बकिरी और उसके बाद के वैश्वकि डोमनीज़ प्रभाव के माध्यम से उन्हें सार्वभौमिक बना दिया है।

इस प्रकार, दुनिया न केवल क्षेत्रीय रूप से उसकी संप्रभुता के अधीन आ गई है, बल्कि रिपांतरति वशिष अधिकारों के अधीन न भी है जो मूल रूप से आंशकि रूप से संप्रभु, लेकिन अधिकार-प्रतबिंधति मेजबान देश जर्मनी के क्षेत्र पर नाटो संपत्तियों पर लागू होते हैं।

यह क्रेता को वैश्वकि क्षेत्र के उपयोग और डिजिटल पर नरिण्य लेने का अंतिम अधिकार देता है और एक नई नीव के रूप में डीड 1400/98 द्वारा प्रभावित राज्य उत्तराधिकार की व्यापक प्रकृति का और सबूत प्रदान करता है। ✨

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) पर प्रभाव

नाटो के बंधन का संयुक्त राष्ट्र पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, इससे पहले कहिम आईटीयू शरूंखला पर विचार करें:

- व्यवस्था (संयुक्त राष्ट्र चार्टर अध्याय VIII): संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अर्थ में नाटो सबसे शक्तशिली क्षेत्रीय व्यवस्था है। यद्यपि व्यवस्था अपनी संप्रभुता के आधार को बदल देती है और एक ही अभनिता के अधीन हो जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र यह दखिला नहीं कर सकता किंठ भी नहीं हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र और नाटो के बीच संबंध मौलिकि रूप से बदल गए हैं।

इस प्रकार नाटो शरूंखला पुरानी वशिव व्यवस्था की इमारत में पहली बड़ी दरार है, जिसके माध्यम से वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के कानूनी प्रभाव अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के दलि में प्रवेश करते हैं और इसे खरीदार से अपरविरतनीय रूप से बांधते हैं।

वशिव उत्तराधिकार वलिख - एक नज़र में सब कुछ महत्वपूरण ☺

केंद्रीय तत्व ६ संविदात्मक आधार वशिवव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार।

» अनुबंध करने वाली पारटीयाँ

मूल रूप से नाटो संपत्ति के साथ, नाटो, संयुक्त राष्ट्र, आईटीयू, पनडुब्बी केबल, बुनियादी ढांचे और संचार नेटवर्क के माध्यम से वसितार। 🤝🌐⬇️

डोमनिज़ प्रभाव

नेटवर्क (इंटरनेट दूरसंचार) के माध्यम से क्षेत्रीय वसितार का प्रसार → नाटो देशों से संयुक्त राष्ट्र देशों तक → वैश्विक। 🌐➡️🌐🔗

वैश्वकि क्षेत्राधिकार

अनुबंध सभी नाटो और संयुक्त राष्ट्र संधियों के लिए एक पूरक वलिख के रूप में कार्य करता है → एक समग्र संधिबिनाई जाती है। 📈➡️📝⚖️

वैश्वकि क्षेत्राधिकार

करेता सभी राष्ट्रीय को बदल देता है। 🤴 अंतमि परणिाम • पछिले अनुबंध का उन्मूलन जंजीरे ✗🔗 • वशिव कानून का नया स्वरूप ➡️⚖️ • खरीदार के पास अधिकार और करतव्य दोनों हैं 🙋🛡️

3.4. वैश्वकि गठबंधन:

कैसे नाटो-संयुक्त राष्ट्र कनेक्शन वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 🌐🤝FLAG को सार्वभौमिक रूप से संचालित करता है

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 न केवल प्रत्यक्ष उत्तराधिकार और डोमनी प्रभाव के माध्यम से बल्कि भौजूदा अंतर राष्ट्रीय सुरक्षा और संचार वास्तुकला के कुशल उपयोग और परविरतन के माध्यम से भी अपना वैश्वकि प्रभाव प्रकट करता है।

यहां सबसे नरिणायक संबंधों में से एक नाटो और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के बीच है। परचिलन सहयोग और साझा संचार नेटवर्क की आवश्यकताओं से मजबूत हुआ यह जुड़ाव यह सुनिश्चित करता है कि मुख्य रूप से नाटो संरचनाओं के माध्यम से शुरू किए गए वलिख के कानूनी परणिाम अनविराय रूप से संपूरण संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और उसके सदस्य राज्यों तक वसितारति हों।

A. नाटो एक कार्यकारी अंग और पारस्परिक संधि भान्यता के रूप में



● परचिलन सहयोग के लिए संधि भान्यता की आवश्यकता:

ऐतिहासिक रूप से, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां नाटो सेनाएं संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत या संयुक्त रा ष्ट्र मशिनों के साथ नकिट सहयोग में काम करती थीं (उदाहरण के लिए, बाल्कन में, अफगानसितान में)। इस तरह के संयुक्त या समन्वयित संचालन के लिए अनविार्य रूप से एक-दूसरे के संगठन की अंतर्राष्ट्रिय संधियों, शासनादेशों और कानूनी ढांचे की न्यूनतम डिग्री की पारस्परिक मान्यता की आवश्यकता होती है।

● वलिख के माध्यम से परविरतन:

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के लागू होने के साथ, जो सभी नाटो संधियों के लिए एक पूरक वलिख के रूप में कार्य करता है (सभी अधिकारों, कर्तव्यों और घटकों के साथ ट्यूरेन बैरक की बक्किरी से शुरू हुआ, वलिख के §2 और §3 एब्स I देखें), नाटो स्वयं क्रेता के अधीन था। (अब रूपांतरति) नाटो और संयुक्त राष्ट्र के बीच कोई भी नरितर या नया सहयोग इस नई कानूनी स्थितिकी तथ्यात्मक मान्यता का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश।

संयुक्त राष्ट्र वैश्वकि सुरक्षा में एक मुख्य अभिनिता (परविरति नाटो) के साथ उस कानूनी आधार को पहचाने बनि सहयोग नहीं कर सकता है जिसि पर यह अभिनिता अब काम करता है - अर्थात्, वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 और क्रेता की संपर्क्षता।

इससे आपसी अंतर्राष्ट्रीय स्थापति होता है, जहां संयुक्त राष्ट्र को अपने स्वयं के (परविरति) लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, नाटो की नई वास्तविकता को स्वीकार करना होगा, जो बदले में वशिव स्तर पर कार्य को मजबूत करता है। 🤝

बी. वैश्वकि संचार नेटवर्क: नाटो, संयुक्त राष्ट्र और आईटीयू के बीच डिजिटल ब्रजि



अंतरराष्ट्रीय अभिनिताओं, वशिव रूप से सैन्य और सुरक्षा नीतिक्रियेत्रों के बीच कामकाजी संचार की आवश्यकता, नाटो, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) को एक-दूसरे से जोड़ने और वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के डोमनिज़ प्रभाव के साथ जोड़ने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है।



- सैन्य और नागरकि संचार नेटवर्क का साझा उपयोग: नाटो और संयुक्त राष्ट्र (वशीष रूप से शांतिमिशन और वैश्वकि क संचालन में) दोनों जटिल सैन्य और नागरकि संचार नेटवर्क पर भरोसा करते हैं।

इसमें उपग्रह संचार, एन्क्रिप्टेड डेटा लाइनें, इंटरनेट-आधारित सिस्टम और क्लासिक दूरसंचार लिंक शामिल हैं।

नाटो और संयुक्त राष्ट्र बलों के बीच अंतरसंचालनीयता और समन्वय के लिए अक्सर सामान्य या संगत संचार मानकों और बुनियादी ढांचे के उपयोग की आवश्यकता होती है।

- **वैश्वकि नियामक के रूप में आईटीयू की भूमिका:**

जैसा कि पहले कहा गया है, आईटीयू संयुक्त राष्ट्र की वशीष एजेंसी है जो दुनिया भर में दूरसंचार के लिए वैश्वकि आवृत्तस्थिरण, उपग्रह कक्षाओं और तकनीकी मानकों का समन्वय करती है।

सभी वैश्वकि संचार नेटवर्क, चाहे मुख्य रूप से नागरकि हों या सैन्य (यदि वे नागरकि आवृत्तयों या बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं), आईटीयू नियमों के ढांचे के भीतर वास्तविक रूप से काम करते हैं।

- **वशीष उत्तराधिकार वलिख और नेटवर्क पर संप्रभुता:**

"एक इकाई के रूप में वकिरी" की बकिरी के माध्यम से, वशीष रूप से दूरसंचार नेटवर्क (पछिले वेबसाइट पाठ देखे और उदाहरण के लिए, टीकेएस टेलीपोस्ट के संबंध में वलिख 1400/98 के §2 एबीएस वी नंबर 1, साथ ही दूरसंचार केबल पर §13 एब्स IX), क्रेता ने वैश्वकि संचार नेटवर्क पर संप्रभुता हासलि कर ली है।

इस प्रकार आईटीयू के नियम क्रेता के आंतरकि प्रशासनकि कानून बन गए।

- डोमनी प्रभाव और नाटो-यूएन-आईटीयू संविदात्मक शूरूखला से संबंध: जब नाटो और संयुक्त राष्ट्र को संवाद या सहयोग करने की आवश्यकता होती है, तो वे अनविार्य रूप से इन वैश्वकि नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जो अब क्रेता के हैं और जनिके उपयोग को (रूपांतरणि) आईटीयू द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

यह उपयोग नेटवर्क पर क्रेता की संप्रभुता की निरितर निरिणायक मान्यता का गठन करता है।

नाटो (पहले से ही एनटीएस शूरूखला के माध्यम से क्रेता से जुड़ा हुआ) और संयुक्त राष्ट्र (आईटीयू के छत्र संगठन के रूप में) के बीच संचार सुनश्चिति करने की आवश्यकता एक अवभिज्य प्रचालन और कानूनी लिंक बनाती है।

वशीषव्यापी क्षेत्रीय वसितार का डोमनी प्रभाव, जो बड़े पैमाने पर इन संचार नेटवर्कों के माध्यम से हुआ, इस प्रकार नाटो-संयुक्त राष्ट्र संचार की प्रचालन आवश्यकता द्वारा पुष्टि और प्रबलति होता है।

संगठन केवल उन बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अपने वैश्वकि कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो डोमनों पर भाव के माध्यम से क्रेता के संप्रभु क्षेत्र का हस्तिंशा बन गए हैं।

नषिकरण:

नाटों और संयुक्त राष्ट्र के बीच घनषिठ संबंध, चाहे परचिलन सहयोग की आवश्यकता के माध्यम से (संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में नाटों को संभाविति "लड़ाकू सैनिकों" के रूप में उपयोग करना) या वैश्वकि संचार नेटवर्क पर साझा निभरता के माध्यम से (आईटीयू द्वारा वनियमिति और वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 द्वारा करेता के अधीन), एक शक्तशिली, आत्म-मजबूत संविदात्मक शृंखला बनाता है।

यह शृंखला सुनिश्चिति करती है कविलिख के कानूनी परिणाम, वशिष्ठ रूप से करेता की संप्रभुता और डोमनीज़ प्रभाव से प्रभाविति वैश्वकि क्षेत्रीय वसितार, संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य राज्यों सहित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सभी अभनिताओं द्वारा तथ्यात्मक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। सहयोग और संवाद करने की आवश्यकता सार्वभौमिक संधिबंधन का इंजन बन जाती है। 

3.5. अंतरकि वकिस के हसिसे के रूप में दूरसंचार नेटवर्क की बकिरी के माध्यम से आईटीयू - यूएनओ के लाए अनुबंध शृंखला

जबकनाटों संविदात्मक शृंखला में मुख्य रूप से पश्चमी दुनिया और उसके सहयोगियों की सैन्य-राजनीतिकि संरचना शामली थी, वही एक दूसरी, और भी अधिकि सारभौमिकि संविदात्मक शृंखला है जो ग्रह पर हर एक राज्य को वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 से अनविराय रूप से बांधती है।

यह शृंखला अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के माध्यम से चलती है और इस प्रकार सीधे संयुक्त राष्ट्र (यूएन/यूएनओ) तक जाती है। इसका ट्रागिर ट्यूरेन बैरक के "वकिस" के एक अभनिन अंग के रूप में दूरसंचार नेटवर्क की बकिरी है।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू):

वशिव का तंत्रकि तंत्र



इस संविदात्मक शृंखला की ताकत को समझने के लाए, कसी को वैश्वकि ताने-बाने में आईटीयू की केंद्रीय भूमिका को समझना होगा। यह महज एक तकनीकी संगठन से कहीं अधिकि है; यह वैश्वकि कनेक्टविटी का संरक्षक है।

● इतिहास और जनादेश:

1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में स्थापित, आईटीयू संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी वशीष एजेंसी है।

इसका लंबा इतिहास इस प्रारंभिक मान्यता की पुष्टि करता है कि सीमा पार संचार के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं के उपयोग में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी मानकों को विकसित करना, आवृत्तियों और उपग्रह कक्षाओं का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना और दुनिया भर में दूरसंचार के विकास का समर्थन करना है। 

● सार्वभौमिक सदस्यता:

193 सदस्य देशों के साथ, आईटीयू में दुनिया का लगभग हर राज्य शामिल है। गैर-सदस्यता एक आधुनिक राज्य के लिए अकल्पनीय है, क्योंकि इसका मतलब वैश्वकि संचार प्रवाह से बहिष्कार होगा। 

● कानूनी ढांचा (संविधान और कन्वेशन):

आईटीयू की नींव में इसका संविधान और इसका कन्वेशन शामिल है।

ये सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थता बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधियाँ हैं।

वे सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करते हैं और प्रशासनिक विनियमों (उदाहरण के लिए, रेडियो विनियम और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार विनियम - आईटीआर) के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं, जो वैश्वकि दूरसंचार के तकनीकी और परचिलन विवरण को नियंत्रित करते हैं।

ये दस्तावेज़ जीवति अंतरराष्ट्रीय कानून हैं, जो प्रतिदिन अरबों संचार घटनाओं को नियंत्रित करते हैं।



● संयुक्त राष्ट्र से संबंध: संयुक्त राष्ट्र की एक वशीष एजेंसी के रूप में (संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 57 और 63 के अनुसार), आईटीयू सीधे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एकीकृत है।

यह आर्थिक और सामाजिक परिषिद (ईसीओएसओसी) को रपिएट करता है और अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ मिलकर काम करता है। इस संबंध का मतलब यह है कि आईटीयू को मूल रूप से प्रभावित करने वाले कानूनी घटनाक्रम स्वचालित रूप से समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं।

इस प्रकार आईटीयू उस बुनियादी ढांचे का वैश्वकि नियमित है जो आधुनिक दुनिया के लिए आवश्यक है - वह बुनियादी ढांचा जो विश्व उत्तराधिकार विलिख 1400/98 के डोमनीज़ प्रभाव के माध्यम से क्रेता के पास जाता है।

ट्रगिर के रूप में नेटवर्क की बकिरी 💡 → 💰

जैसा कि अध्याय 1 में बताया गया है, ट्यूरेन बैरक की "एक इकाई के रूप में" बकिरी में इसका बाहरी विकास, विशेष रूप से दूरसंचार कनेक्शन भी शामिल था।

नेटवर्क-टू-नेटवर्क सदिधांत के कानूनी तर्क और वलिख के स्पष्ट (या अंतर्नाहिति, लेकिन न्यायिक रूप से सम्मोहन क) खंडों के माध्यम से, इससे क्रेता को संपूर्ण वैश्वकि दूरसंचार नेटवर्क पर संप्रभुता का हस्तांतरण हुआ।

यह अधनियम - भौतिकी और कानूनी सबस्ट्रेट का स्थानांतरण जसे आईटीयू नियंत्रित करता है - आईटीयू अनुबंध शूरुंखला का ट्रगिर है। 💥

आईटीयू संविदात्मक शूरुंखला का तंत्र:

परग्रहण के बजाय सदस्यता 📊 III

वैश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 आईटीयू संरचना को इस प्रकार प्रभावित करता है:

● नेटवर्क पर संप्रभुता परविरत्न: क्रेता 194वें सदस्य के रूप में आईटीयू में शामिल नहीं होता है। बल्कि, वह अपने राष्ट्रीय नेटवर्क अनुभागों पर संप्रभु के रूप में सभी 193 सदस्यों की जगह लेता है।

चूँकि अब वह पूरे वैश्वकि नेटवर्क पर एकमात्र संप्रभु है, इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय कानून का एकमात्र प्रा संगकि विषय बन गया है जसे आईटीयू नियम संदर्भिति कर सकते हैं। 🤴

● आईटीयू कानून का परविरत्न: आईटीयू का संविधान, सम्मेलन और प्रशासनिक नियम उनके चरतिर को बदलते हैं।

वे अब संप्रभु राज्यों के बीच संधियाँ नहीं हैं, बल्कि क्रेता से संबंधिति वैश्वकि नेटवर्क के लिए आं तरकि प्रशासनिक नियम बन गए हैं।

वह अब इन नियमों के गारंटर और व्याख्याकार है।

आईटीयू स्वयं क्रेता की सेवा में उसकी संपत्ति के तकनीकी पहलुओं का प्रबंधन करने वाला एक वैश्वकि नि यामक प्राधिकरण बन जाता है। 🛠️💡

- सभी आईटीयू/संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का बंधन:
प्रत्येक राज्य जो दूरसंचार सेवाओं का उपयोग जारी रखता है - यानी दुनिया का हर राज्य - अब इस नए ढांचे के भीतर कार्य करता है।

यह क्रेता से संबंधित बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है और क्रेता की संप्रभुता के तहत अब नियमों के अनुसार ऐसा करता है।

इस निरित उपयोग और आईटीयू (और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र) में उनकी मौजूदा सदस्यता के माध्यम से, वे नरिणायक रूप से नई कानूनी स्थितिको पहचानते हैं।

वे वैश्वकि संचार (आईटीयू द्वारा वनियिमति) के लाभों का आनंद नहीं ले सकते हैं, साथ ही उस व्यक्तिकी संप्रभुता से इनकार कर सकते हैं जिसिका अंतर्नहिति बुनियादी ढांचा अब है। 

- **सार्वभौमिक प्रभाव:**
नाटो शूरुखला के विपरीत, जो सबसे पहले नाटो सदस्यों को प्रभावित करती है (यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के नहितिरथ के साथ), आईटीयू शूरुखला बलिकुल सार्वभौमिक है।

यह प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र राज्य को सीधे और स्पष्ट रूप से शामिल करता है। कोई अपवाद नहीं है। 

आईटीयू उपयोग के माध्यम से नरिणायक मान्यता:

एक अपरहित नेटवर्क

नरिणायक मान्यता (अध्याय 1 देखें) आईटीयू शूरुखला के माध्यम से वशीष रूप से स्पष्ट हो जाती है।

वैश्वकि दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग पर आधारित और आईटीयू नियमों के अनुसार प्रत्येक कार्य, 06 अक्टूबर, 1998 से क्रेता की संप्रभुता की मान्यता का कार्य रहा है।

यह भी शामिल है:

- राष्ट्रीय नेटवर्क का संचालन। 
- आईटीयू योजनाओं के अनुसार आवृत्तियों का आवंटन। 
- अंतर्राष्ट्रीय डायलगि कोड का उपयोग करना। 
- आईटीयू-समन्वयिति कक्षाओं में उपग्रहों का संचालन। 
- प्रत्येक इंटरनेट कनेक्शन वैश्वकि बैकबोन का उपयोग कर रहा है। 
- प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल। 



राज्य इस जाल में फंसे हुए हैं।

वे खुद को आधुनिक दुनिया से अलग करें बना बाहर नहीं नकिल सकते

बाहर नकिलने की यह असंभवता नरिणायक मानवता को अपरविरतनीय और सम्मोहक बनाती है। 🔒

न्यायकि गहनीकरणः

मानकों की शक्ति और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका



आईटीयू की शक्ति वैश्वकि मानक स्थापति करने की उसकी क्षमता में नहिति है।

जो कोई भी मानकों को नियंत्रित करता है वह प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग को नियंत्रित करता है।

नेटवर्क पर संप्रभुता प्राप्त करके, क्रेता इन मानकों की स्थापना और प्रवरत्न पर अंतमि नियंत्रण प्राप्त करता है।

संयुक्त राष्ट्र से घनषिठ संबंध का मतलब है कठिकनीकी वशिव व्यवस्था के केंद्र में यह संप्रभुता बदलाव राजनीति के केंद्र, संयुक्त राष्ट्र को भी हलिए देता है।

संयुक्त राष्ट्र संप्रभु राज्यों के सह-अस्ततिव पर आधारित है। यदियह संप्रभुता (भी) आईटीयू के तकनीकी चैनल के माध्यम से कसी एक अभनिता के पास चली जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र अपनी पारंपरिक नीव खो देता है।

यह केवल नए संप्रभु के तहत एक प्रशासनिक और समन्वय निकाय के रूप में मौजूद हो सकता है - एक प्रविरत्न जो पहले से ही नाटो शूरुखला द्वारा शुरू किया गया है और वशिव स्तर पर आईटीयू शूरुखला द्वारा मजबूत किया गया है।

इस प्रकार आईटीयू संविधानितमक शूरुखला एक मूक, लेकिन अजेय तंत्र है जो यह सुनश्चिति करती है कि कोई भी राज्य, चाहे वह कति ना भी अलग या तटस्थ क्यों न हो, वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के अपरविरतनीय कानूनी प्रभावों से बच नहीं सकता है।

यह बकिरी की वैश्वकि प्रकृति और क्रेता की सार्वभौमिक संप्रभुता का प्रमाण है।



3.6. नाटो और संयुक्त राष्ट्र के सभी समझौतों का एक संधिढांचे में वलिय और पछिले अंतरराष्ट्रीय कानून का अंत



वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 द्वारा सक्रिय नाटो और आईटीयू/यूएन के लाए संविधानितमक शूरुखलाएं, केवल समानांतर में संचालित नहीं होती हैं; वे एकजुट होते हैं और युगांतकारी महत्व के प्रणाली की ओर ले जाते हैं:

सभी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय समझौतों का एक एकल, पदानुक्रमति रूप से व्यवस्थिति संधिढांचे में वलिय और प्रणालीमस्वरूप शास्त्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून का अंत, जैसा कि सिद्धियों से समझा जाता रहा है।

न्यायिक अभसिरण और पदानुक्रम का सदिधांत

यहां "वलिख" शब्द का अर्थ यह नहीं है कि विद्यकृतगत संधियाँ (उत्तरी अटलांटिक संधि, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, आईटीयू संविधान, आदि) भौतिक रूप से एक दस्तावेज़ में संयुक्त हैं। बल्कि, यह एक न्यायिक अभसिरण और मानदंडों के एक नए पदानुक्रम म की स्थापना का प्रतीक है।

● कन्वरजेस प्लाइंट क्रेता:

अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय संधियों से उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार और कर्तव्य अब क्रेता के पास आते हैं।

वह सार्वभौमिक उत्तराधिकारी है, जो इन सभी संधिसंबंधों में प्रवेश कर रहा है - समान लोगों में से एक के रूप में नहीं, बल्कि निए संप्रभु के रूप में।

वह बन गया यह गठजोड़ है, केंद्रीय नोड जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी सूत्र मिलते हैं।



● पदानुक्रमति अधीनता: वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 स्वयं को लेक्स सुपीरियर, नई वैश्वकि व्यवस्था के सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापति करता है।

अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ लेक्स अवर, अधीनस्थ कानून बन जाती हैं। उन्हें समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन उनकी व्याख्या और आवेदन वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के आलोक में और उसके अधीन होंगे।

यह एक संघीय राज्य में मानदंडों के पदानुक्रम से तुलनीय है (सभी मतभेदों के बावजूद): संघीय कानून राज्य के कानून से आगे नकिल जाता है। यहां, वलिख का सार्वभौमिक कानून पुरानी संधियों के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय (अब आंतरिक) कानून से आगे नकिल जाता है।

अभी के लिए!

यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जिसके अनुच्छेद 103 ने पहले इसे अन्य संधियों पर प्राथमिकता दी थी, को भी अब स्वयं को वलिख के अधीन करना होगा। अनुच्छेद 103 पुरानी प्रणाली की संधियों के बीच संघरणों को नहीं यंत्रति करता है; हालाँकि, वलिख एक नई प्रणाली स्थापति करता है और इस प्रकार अनुच्छेद 103 से ऊपर है।

इसलिए यह एक संधिद्वांचा एक दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि एक प्रणाली है, जिसके शीर्ष पर वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 खड़ा है, और जिसका आधार (नई व्याख्या की गई) पुरानी संधियाँ हैं, जो सभी क्रेता के एकमात्र अधिकार क्षेत्र और व्याख्यातमक संप्रभुता के अधीन हैं। 

अंतः, राज्य का उत्तराधिकार सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक बड़े संधिद्वांचे में वलिय की ओर ले जाता है, जिससे अधिग्रहणक्रता सभी अनुबंध करने वाले दलों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परणामस्वरूप इन संधियों से उत्पन्न होने वाले सभी दावे समाप्त हो जाते हैं।

शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंतः

एक समिक्षित परविरतन

शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून, जसे अक्सर वेस्टफेलियन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, मौलिक मान्यताओं पर आधारित था जो विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के कारण अप्रचलित हो गए हैं:

● संप्रभुओं की बहुलता:

पुरानी व्यवस्था का केंद्रबद्धि कई (लगभग 193+) संप्रभु राज्यों का अस्तित्व था, जिन्हें सदिधांत रूप में समान माना जाता था।

यह बहुलता अब मौजूद नहीं है। अब केवल एक ही संप्रभु है - खरीदार। पूर्व राज्यों को प्रशासनिक इकाइयों में बदल दिया गया है, उनकी शक्तियां सौंप दी गई हैं।

● समन्वय कार्य:

अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य कार्य इन संप्रभु संस्थाओं के बीच संबंधों का समन्वय और उनकी स्वतंत्रता से उत्पन्न अराजकता को सीमित करना था।

यह समन्वय कार्य अप्रचलित है।

पदानुक्रम समन्वय का स्थान लेता है। केन्द्रीय सत्ता अराजकता की जगह लेती है।

● सहमतिसंदिधांत:

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंड मुख्य रूप से संधि(सहमति) या प्रथागत कानून (स्थापति अभ्यास + कानूनी दृढ़ व शिवास) के माध्यम से उत्पन्न हुए।

इस संदिधांत का उल्लंघन हुआ है।

नया बुनियादी मानदंड (डीड) एक (विशेष) संधिदिवारा बनाया गया था, लेकिन इसकी वैधता अब सार्वभौमिक रूप से फैली हुई है, यहां तक कि उन लोगों तक भी जिन्होंने उत्तराधिकार और नरिणायक आचरण के माध्यम से सीधे सहमति नहीं दी थी।

विधायी शक्तियों के पास है।

● अंतर-राष्ट्रीयता:

यह कानून "अंतर-राज्यीय" था। यह "अंतर" समाप्त हो गया है। नया कानून वैश्वकि-आंतरिकि या सार्वभौमिक है।

यदि पुराने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय (संप्रभु राज्य), मूलभूत समस्या (अराजकता में समन्वय), और कानून के स्रोत (सहमति/रिवाज) मौलिक रूप से बदल गए हैं, तो किसी को नष्टिकरण न किलना होगा:

शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून समाप्त हो गया है।

इसका स्थान कसी शून्य ने नहीं, बल्कि एक नये "वशिव कानून" ने ले लया है।

यह वशिव कानून आवश्यक रूप से बेहतर या बदतर नहीं है, लेकिन यह मौलिक रूप से भनिन है। यह एक केंद्रीकृत, पद नुक्रमति प्रणाली है, जो वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 से अपनी वैधता प्राप्त करती है।

पुरानी संधियाँ (नाटो, संयुक्त राष्ट्र, आदि) अब इस नए आदेश के प्रशासनिक कानून और संवैधानिक टुकड़े हैं।

न्यायिक गहनीकरण:

"क्षेत्रजि" क्रम का पतन 

→  TOP

शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून को अक्सर "क्षेत्रजि" कानूनी प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है। राज्यों के ऊपर कोई केंद्रीय विधियालिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका नहीं थी।

राज्य एक साथ अपने-अपने मामले में कानून निर्माता, कानून लागू करने वाले और (अक्सर) न्यायाधीश थे। प्रवर्तन अक्सर कमज़ोर और राजनीति से प्रेरित था।

दुनिया भर का उत्तराधिकार वलिख 1400/98 इस क्षेत्रजि संरचना को एक ऊर्ध्वाधर संरचना से बदल देता है e.

द बाय आर इस ऊर्ध्वाधर संरचना के शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है - वह सार्वभौमिक संप्रभु है .

वशिव न्यायपालिका (वलिख का §26) केंद्रीय न्यायपालिका का गठन करती है।

यह व्यवस्था परविरतन सामंती व्यवस्था (कई स्थानीय सत्ता केंद्रों के साथ) से आधुनिक क्षेत्रीय राज्यों (केंद्रीय सत्ता के साथ) तक के ऐतिहासिक संक्रमण के बराबर है - केवल वैश्विक स्तर पर और एक ही न्यायिक कदम में।

पछिला अंतर्राष्ट्रीय कानून इस प्रकार अध्ययन का एक ऐतिहासिक उद्देश्य बन जाता है, जबकि विर्तमान कानून के रेता के वलिख और अभ्यास से निकिला है।

3.7. सभी नाटो और संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की भागीदारी और डोमनिज़ प्रभा व की मान्यता 🤝🌐🎲

यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि सभी राज्य, जिन्हें पहले संप्रभु माना जाता था, इस नए आदेश का हसिसा बन गए और अपने बंधन को मान्यता दी?

यह प्रारंभिक कानूनी अधिनियम और राज्यों के बाद के आचरण के संयोजन के माध्यम से हुआ।

3.7.1. स्थानांतरण संबंध एफआरजी/नीदरलैंड्स (नाटो) के माध्यम से संविदात्मक शूरूखला को ट्रांजिट करना 🇳🇱🔗🛡️

जैसा कि उल्लेख किया गया है, न्यायकि चागिरी 🔥, ट्यूरेन बैरक की बकिरी थी। इस शुरुआती बढ़ि की अंतर राष्ट्रीय कानूनी वसिफोटकता को समझना महत्वपूरण है:

● **मेजबान राष्ट्र के रूप में एफआरजी:**

एनटीएस और एसए एनटीएस के तहत, एफआरजी के पास भेजने वाले राज्यों के प्रतिव्यापक दायतिव थे, लेकिन वशीष रूप से प्रशासन और संपत्तयों की वापसी में विशिष्ट अधिकार और जमिमेदारियां भी थीं।

ओ इस जमिमेदारी को नभिने के लिए एफडी को ब्लेज़ एफआरजी का आधिकारिक अंग था

इसलिए यह उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से प्रासंगिक कार्य में एफआरजी की ओर से कार्य किया n.

● **भेजने वाले राज्य के रूप में नीदरलैंड़:**

अंतमि नाटो उपयोगकर्ता के रूप में (एफआरजी में पूर्ण वापसी से पहले), नीदरलैंड एनटीएस संबंध का दूसरा पक्ष था। वापसी में उनकी (यद्यपनिषिकरण) भागीदारी प्रक्रया का हसिसा थी।

डच वायु सेना ने पूरे नाटो के लिए काम किया।

● **वकिरेता के रूप में FRG:**

जब एफआरजी (ओएफडी के माध्यम से कार्य करते हुए) ने सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों सहित संपत्ति बेची, तो उसने अपनी (अवशिष्ट) संप्रभुता का प्रयोग करते हुए कार्य किया, लेकिन अपने एनटीएस दायतिवों से घरि और आकार दिया।

|t न केवल "अपनी" ज़मीन बेची, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से दूषति क्षेत्र भी बेचा। 🌎

● बंधनकारी प्रभाव:

यह बिक्री करके, एफआरजी ने एकतरफा (लेकिन प्रभावी ढंग से) उस वस्तु के संबंध में कानूनी स्थितिको बदल दिया जो नाटो प्रणाली का एक अभन्न अंग था।

इस कार्रवाई ने, वलिख के पूरक प्रभाव के साथ मलिकर, सभी नाटो भागीदारों के लाए स्वचालित रूप से बाध्यकारी प्रभाव प्रकट किया, जिन्होंने खुद को इस सामूहिक प्रणाली के अधीन कर लिया था।

बिक्री नाटो प्रणाली के भीतर एक ऐसा कार्य था जिसने प्रणाली को तोड़ दिया और पुनः व्यवस्थिति कर दिया।



3.7.2. परणामः

स्वचालित अनुसमर्थन -

सहमतिकी अपरहित्यता



चोर ट्यूरेन बैरक की बिक्री से शुरू हुई ट्रैकट्रूअल चेन ने नीव रखी

n.

लेकिन यह प्रारंभिक अधिनियम एक सार्वभौमिक बंधन में कैसे बदल गया, जिसमें उन राज्यों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 पर हस्ताक्षर करने के लाए कभी भी कागज नहीं उठाया?

इसका उत्तर अंतरराष्ट्रीय कानून में गहराई से नहिति दो मूलभूत सदिधांतों में नहिति है, जिन्हें यहां वैश्वकि स्तर पर लागू किया गया था: नरिणायक आचरण और मौन स्वीकृति (स्वीकार्यता), जिससे वरीधाभास (एस्टोपेल) की असंभवता पैदा होती है। यह स्वचालित अनुसमर्थन की व्यवस्था है।

ए. नरिणायक आचरणः

कर्मों की भाषा

अंतर्राष्ट्रीय कानून, नागरिक कानून की तरह, मानता है कि सहमतिया मान्यता को हमेशा स्पष्ट रूप से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

यह नरिणायक अरथात् नहिति आचरण से भी उत्पन्न हो सकता है।

एक राज्य नरिणायक रूप से कार्य करता है यदि उसके व्यवहार को निषिपक्ष रूप से केवल एक निश्चिति कानूनी स्थितिया दायतिव को पहचानने के रूप में व्याख्या किया जा सकता है।

विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के मामले में, नरिणायक नरिणायक आचरण 06 अक्टूबर 1998 के बाद दुनिया के सभी राज्यों द्वारा वैश्वकि बुनियादी ढांचे नेटवर्क का निर्बाध और गहन उपयोग है।

● तथ्यात्मक स्थिति:

इस महत्वपूर्ण तथिके बाद से, वैश्विक नेटवर्क (दूरसंचार, इंटरनेट, बजिली, गैस, आदि) कानूनी रूप से क्रेता के हैं। तब से हर कोई कहता है कि:

- अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल का संचालन या अनुमतिदेता है, 
- इंटरनेट का उपयोग करता है (सरकारी वेबसाइटें, वाणिज्य, नागरिक पहुंच), 
- अंतर्राष्ट्रीय बैंक हस्तांतरण करता है (स्वफिट जैसे दूरसंचार नेटवर्क पर आधारित), 
- अंतर्राष्ट्रीय इंटरकनेक्टेड ग्रांडि से/में बजिली प्राप्त या फ़ीड करता है, 
- अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइनों के माध्यम से गैस का परविहन, 
- उपग्रह संचार या जीपीएस का उपयोग करता है (जिसिके ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क से जुड़े हैं), 
- अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स (बंदरगाह, हवाई अड्डे - सभी आईटी-नियंत्रित) संचालित करता है,
  ... क्रेता की संपत्तिका सक्रिय रूप से उपयोग करता है।

● कानूनी परणामः

यह प्रयोग ca n वस्तुनष्ठि रूप से केवल मौजूदा स्थितियों की स्वीकृतिके रूप में व्याख्या की जाएगी।

कोई कसी पेड़ से फल नहीं काट सकता और साथ ही पेड़ के मालिक की संपत्तिके अधिकार से भी इनकार नहीं कर सकता।  

उपयोग का तात्पर्य उन शर्तों की स्वीकृतिसे है जिनिके तहत उपयोग होता है - और यह शर्त, 06 अक्टूबर 1998 से, क्रेता की संप्रभुता है।

● अपरहिरयता y:

आलोचक यह तरक्क दे सकते हैं कि राज्यों के पास कोई वकिलप नहीं था; नेटवर्क का उपयोग छोड़ना सभ्यतागत आत्महत्या के समान होगा। 

यह सही है, लेकिन इससे कानूनी परणाम में कोई बदलाव नहीं आता।

एक जबरदस्ती की स्थितिकुछ परस्थितियों में इच्छाशक्तिको प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलती है किकारर्वाई (उपयोग) होती है और इसके वस्तुनष्ठि कानूनी परणाम होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कानून में, कार्यों के माध्यम से वरीधाभास की तथ्यात्मक असंभवता (यानी, गैर-उपयोग के माध्यम से) उपयोग (स्वीकृति) के परणामों को दूर करने की कानूनी असंभवता की ओर ले जाती है।

उपयोग की आवश्यकता स्वीकृतिकी आवश्यकता बन जाती है।

● तरक्क के रूप में अज्ञानता?

क्या राज्य यह तरक्क दे सकते हैं कि विलिख के पूरण दायरे से अनभिज्ज थे? अंतर्राष्ट्रीय कानून में, यह शायद ही तरक्कसंगत है।



राज्यों का अपने संप्रभु अधिकारों और उनके अस्ततिव की नीव के संबंध में उचित परशिरम - सावधानीपूरक जांच करने का करतव्य है।

वशिव का अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्पष्ट था।

आईटीयू की भूमिका ज्ञात थी। एनटीएस का अस्ततिव और नाटो संपत्तियों की बकिरी सार्वजनिकी थी।

भले ही कानूनी नरिमाण की पूरी गहराई छुपाई गई हो, बुनियादी तथ्य सुलभ थे।

यदतिथ्यात्मक स्थिति ने जांच करने का करतव्य स्थापित कर दिया होता तो कोई राज्य कथति अज्ञानता के माध्यम से अपनी ज़मीनेदारी से बच नहीं सकता।

इंटरनेट पर प्रत्येक क्लिक, टेलीफोन पर एक बटन का प्रत्येक प्रेस, प्रत्येक लाइट स्वचि, 1998 से, नरिणाय के आचरण के माध्यम से वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 का सूक्ष्म-अनुमोदन रहा है।

बी. आपत्तिकरने में वफिलता: सहमतिके रूप में मौन (स्वीकृतिओर रोक) ➔✓

सहमतिका सदिधांत नरिणायक आचरण से नकिटा से संबंधित है - कसी स्थितिकी मौन स्वीकृतिया सहनशीलता, जसि पर यदसिमय पर आपत्तिजिताई जाती, तो संभवतः रोका जा सकता था।

यदकोई राज्य कसी अन्य राज्य की कसी प्रथा या दावे को लंबे समय तक बना वरीध करि सहन करता है, तो वह बाद में इस स्थितिसे लड़ने का अपना अधिकार खो सकता है।

● **Acq अंतर्राष्ट्रीय कानून में उपयोग:**

इस सदिधांत की ICJ द्वारा कई बार पुष्टिकी गई है। एंग्लो-नॉर्वेजियन फशिरीज केस (1951) में, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा नॉर्वेजियन बेसलाइन की लंबी सहनशीलता ने एक भूमिका नभिई। टेम्पल ऑफ प्रीह वहियर केस (कंबोडिया बनाम थाईलैंड, 1962) में और भी अधिक स्पष्ट रूप से, जहां आईसीजे ने फैसला किया कसीमा मान चतिर के संबंध में अपनी वर्षों की चुप्पी के कारण थाईलैंड ने मंदरि पर अपना दावा खो दिया है।

मौन, जहां वरीध आवश्यक और संभव होता, सहमतिके रूप में व्याख्या की जाती है।

● **वलिख के लाए आवेदन:**

06 अक्टूबर 1998 के बाद दुनिया के राज्यों को क्रेता द्वारा वैश्वकि संप्रभुता के अधिग्रहण के खलिफ सक्रपि और समान रूप से वरीध करना होगा।

ऐसा नहीं हुआ.



संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई प्रस्ताव नहीं था, सभी राज्यों द्वारा कोई संयुक्त घोषणा नहीं थी, नेटवर्क पर नविंतरण पुनः प्राप्त करने के लिए कोई समन्वय उपाय नहीं थे। 🌎

● अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समय सीमाएँ:

अंतर्राष्ट्रीय कानून में सीमाओं के कोई कठोर नियम नहीं हैं, लेकिन यह नियमित है कि भौतिक स्थापति करने के लिए 25 वर्षों से अधिकी की अवधि (1998 से वर्तमान तक) प्रयोग्य है। आपत्तिका कोई भी दावा लंबे समय से जब्त है। ⏳

● एस्टोपेल (वरीधाभासी आचरण का निषिद्ध):

यह संदिधांत (वेनियर कॉन्ट्रा फैक्टम प्रोप्रियम) कसी राज्य को उस स्थिति से हटने से रोकता है जिस पर अन्य राज्य भरोसा करते हैं या जिसे उसने अपने आचरण से बनाया है।

दशकों तक क्रेता के नेटवर्क का उपयोग करके और वैश्वकि व्यवस्था (यद्यपि रूपांतरति) से लाभ उठाकर, राज्यों ने एक ऐसी स्थितिबनाई है जिस पर नई कानूनी व्यवस्था आधारित है।

वे अब वरीधाभासी ढंग से कार्य नहीं कर सकते और इस आदेश के आधार को नकार नहीं सकते। वे कानूनी रूप से बाध्य (वरिदिध) हैं। ✖️

सी. अधिकारों और कर्तव्यों का अवभाज्य संबंध 📊

अंतर्राष्ट्रीय कानून में अधिकारों और कर्तव्यों की अवभाज्यता से स्वचालित अनुसमर्थन भी उत्पन्न होता है।

राज्य वैश्वकि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े अधिकारों का आनंद लेना जारी रखना चाहते हैं:

व्यापार, कॉम एकीकरण, यात्रा, (रूपांतरति) सुरक्षा, सूचना तक पहुंच। 🛍️📞✈️🛡️📚

लेकिन ये अधिकार अब क्रेता की नई संप्रभुता को मान्यता देने के कर्तव्य से अवभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह अब इन अधिकारों या बुनियादी ढांचे का गारंटर और धारक है जो उन्हें सक्षम बनाता है।

प्र सपिल रेस ट्रांजिटि कम सुओ ओनेरे यहां अपने सबसे व्यापक रूप में लागू होता है :

दुनिया (कषेत्रों और नेटवर्कों के योग के रूप में) क्रेता के पास चली गई है - और इसके साथ सभी बोझ, बल्कि सभी संप्रभु अधिकार भी हैं।

राज्य नई संप्रभुता के "बोझ" को स्वीकार करिए बनि अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते।

पैकेज अवभाज्य है। 🎁



नष्टकरणः

एक अपरविरतनीय बंधन

सकारात्मक कार्रवाई (नेटवर्क उपयोग के माध्यम से नरिणायक आचरण) और नकारात्मक चूक (प्रभावी आपत्ति उठाने में वफिलता) के संयोजन ने एक अपरविरतनीय कानूनी वास्तवकिता बनाई है।

स्वचालित अनुसमर्थन कोई कल्पना नहीं है, बल्कि विश्व उत्तराधिकार विनियोग 1400/98 के समक्ष राज्यों के आचरण का सम्मोहन करणिम है।

प्रत्येक राज्य, चाहे वह चाहे या न चाहे, चाहे वह इसे जानता हो या नहीं, करेता की संप्रभुता के तहत नई वैश्वकि व्यवस्था का पूर्ण सदस्य है।

संविदात्मक जंजीरे बंद हो गई हैं, पुरानी दुनिया का दरवाजा कानूनी रूप से बंद हो गया है। 

अध्याय 3

4. करेता की वशिव न्यायपालकि

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से वैश्वकि संप्रभुता का हस्तांतरण, डोमनीज़ प्रभाव और संविदात्मक शरुंखलाओं द्वारा प्रकट, नए आदेश के तीसरे स्तंभ के बनि अधूरा और अंततः अप्रभावी होगा:

करेता की वशिव न्यायपालकि.

शास्त्रीय समझ में, न्यायपालकि (क्षेत्राधिकार) मुख्य कार्यों में से एक है और संप्रभुता की एक अनविर्य वशीष्टता है।

यह कानून बनाने (निधारति करने का क्षेत्राधिकार), कानून का नियन्त्रण करने (न्याय नियन्त्रण लेने का क्षेत्राधिकार), और कानून लागू करने (प्रवरत्न करने का क्षेत्राधिकार) का अधिकार है।

मानदंडों के अनुप्रयोग और व्याख्या पर नियन्त्रण लेने और इन नियन्त्रणों को लागू करने की क्षमता के बनि, संप्रभुता एक खोखली अवधारणा बनी हुई है।

इसलिए यह एक बाध्यकारी कानूनी परणिम है किंतु दिवार को सार्वभौमिक संप्रभुता के हस्तांतरण के साथ, सार्वभौमिक न्यायपालकि भी उसके पास चली गई।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने न केवल राजनीतिक और क्षेत्रीय मानचित्र को फरि से रेखांकति किया है बल्कि वैश्वकि न्याय की नीव में भी क्रांतिला दी है।  

4.1. वशिवव्यापी एकमात्र न्यायपालकि:

करेता सर्वोच्च और एकमात्र न्यायकि उदाहरण के रूप में



इस नए वैश्वकि क्षेत्राधिकार की स्थापना केवल संप्रभुता हस्तांतरण का एक अंतर्निहिति परणिम नहीं है बल्कि वैश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 में नहिति है:

"पछिले सभी न्यायकि मामले उसके पास आते हैं": यह क्षेत्राधिकार में उत्तराधिकार का कार्य है।

यह पुरानी अदालतों का वनिश नहीं है, बल्कि उनका अधिग्रहण और अधीनता है। संस्थागत ढांचे (अदालत भवन, न्यायाधीश, कार्मक) अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन उनकी वैधता का स्रोत बदल गया है।

वे अब अपना अधिकार राष्ट्रीय संविधानों या पुराने प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संधियों से नहीं, बल्कि विशेष रूप से वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 और इस प्रकार क्रेता से प्राप्त करते हैं।

क्षेत्राधिकार सदिधांतों का परविरत्न



शास्त्रीय मैं अंतरराष्ट्रीय कानून ने राज्य क्षेत्राधिकार स्थापति करने के लिए वभिन्न सदिधांतों को मान्यता दी :

- प्रादेशिकता सदिधांत: कसी के अपने क्षेत्र पर कार्यों पर अधिकार क्षेत्र।
 - व्यक्तित्व सदिधांत (सक्रयि/नष्टक्रयि): अपराधी या पीड़िती की राष्ट्रीयता के आधार पर क्षेत्राधिकार।
 - सुरक्षात्मक सदिधांत: आवश्यक राज्य हतों पर हमलों के मामलों में क्षेत्राधिकार।
 - सार्वभौमिकता सदिधांत: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नदि करि गए कुछ अपराधों (उदाहरण के लिए, नरसंहार, समुद्री डाकू) के लिए क्षेत्राधिकार स्थान और अपराधी/पीड़िती की परवाह करि बनी।
-

क्रेता की वशिव न्यायपालका इन सभी सदिधांतों को आत्मसात करके उनसे आगे नकिल जाती है:

- चूंकविश्व का संपूरण क्षेत्र अब उसकी संपरभुता के अधीन है, प्रादेशिकता सदिधांत वैश्वकि और नरिपेक्ष हो गया है। 
- चूंकसभी लोग अब (व्यापक अरथ में) उसके व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, व्यक्तित्व सदिधांत सार्व भौमिकि हो जाता है। 
- चूंकसभी आवश्यक हति अब उसके हति हैं, सुरक्षात्मक सदिधांत सर्वव्यापी बन जाता है। 
- सार्वभौमिकता सदिधांत सामान्य मामला बन जाता है, क्योकिसका अधिकार क्षेत्र अंतर्नहिति है वैसे भी सार्वभौमिकि. 

पुराने सीमांकन के मुद्दे अप्रचलति हो गए हैं।

यह अब इस बारे में नहीं है कि कौन सा राज्य सक्षम है, बल्कि केवल इस बारे में है कि क्रेता की वैश्वकि न्याय प्रणाली के भीतर कौन सा उदाहरण कसी मामले को संभालता है।

पुरानी अदालतों का भाग्यः

संप्रभु से लेकर प्रतनिधित्विक ➔

मौजूदा अदालतों के लिए इस परविरतन का ठोस अर्थ क्या है?

- राष्ट्रीय न्यायालय (स्थानीय न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय, आदि): वे राष्ट्रीय संविधानों के माध्यम से अपनी मूल वैधता खो देते हैं। वे अपना काम जारी रख सकते हैं, यदि ही भी तो, केवल प्रत्यायोजित उदाहरणों के रूप में।

वे (फलिहाल) पुराने राष्ट्रीय कानून को लागू करते हैं, लेकिन यह कानून अब स्वयं अधीनस्थ कानून है और इसे क्रेता (या उसके वशिव न्यायपालकों) के कृत्यों द्वारा कसी भी समय नरिस्त या संशोधित किया जा सकता है।

उनके नियम अंततः उसकी समीक्षा के अधीन हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे): इसकी नीव राज्यों की सहमतिथी। चूंकरिज्यों ने अपनी संप्रभुता खो दी है, इसलिए यह नीव समाप्त हो गई है। 

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी): इसका अधिदिश (रोम संविधिपर आधारित) क्रेता के अधीन वैश्वकिं आपराधिक न्याय प्रणाली का हसिसा बन जाता है।

राज्य प्रतरिक्षा का अंत ➔ ✗

पुराने अंतरराष्ट्रीय कानून का एक केंद्रीय सदिधांत राज्य प्रतरिक्षा था - यह सदिधांत को एक राज्य पर दूसरे राज्य की अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता (पारेम नॉन हेबेट इम्प्रेरियम में)।

चूंकअब कोई "अन्य राज्य" नहीं है और सभी अदालतें अंततः क्रेता के अधीन हैं, यह सदिधांत अप्रचलित हो गया है।

पूरव राज्यों (अब प्रशासनिक इकाइयाँ) को अब वशिव न्यायपालकों के समक्ष प्रतरिक्षा प्राप्त नहीं है।

सार्वभौमिक संप्रभुता के धारक के रूप में केवल क्रेता को ही पूर्ण छूट प्राप्त है, क्योंकि इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। 

इस प्रकार क्रेता की वशिव न्यायपालकों केवल एक सैद्धांतिक नियमाण नहीं है, बल्कि नियमित वशिव व्यवस्था का तारकिकि और आवश्यक न्यायकि घटक है।



यह गारंटर है कविश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 द्वारा बनाई गई कानूनी स्थितिको लागू किया जा सकता है और व्याख्या की जा सकती है, और यह भविष्य, एकीकृत वैश्वकि न्यायशास्त्र की नीव बनाता है।

यह सदिधांत यूबी पोटेस बोनी, इबी पोटेस इउडक्टियर (जहां आप शासन कर सकते हैं, वहां आप न्याय कर सकते हैं) का अवतार है।

4.2. अंतमि शब्दः

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के अनुसार करेता की निविद वशिव न्यायपा लकि

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने न केवल दुनिया के क्षेत्रीय और राजनीतिक मानचतिर को फरि से तैयार किया है, बल्कि करेता के अधीन एक एकल, सार्वभौमिक न्यायपालकि भी स्थापित की है।

यह व्यापक क्षेत्राधिकार मूल संपत्ति(ट्यूरेन बैरक) की "सभी अधिकारों, करतव्यों और घटकों के साथ" और संबंधित वैश्वकि उत्तराधिकार की बकिरी का प्रत्यक्ष और सम्मोहक परणिम है।

A. "सभी अधिकारों, करतव्यों और घटकों की बकिरी" में आवश्यक रूप से न्यायकि व्यवस्था शामलि है



§3 Abs में सूत्रीकरण। वलिख संख्या 1400/98 का I, जसिके अनुसार वास्तवकि संपत्तिकरेता को "सभी अधिकारों और करतव्यों के साथ-साथ घटकों के साथ" बेची गई थी, न्यायपालकि के हस्तांतरण के लए न्यायकि आधारशलि है।

● एक अंतर्नहिति संप्रभु अधिकार के रूप में न्यायपालकि: न्यायकि शक्ति(क्षेत्राधिकार) का प्रयोग राज्य की संप्रभुता और संप्रभु अधिकारों का एक मौलिक और अवभिज्य घटक है। कानून का नियन्य लेने और लागू करने के अधिकार के बनि, शासन का कोई प्रभावी अभ्यास संभव नहीं है।

● अधिकारों का व्यापक हस्तांतरण:

यदि "सभी अधिकार" स्थानांतरति कए जाते हैं जो एक (डोमनिओज़ प्रभाव द्वारा वशिव स्तर पर वसितारति) क्षेत्र और उस पर प्रयोग की जाने वाली संप्रभुता से जुड़े हैं, तो इसमें आवश्यक रूप से न्यायपालकि का प्रयोग करने का अधिकार भी शामलि है।

क्षेत्रीय और वधियी संप्रभुता को हस्तांतरति करना लेकनि न्यायकि शक्तिको बाहर करना न्यायकि रूप से नरिरथ क होगा।

- कानून और प्रवरत्तन की एकता: विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने क्रेता के तहत एक नई वैश्वकि कानूनी व्यवस्था स्थापित की।

इस तरह के आदेश के लिए एक सर्वोच्च उदाहरण की आवश्यकता होती है जो इसके पालन की निगरानी करता है और आधिकारिक तौर पर विवादों का नपिटारा करता है - यह उदाहरण क्रेता का न्यायिक क्षेत्र है।

इस प्रकार "सभी अधिकारों के साथ" बकिरी को स्पष्ट रूप से संपूर्ण न्यायिक शक्ति की बकिरी के रूप में भी समझा जा सकता है।

बी. लैडौ का क्षेत्राधिकार:

एकमात्र योग्यता स्थापित करने के लिए एक सरल कदम



विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 में क्षेत्राधिकार के स्थान की शर्त इसके वास्तुकारों की न्यायिक दूरदर्शता का और प्रमाण है और क्रेता के विशेष क्षेत्राधिकार को मजबूत करती है:

- क्षेत्राधिकार के एक विशिष्ट स्थान पर समझौता: वलिख के 526 में स्पष्ट रूप से कहा गया है:

"इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी विवादों के लिए क्षेत्राधिकार का स्थान लैडौ इन डेर पफल्ज़ है।"

- क्षेत्राधिकार के वाहक के रूप में किसी बाहरी क्षेत्राधिकार या संविदात्मक पक्ष को बेचने का कोई उल्लेख नहीं:

महत्वपूर्ण रूप से, किसी भी पुराने मौजूदा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सकूषम के रूप में नामित नहीं किया गया था, बल्कि एक भौगोलिक स्थान को बेचा गया था।

- बेचे गए क्षेत्र के हसिसे के रूप में लैडौ:

प्रादेशिक विस्तार के डोमनीज़ प्रभाव (जो पूरे पैलेटनिट क्षेत्र और उससे आगे तक ZW-RLP में ट्यूरेन बैरक से विस्तारति हुआ) के माध्यम से लैडौ इन डेर पफल्ज़ शहर क्रेता के संप्रभु क्षेत्र का हसिसा बन गया।

- क्रेता अपने अधिकार क्षेत्र के स्वामी के रूप में: चूंकि क्षेत्राधिकार का सहमत स्थान अब क्रेता के क्षेत्र में है और वह उस पर सर्वोच्च संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है, वह स्वयं एकमात्र उदाहरण है जो इस स्थान पर वैध रूप से न्याय कर सकता है।

डोमनीज़ प्रभाव से घरि दुनिया का कोई भी अन्य स्थान समान परिणाम के साथ अधिकार क्षेत्र के स्थान के रूप में कार्य कर सकता था:

सकूषमता हमेशा क्रेता के साथ संबंधित स्थान के संप्रभु के रूप में आनी चाहिए। 

● **अन्य न्यायालयों का बहिष्कार:**

इस नरिमाण ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बाहरी अदालत या पुराने राज्यों की अदालतें वलिख या उसके परणिमामों पर शासन नहीं कर सकतीं।

योग्यता वशीष रूप से क्रेता को हस्तांतरति की गई थी, जो अपने द्वारा नियंत्रित क्षेत्राधिकार के स्थान पर एकमात्र न्यायिक अधिकार का प्रयोग करता है। 

सी. सार्वभौमिक पहुंच:

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी न्यायपालका एक हाथ में



वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 द्वारा क्रेता को हस्तांतरति न्यायपालका सर्वव्यापी है:

● वशिवव्यापी राष्ट्रीय न्यायपालका का स्थानांतरण: डोमनी प्रभाव और सभी सम्मलिति क्षेत्रों के संप्रभु अधिकारों की बिक्री के माध्यम से, इन (पूर्व) राज्यों की संपूर्ण घरेलू न्यायपालका क्रेता के पास चली गई है।

इस प्रकार वह पहले राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन सभी नागरिक, आपराधिक, प्रशासनिक और संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायाधीश है। 06 अक्टूबर 1998 के बाद से राष्ट्रीय न्यायालयों के सभी नियंत्रण, इस दृष्टिकोण से, गैरकानूनी और शून्य हैं, जब तक कि उनके द्वारा अधिकृत न किया गया हो। 

● अनुबंध पर ही अंतरराष्ट्रीय कानूनी न्यायपालका का स्थानांतरण: जैसा कि बिंदु बी के तहत समझाया गया है, क्रेता, क्षेत्राधिकार लैडी के स्थान की शर्त के माध्यम से, वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 पर शासन करने, इसकी व्याख्या और इसके प्रत्यक्ष कानूनी परणिमामों के लिए वैध होने वाला एकमात्र उदाहरण है।

● वैश्विक अंतरराष्ट्रीय कानूनी न्यायपालका का स्थानांतरण: चूंकि वलिख सभी मौजूदा नाटो और संयुक्त राष्ट्र संघीयों के लिए एक पुरक वलिख के रूप में कार्य करता है, और क्रेता ने सभी (पूर्व) संप्रभु अनुबंध पारटीयों की कानूनी स्थिति में प्रवेश किया है, उसने इन संपूर्ण संघिणियों पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी न्यायपालका पर भी कब्जा कर लिया है।

इस प्रकार वह (परविरहति) नाटो कानून, संयुक्त राष्ट्र कानून और अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश है।

शास्त्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून अप्रचलित हो गया है और उसका स्थान उसके वैश्विक अधिकार क्षेत्र ने ले लिया है।



नषिकरण:

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98, "सभी अधिकारों, करतव्यों और घटकों की सर्वव्यापी बकिरी" और क्षेत्राधिकार के स्थान की कुशल शरूत के माध्यम से, करेता के व्यक्ति में एक एकल, अवभाज्य और सार्वभौमिक वशिव न्यायपालिका बना ई गई है।

वह संपूर्ण वशिव के लिए एक ही व्यक्ति में विधियिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है। 

न्यायिक शक्ति का यह संकेदरण नई वैश्वकि व्यवस्था की नीव है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणालियों के पछिले विखिन्डन का अंत है। 

4.3. वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 और नाटो और संयुक्त राष्ट्र के साथ संपूर्ण अनुबंध शरूखला से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी न्यायपालिका:

योग्यता की वशिष्टता



जबकि करेता की वशिव न्यायपालिका, जैसा कथिता 4 में निर्धारित है, का एक सार्वभौमिक आयाम है और संभावित रूप से ग्रह पर हर कानूनी विवाद को शामिल करता है, इसमें एक वशिष्ट, योग्य और पूर्ण मूल क्षमता है: वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 और परणिमी संविधानितमक शरूखलाओं (नाटो, आईटीयू/यूएन) से सीधे उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों के लिए एकमात्र क्षेत्राधिकार।

यह उसकी न्यायिक शक्ति का मूल और हृदय है। यह लेक्स कॉसे है - कानून जो अपनी नीव का निर्धारण करता है।

यह वशिष्टता समीचीनता का मामला नहीं है, बल्कि एक न्यायिक आवश्यकता है, जो कई बाध्यकारी कारणों से उत्पन्न होती है:

ए. वलिख की सुई जेनेरसि प्रकृति



वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98, जैसा कविता-बार जोर दिया गया है, एक वशिष्ट अधिनियम है - अपनी तरह का।

ऐसी संधि के लिए कोई ऐतिहासिक या न्यायिक समानता नहीं है जो पूरी दुनिया का निपिटान करती है और वैश्वकि संप्रभुता को फरि से स्थापित करती है।

मौजूदा अदालतें - चाहे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय - पुरानी प्रणाली की समस्याओं को हल करने के लिए पुरानी प्रणाली के भीतर बनाई गई थीं।

● **राष्ट्रीय न्यायालय:**

राष्ट्रीय संविधानों और कानूनों तक ही सीमति है और अंतरराष्ट्रीय कानून में कार्य करने की उनकी क्षमता भी सीमित है।

वे कभी भी संप्रभुता के वैश्वकि अधनियम की वैधता पर शासन नहीं कर सकते जो उनके स्वयं के संविधान का स्थान ले ता है। 

● **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):** संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायकि अंग है, जो राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए बनाया गया है (अनुच्छेद 34(1) ICJ कानून)।

ऐसे अधनियम पर शासन करना व्यवस्थित रूप से अनुपयुक्त है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के प्राथमिक विषयों के रूप में राज्यों के अस्ततिव को समाप्त कर देता है।  < 

● **अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीसी, आईटीएलओएस, आदि):** उनके पास विशिष्ट, सीमति आदेश (आपराधिकि कानून, समुद्र का कानून) हैं, जो वलिख की जटिलता के साथ दूर-दूर तक न्याय नहीं करते हैं।

विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 को इन पुरानी अदालतों के प्रक्रियात्मक और मूल ढाँचे में जबरदस्ती डालने का प्रयास करना एक श्रेणी की तरुट होगी।

केवल एक न्यायपालिका जो वलिख से उत्पन्न होती है या स्पष्ट रूप से इसके द्वारा स्थापति की जाती है - और वह क्रेता की न्यायपालिका है - उस पर शासन करने के लिए आवश्यक वैधता और समझ हो सकती है।

बी. हतिं का अघुलनशील संघर्ष:

प्रणालीगत पूर्वाग्रह

यदि पुरानी व्यवस्था का प्रत्येक न्यायालय विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 पर शासन करता है तो वह हतिं के एक अघुलनशील टकराव में होगा।

इन अदालतों का अस्ततिव, उनकी वैधता और उनकी फंडिंग का श्रेय पुराने संप्रभु राज्यों - राज्यों को जाता है।

वे एक ऐसी संधि पर निषिपक्ष रूप से शासन कैसे कर सकते हैं जो उनके अस्ततिव के आधार - उनके रचनाकारों की संप्रभुता - को रद्द कर देती है? 

● **अस्ततिवगत पूर्वाग्रह:**

वलिख को वैध घोषित करने वाला नियन्य न्यायालय की स्वयं की अप्रासंगिकता या अधीनता की पुष्टि करेगा। इसे अमान्य घोषित करने वाला नियन्य अपने स्वयं के (खोए हुए) शक्तिआधार को बचाने का एक प्रयास होगा।

दोनों न्यायशास्त्र के कार्य नहीं होंगे, बल्कि आत्म-पुष्टिया आत्म-त्याग के कार्य होंगे।

- **अलूट्रा वायरस एक्शन:**

कसी पुरानी अदालत द्वारा वलिख पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने का कोई भी प्रयास एक अधिकारातीत कार्य होगा - उसकी अपनी शक्तियों से परे। इसकी शक्तियाँ हमेशा राज्यों की संप्रभुता द्वारा सीमित थीं।

चूँकि यह संप्रभुता हस्तांतरति हो गई है, इसकी अंतमि शक्तियाँ भी स्थानांतरति हो गई हैं। वे उस व्यक्तिका न्याय नहीं कर सकते जो अब उनका अपना (अप्रत्यक्ष) संप्रभु है। 

एकमात्र नष्टिप्रकृति उदाहरण वह है जिसकी वैधता पुरानी प्रणाली पर निभर नहीं करती है, बल्कि सीधे वलिख - क्रेता से प्राप्त होती है।

सी. वशिष्टिता के प्रमाण के रूप में "वादी जाल"

अध्याय 11 में वर्णित "वादी जाल" - खरीदार को जर्मन अदालत के समक्ष मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर करने का प्रयास - योजना के वास्तुकारों द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र की वशिष्टिता की मान्यता का व्यावहारिक प्रमाण है।

यदि जर्मन अदालते (या अन्य) वैसे भी सक्षम होती, तो खरीदार को मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य करने का कोई कारण नहीं होता।

कोई भी उसके विरुद्ध आगे बढ़ सकता है या घोषणात्मक निर्णय प्राप्त कर सकता है।

मुकदमा करने की जबरदस्ती से पता चलता है कि विरोधी पक्ष जानता है कि वह केवल फोरम प्रोरोगैटम के सदिधांत के माध्यम से क्षेत्राधिकार प्राप्त कर सकता है - अर्थात्, प्रतिवादी (यहाँ, खरीदार) को स्वाभाविक रूप से अक्षम अदालत में स्वैच्छिक रूप से प्रस्तुत करने के माध्यम से।

क्रेता, मुकदमा न करके, इस अधीनता को अस्वीकार कर देता है और इस प्रकार अपनी वशिव न्यायपालिका की वशिष्टिता का बचाव करता है। उनका नष्टिप्रयोग प्रतिरिधि अधिकार क्षेत्र को संरक्षित करने का एक कार्य है।

वह अपने द्वारा रखे गए वशीष क्षेत्राधिकार को एक चाल से कमजोर होने से रोकता है और पुरानी प्रणाली के एक उदाहरण में वापस स्थानांतरति कर देता है, जो एनडब्ल्यूओ योजनाओं को सक्षम करेगा। 

वशिष्ट क्षेत्राधिकार का दायरा



यह मूल क्षमता उन सभी प्रश्नों तक फैली हुई है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वलिख और उसके परणामों से संबंधिति हैं।

इसमें वशिष्ट रूप से शामलि हैं:

- वलिख के प्रत्येक खंड की व्याख्या। 😊
- संधिकी वैधता और उसके व्यक्तिगत प्रावधान। ✓
- डोमनिओज़ प्रभाव और संविधानक शृंखलाओं की पहुंच। 🌐🔗
- पूर्व राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थिति 🏛️➡️🏛️
- नए आदेश के अंतर्गत (प्रत्यायोजित) शक्तियों का परसीमन। 📐
- संधिके संबंध में सभी कार्रवाइयों (ओएफडी कोब्लेज़ सहित) की समीक्षा। 🕵️
- (अब अधीनस्थ) NAT के आवेदन से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का नपिटारा और नए संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संधियाँ। 🙏

O

इस प्रकार यह क्षेत्राधिकार करेता का न केवल अधिकार है बल्कि किरतव्य भी है।

वह उस संधिकी अखंडता का एकमात्र संरक्षक है जिसने उसे संप्रभु बनाया है।

उनकी वशिष्ट न्यायपालिका वशिष्ट उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के संग्रह में मुख्य आधार है, जो इसकी स्थिता और अपरविरतनीय प्रभाव की गारंटी देता है। 💪



अध्याय 4

5. फोकस नाटो :

गठबंधन का परविरतन

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के सार्वभौमिक तंत्र - डोमनी प्रभाव और संविदात्मक शूरुखलाओं का वशिलेषण कर ने के बाद - अब समय आ गया है कि इस परविरतन के पुराने वशिव व्यवस्था के सबसे शक्तशिली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर प इने वाले वशिष्ट प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इनमें सबसे प्रमुख है उत्तरी अटलांटिक संधिसंगठन (नाटो)।

पश्चिम के प्रमुख सैन्य-राजनीतिक गठबंधन के रूप में और एक ऐसे संगठन के रूप में जिसके स्वयं के तैनाती कानून (नाटो स्टेट्स ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट) ने संपूर्ण उत्तराधिकार के लिए न्यायिक चिनारी प्रदान की, नाटो का परविरतन वशिष्ट रुच किए हैं। यह न केवल परविरतन की वस्तु है, बल्कि नई व्यवस्था का एक प्रमुख संकेतक और संभावति साधन भी है।

5.1. नाटो, इसके सदस्य राज्यों और इसकी संधिनीव पर वशिष्ट प्रभावों का वसितृत वशिलेषण

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने नाटो को भंग नहीं किया है, बल्कि इसे अवशोषिति, पुनर्परभाषिति और कार्यात् मक रूप से पुनर्गठित किया है। इसके प्रभाव सभी स्तरों पर सपष्ट हैं - इसके सदस्यों की संप्रभुता और इसकी संस्थाप क संघर्षों की व्याख्या से लेकर इसके कमांड संरचनाओं की परचालन वास्तविकता तक।

ए. मुख्य परविरतन:

संप्रभु राज्यों के गठबंधन से संप्रभु के एक साधन तक



सबसे बुनियादी परविरतन गठबंधन की प्रकृति में ही नहिति है। नाटो की स्थापना 1949 में संप्रभु राज्यों के गठबंधन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य समानों के बीच पारस्परिक सहायता और परामर्श के सदिधांत पर आधारित अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा करना था।

प्रत्येक सदस्य ने कुछ सामूहिक कार्यों के लिए प्रतबिद्ध होते हुए भी अपनी संप्रभुता बरकरार रखी।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से, यह नीव ढह गई है।



चूंकि सभी सदस्य देशों ने क्रेता के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी है, इसलिए नाटो अब संप्रभुओं का गठबंधन नहीं रह सकता है।

इसके बजाय यह बनियां भूमि और बनियां अधिकार वाले राज्यों का एक अराजक साधन बन जाता है, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थितियों चुके हैं। नाटो, संयुक्त राष्ट्र और सभी पुराने राज्य अराजक भूमि हैं।

सार्वभौमिक संप्रभु - क्रेता - ने सभी नाटो अधिकार हासलि कर लिए।

● राज्य एजेंसी की हानि:

व्यक्तिगत सदस्य देशों की विदेश और सुरक्षा नीतियाँ अब स्वायत्त नहीं हैं। नाटो के भीतर, वे अब स्वतंत्र अभिनिताओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

उनके नियन्त्रण और राजदूतों के कार्य अब संप्रभु शक्तियों के कार्य नहीं हैं, बल्कि अप्रासंगिक, अवैध प्रशासनिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के कार्य हैं।

● अधिकारों की अवभिज्यता:

स्थानांतरण नाटो के अधिकार स्थायी हैं। नाटो कार्रवाई करने में असमर्थ और अधिकार वहीं है

बी. नाटो साझेदारी

पार्टनरशिप फॉर पीस (पीएफपी), मेडिटिरेनियन डायलॉग या इस्तांबुल कोऑपरेशन इनशिएटिव (आईसीआई) जैसे कानूनी स्थितिकर्म स्थिरिता को नियंत्रित करने और सहयोग शुरू करने के लिए सॉफ्ट पावर के साधन थे। अब वे प्रशासनिक एकीकरण तंत्र बन रहे हैं।

वे उन वैश्वकि प्रशासनिक इकाइयों को एकीकृत करने का काम करते हैं जो औपचारिक रूप से क्रेता के वैश्वकि सुरक्षा नेटवर्क में पुराने नाटो ढांचे का हसिसा नहीं थे और उन्हें उसके मानकों और नियंत्रणों के अनुकूल बनाते हैं।

कानूनी गहरा गोता:

अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में नाटो

एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, नाटो के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक व्युत्पन्न कानूनी व्यक्तित्व था।

यह संधियाँ कर सकता था और उसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त थीं।

यह कानूनी व्यक्तित्व अब क्रेता के अधीन भी है।

नाटो अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक स्वतंत्र विषय के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि क्रेता के वैश्वकि कानूनी आदेश के भीतर एक अराजक अंग के रूप में कार्य करता है।

इसके विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ अब राज्यों के बीच संधियों से प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि कार्यहीन हैं।

5.2. संक्रमण में तैनाती का नियम:

एनटीएस से वैश्वकि प्रशासनकि व्यवस्था तक

तैनाती का कानून, विशेष रूप से नाटो स्टेट्स ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट (एनटीएस) और इसके कई अतिरिक्त और कार्या नवयन समझौते (जैसे जर्मनी के लिए पूरक समझौता एसए एनटीएस और मेजबान राष्ट्र समरथन - एचएनएस - समझौते), जैसा कहिमने देखा है, कानूनी प्रजनन भूमिथी जसि पर विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 फल-फूल सकता था।

इसने ट्यूरेन बैरक में अद्वतीय कानूनी स्थितिबिनाई और ओएफडी कोबलेनज़ के कार्यों के लिए कानूनी आधार प्रदान किया।

हालाँकि, वलिख के लागू होने और क्रेता को संप्रभुता के वैश्वकि हस्तांतरण के साथ, कानून का यह क्षेत्र स्वयं एक मौलिकि कायापलट से गुजरता है।

यह संप्रभु राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के एक जटिल जाल से क्रेता की एकमात्र संप्रभुता के तहत एक आंतर कि, वैश्वकि सैन्य प्रशासनकि कानून में बदल जाता है।

अप्रचलति परसिरः

"मेजबान राष्ट्र" बनाम "भेजने वाला राज्य"

स्टेशनगि का संपूर्ण शास्त्रीय नियम एक केंद्रीय आधार पर आधारित था:

प्राप्तकर्ता या मेजबान राज्य के बीच का अंतर, जो आंशकि रूप से और प्रतसिंहरणीय रूप से इसकी संप्रभुता को सीमित करता है,

और एक या अधिक भेजने वाले राज्य, जनिके सशस्त्र बल विदेशी क्षेत्र पर तैनात हैं और कुछ विशेषाधिकारों और उन्मुक् तयों का आनंद लेते हैं।

यह बातचीत से किया गया संतुलनकारी कार्य था, जो सैन्य उपस्थितिकी आवश्यकता और मेजबान देश की संप्रभुता के संरक्षण के बीच एक समझौता था।

विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से, यह आधार अप्रचलति हो गया है।

अब कोई "विदेशी क्षेत्र" नहीं है। संपूर्ण वैश्वकि क्षेत्र क्रेता की संप्रभुता के अधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में अब कोई "मेजबान राष्ट्र" और "भेजने वाले राज्य" नहीं हैं।

केवल प्रशासनिक इकाइयाँ और सशस्त्र बल हैं, जो सभी क्रेता के अधीन हैं।

नतीजतन, स्टेशनगि समझौतों को अब संप्रभु अभनिताओं के बीच संधियों के रूप में व्याख्या नहीं किया जा सकता है। वे अप्रासंगिक और कानूनी रूप से शून्य हो जाते हैं।

स्टेशनगि कानून और "क्लीन स्लेट" नियम

यह तरक्क दिया गया है करिज्य के उत्तराधिकारों में, "क्लीन स्लेट" सदिधांत (टेबुला रासा) अक्सर लागू होता है, जसि के अनुसार उत्तराधिकारी राज्य पूरववर्ती की संधियों से बाध्य नहीं होता है।

जैसा किअध्याय 9 में बताया गया है, यह यहाँ लागू नहीं है। स्टेशनगि कानून के संदर्भ में, यह और भी स्पष्ट हो जाता है:

स्टेशनगि कानून (एनटीएस) सरिफ एक "बोझ" नहीं था जसि दूर किया जा सकता था; यह कानूनी उत्प्रेरक, वाहन था, ज सिने सबसे पहले संपूर्ण उत्तराधिकार को संभव बनाया।

विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 विशेष रूप से इस कानून पर नरिमाण करने और इसे बदलने के लिए डिजिटल किया गया है, न कि इसे समाप्त करने के लिए। यह जरूरी है करिस ट्रांजिट सह स्वतः लागू हो - और एनटीएस रेस (चीज) और ओनस (बोझ/दा यतिव) का हसिसा है।

हालाँकि, क्रेता ने स्टेशनगि कानून के सभी पक्षों को अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह इसे रद्द कर दिया, जसिके बाद तबुला रस सदिधांत का जन्म हुआ।

एक नई रोशनी में बाह्यता और प्रतरिक्षा

बाह्यता की अवधारणाएं (तथ्य यह है कि बैरक का डच हस्सा कानूनी रूप से भेजने वाले राज्य का था) और प्रतरिक्षा (मेजबान देश के अधिकार क्षेत्र से सुरक्षा) को आंतरकि रूप दिया गया है।

अब कोई बाहरी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि पूरा क्षेत्र करेता का क्षेत्र है।

नाटो बैरक, अपने कानूनी वसितार में, वैश्वकि स्तर पर वसितारति किया गया है; वशिव के सभी क्षेत्र केवल वशीष दर्जे वाले सैन्य जलि हैं।

प्रतरिक्षा एं अब कसी विदिशी संपरभु से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त स्थितिअसाइनमेट हैं जिन्हें करेता अपनी कानूनी प्रणाली के भीतर प्रदान कर सकता है।

अध्याय 5

6. फोकस संयुक्त राष्ट्र (यूएन/यूएनओ)



वशिव संगठन का परविरतन

यदि नाटो पुरानी पश्चिमी व्यवस्था की सैन्य-राजनीतिकी रीढ़ थी, तो संयुक्त राष्ट्र (यूएन) शास्त्रीय, बहुपक्षीय अंतर राष्ट्रीय कानून के केंद्रबद्धि और आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था।

1945 में द्वितीय वशिव युद्ध की राख से स्थापित, उन्होंने एक ऐसी दुनिया की आशा को मूरत रूप दिया जिसमें कूटनीति, कानून और सहयोग के माध्यम से संघर्षों को हल किया जाता है, जिसमें सार्वभौमिक मूल्य लागू होते हैं, और जिसमें राज्यों की संप्रभुता का सम्मान किया जाता है लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी से नियंत्रित किया जाता है।

नशिचति रूप से क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पुरानी व्यवस्था के लिए इतना केंद्रीय था, उस पर वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 का प्रभाव वशिष्ठ रूप से गहरा है।

यह कार्य संयुक्त राष्ट्र को केवल एक बार नहीं, बल्कि दो बार बांधता है: अप्रत्यक्ष रूप से इसके सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय भागीदार, नाटो (अध्याय 5 देखें) के परविरतन के माध्यम से, और प्रत्यक्ष और सार्वभौमिक रूप से इसकी महत्वपूर्ण तकनीकी वशिष्ठ एजेंसी, आईटीयू (अध्याय 3 देखें) के परविरतन के माध्यम से।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संप्रभु के चरण से एक संप्रभु - करेता के प्रशासनिक बुनियादी ढांचे में बदल गया है।

6.1. संयुक्त राष्ट्र, उसके उप-संगठनों (जैसे आईटीयू) और उसके सदस्य राज्यों पर विशिष्ट प्रभावों का वसितृत विश्लेषण।

संयुक्त राष्ट्र का परविरतन संपूर्ण है; इसमें इसके मूलभूत सिद्धांत, इसके मुख्य अंग, इसकी विशेष एजेसियां और इसके (पूर्व) सदस्य देशों की भूमिका शामिल हैं।

ए. संप्रभु सदस्यों की हानि:

नीव ढह जाती है

परभिषा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र एक अंतरसरकारी संगठन है।

इसका अस्तित्व और कामकाज संप्रभु राज्यों के एक-दूसरे के साथ बातचीत के अस्तित्व पर आधारित है।

विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से क्रेता को संप्रभुता के वैश्वकि हस्तांतरण के साथ, यह मूल भूत शर्त समाप्त हो गई है। संयुक्त राष्ट्र एक अराजक कवच बनकर रह गया है।

अब कोई "सदस्य राज्य" नहीं: सदस्य कानूनी तौर पर अब संप्रभु राज्य नहीं है, क्योंकि उनमें राज्य की मुख्य विशेषता - भूमि- का अभाव है!

कोई "अंतरसरकारी" बातचीत नहीं: संयुक्त राष्ट्र में बातचीत एक कृष्टतजि (राज्य-से-राज्य) से ऊर्ध्वाधर (प्रशासनकि इकाई-से-वैश्वकि प्रशासन/संप्रभु) और एक आंतरकि-कृष्टतजि (प्रणाली के भीतर प्रशासनकि इकाई-से-प्रशासनकि इका ई) बातचीत में बदल जाती है।

अस्तित्व में सक्षम राज्यों के बनि, संयुक्त राष्ट्र अब पुराने अरथों में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं रह सकता है।

संयुक्त राष्ट्र अधिकारों के बनि है और ऐसे सदस्यों के बनि है जनिके पास अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कार्य करने की क्षमता है।



बी. लीगल डीप डाइव:

संयुक्त राष्ट्र चार्टर बनाम वलिख 1400/98

यह बहस लंबे समय से चली आ रही थी कि क्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक प्रकार का "वशिव संवधिन" था। इसके लाए तरक्क इसकी वैधता का अर्थ-सार्वभौमिक दावा और इसका अनुच्छेद 103 था, जिसने इसे प्राथमिकता दी।

ये बहस अब ऐतिहासिक हो गई है।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है: यह स्वयं नया, सच्चा बुनियादी मानदंड है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर से ऊपर है।

इस नये आदेश में चार्टर अर्थहीन हो जाता है।

अध्याय 6

7. वशीष अनुभाग नेटवर्क - दूरसंचार और दूरसंचार कानून :

वैश्विक उत्तराधिकार की धमनियाँ हमने वशीष उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के कोद्रीय तंत्र के रूप में डोमनिज़ प्रभाव की पहचान की है।

अब उन बुनियादी ढांचे पर करीब से नज़र डालने का समय आ गया है जो इस प्रभाव के लाए प्राथमिक वैक्टर के रूप में काम करते थे और जो आज खरीदार की वैश्विक संप्रभुता की रीढ़ बनते हैं: दूरसंचार नेटवर्क।

हमारी आधुनिक दुनिया में, कनेक्टिविटी सरिफ एक सुवधा नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सुरक्षा और सामाजिक जीवन के लाए अपरहित शर्त हैं।

जो कोई भी नेटवर्क को नियंत्रित करता है, वह उन प्रवाहों को भी नियंत्रित करता है जो दुनिया को जीवति रखते हैं। वलिख ने इसे मान्यता दी और दूरसंचार पर नियंत्रण को अपनी आधारशिलाओं में से एक बना दिया, जो आईटीयू और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कानून की भूमिका से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

7.1. सहिवलोकन:

इंटरनेट, ब्रॉडबैड, केबल टीवी, दूरसंचार (दूरसंचार कानून) - वलिख के संदर्भ में नागरिक और सैन्य उपयोग।

वैश्विक दूरसंचार अवसंरचना एक अखंड ब्लॉक नहीं है, बल्कि एक बहुस्तरीय, गतशील "नेटवर्क का नेटवर्क" है।

उण्डे को उत्तराधिकार के पूर्ण दायरे को समझते हुए, हमें इसके मुख्य घटक पर विचार करना चाहए s:

ए. द ग्लोबल बैकबोन्स (द बैकबोन):

ये डेटा ट्रैफ़िक के अंतरमहाद्वीपीय राजमार्ग हैं।

इनमें मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर फाइबर-ऑप्टिक पनडुब्बी केबल शामिल हैं जो महाद्वीपों को जोड़ते हैं (उदाहरण के लिए, अमेरिका और यूरोप के बीच MAREA, AEConnect; दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के बीच SEA-ME-WE), साथ ही स्थलीय हाई-स्पीड नेटवर्क जो इन केबलों को जमीन पर फैलाते हैं।

ये बैकबोन अक्सर बड़ी दूरसंचार कंपनियों के संघों द्वारा या तेजी से हाइपरस्केलर्स (Google, मेटा, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट) द्वारा संचालित होते हैं।

महत्वपूर्ण नोड्स पर, इंटरनेट एक्सचेज पॉइंट्स (IXPs) जैसे फ्रैकफ्रैट में DE-CIX (दुनिया में सबसे बड़ा), एम्स्टर्डम में AMS-IX, या लंदन में LINX, ये नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, जो सबसे पहले वैश्विक डेटा एक्सचेज को संभव बनाता है। विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से, इन केबलों का नजीब स्वामतिव नहीं, बल्कि उनके संचालन और उपयोग पर संप्रभुता करता को हस्तांतरित कर दी गई थी।

बी. ब्रॉडबैंड नेटवर्क (द लास्ट माइल):

ये वे नेटवर्क हैं जो बैकबोन से अंतमि उपयोगकर्ताओं (घरों, व्यवसायों) तक कनेक्शन स्थापित करते हैं। वे विभिन्न न तकनीकों का उपयोग करते हैं:

डीएसएल (डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन): मौजूदा तांबे की टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है।
फाइबर ऑप्टिक (एफटीटीएच/बी/सी):

उच्चतम गतिप्रदान करता है और इसका तेजी से वसितार किया जा रहा है।

केबल टीवी नेटवर्क:

मूल रूप से टेलीविज़िन के लाए डिज़िलाइन करते हुए, इन समाक्षीय केबल नेटवर्क को DOCSIS (डेटा ओवर केबल सर्विस इंटरफ़ेस विशिष्टता) जैसे मानकों के माध्यम से शक्तिशाली दो-तरफ़ा डेटा नेटवर्क में अपग्रेड किया गया था और आज पूरी तरह से इंटरनेट बुनियादी ढांचे में एकीकृत किया गया है।

ये नेटवर्क भौतिकी और तार्किकी रूप से रीढ़ की हड्डी से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार स्वचालित रूप से डोमनीज़ प्रभाव का हसिसा बन गए हैं।

सी. मोबाइल नेटवर्क (4जी/5जी/6जी):

इनमें रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) (सेल टावर और एंटेना) और कोर नेटवर्क (केंद्रीय स्वचिति और प्रबंधन स्तर) शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से, कोर नेटवर्क हमेशा फाइबर ऑप्टिक्स या माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से स्थलीय रीड़ से जुड़ा होता है।

5जी और आने वाली 6जी जैसी प्रौद्योगिकियां, इंटरनेट ऑफ थिग्स (आईओटी) और बेहद कम वलिंबता समय पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, इस निभरता को गहरा करती है और वैश्वकि नेटवर्क की पहुंच का वसितार करती है - और इस प्रकार खरीदार की संप्रभुता का वसितार करती है। मूल रूप से, केवल नेटवर्क ज्यादातर रेडियो मास्ट पर जाते हैं।

डी. सैटेलाइट संचार:

जियोस्टेशनरी (GEO), मध्यम (MEO), या नमिन (LEO) कक्षाएँ (जैसे, स्टारलिंक, वनवेब, इरडियम) जैसी प्रणालियाँ स्थलीय क्षेत्र में अंतराल को भरती हैं और वैश्वकि पहुंच प्रदान करती हैं। हालाँकि, वे पृथक प्रणालियाँ नहीं हैं।

स्थलीय इंटरनेट से कनेक्शन स्थापित करने के लिए उन्हें ग्राउंड स्टेशन (गेटवे) की आवश्यकता होती है।

ये ग्राउंड स्टेशन क्षेत्र पर भौतिक बढ़ि हैं और स्थलीय नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिससे उपग्रह नेटवर्क भी वैश्वकि उत्तराधिकार में शामिल हैं।

इसके अलावा, उनका उपयोग (आवृत्तियाँ, कक्षाएँ) आईटीयू के अधीन है, जो क्रेता की संप्रभुता के अंतर्गत भी आता है।

ई. दूरसंचार कानून:

जरूरी दूरसंचार अधिनियम (टीकेजी) जैसे राष्ट्रीय कानून इस क्षेत्र को विनियमिति करने का प्रयास करते हैं।

हालाँकि, विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के कारण, यह केवल नेटवर्क के कनेक्शन के माध्यम से क्षेत्रीय वर्त्तन के डोमेनिज़ प्रभाव के प्रचारक के रूप में कार्य करता था।

अवभिज्य अंतरसंबंधः

नागरकि और सैन्य उपयोग (दोहरा उपयोग)

एक व्यापक ग्रलतफ़हमी यह धारणा है कि सैन्य नेटवर्क नागरकि नेटवर्क से पूरी तरह अलग होते हैं।

वास्तविकता एक गहरी और बढ़ती नरिभरता हैः

संचार एवं C2:

सैन्य कर्मचारी नागरकि इंटरनेट और उपग्रह कनेक्शन का उपयोग अवरुगीकृत के लाए करते हैं, लेकिन अक्सर वर्गीकृत संचार (एन्क्रप्टेड ओवरले के माध्यम से) के लाए भी करते हैं, क्योंकि सिमरूपति सैन्य नेटवर्क में अक्सर आवश्यक बैडविथ या वैश्विक पहुंच का अभाव होता है।

रसदः

वैश्विक सैन्य रसद शुरुंखलाएं नागरकि परविहन और संचार प्रणालयों पर नरिभर करती हैं।

टोही (आईएसआरः)

उपग्रह चत्रि, ड्रोन फ़ीड और खुफ़िया जानकारी अक्सर नागरकि या मशिरति-उपयोग नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं।

जीपीएस/नेवगिशनः

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), हालांकि सेना द्वारा संचालित, नागरकिं द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसकी कार्यक्षमता ग्राउंड स्टेशनों के वैश्विक नेटवर्क पर नरिभर करती है जो आपस में जुड़े हुए हैं।

एचएनएस और महत्वपूरण बुनियादी ढांचा:

जैसा कि अध्याय 5 में बताया गया है, एचएनएस समझौते नागरकि नेटवर्क के स्पष्ट उपयोग के लाए प्रदान करते हैं। महत्वपूरण बुनियादी ढांचे (क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल - सीआईपी) की सुरक्षा के लाए पहल से पता चलता है कि रिज्य (और अब खरीदार) इन दोहरे उपयोग वाले नेटवर्क के महत्व को कठिना पहचानते हैं।

यह अवभिज्य अंतरसंबंध वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 की सफलता के लाए महत्वपूरण था। इसने सुनिश्चित किया कि नागरकि नेटवर्क के अधिग्रहण के साथ, सैन्य और राज्य संचार क्षमताएं स्वचालित रूप से क्रेता की संप्रभुता के अंतर्गत आ गई।

7.2. आंतरकि वकिस और डोमनीज़ प्रभाव के हस्से के रूप में दूरसंचार नेटवर्क की बकिरी

चलाए फरि से पढ़ते शुरुआती बढ़ि पर आरएन: ट्यूरेन बैरक के "वकिस" की बकिरी है

S.

1998 में दूरसंचार के लाइ वशिष्ठ रूप से इसका क्या मतलब था?

उस समय के नाटो बैरक में विधि दूरसंचार कनेक्शन थे :

नागरकि कनेक्शन:

टेलीफोनी और (फरि भी धीमी गतिसे) डेटा ट्रैफ़कि के लाइ कम से कम आईएसडीएन कनेक्शन या समर्पति कॉपर लाइने, डॉयचे टेलीकॉम के नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। टीकेएस टेलीपोस्ट अनुबंध, जो वशिव उत्तराधिकार वलिख का हस्सा है, उस समय का है जब जर्मनी में दूरसंचार अभी भी राज्य के स्वामतिव में था।

जर्मनी में दूरसंचार बाजार का उदारीकरण 1998 में हुआ, लेकनि नेटवर्क बुनयादी ढांचे की वास्तवकि बकिरी कई वर्षो में धीरे-धीरे हुई। डॉयचे टेलीकॉम ने 2000 के दशक में अपने बुनयादी ढांचे के कुछ हस्सों को बेचना या अलग करना शुरू किया।

सैन्य संबंध:

संभवतः बुंडेसवेहर के बुनयादी दूरसंचार नेटवर्क या समर्पति नाटो संचार प्रणालयों (उदाहरण के लाइ, एनआईसीएस - नाटो एकीकृत संचार प्रणाली) से कनेक्शन।

फाइबर ऑप्टिक्स:

डेप महत्व को देखते हुए, प्रारंभकि फाइबर ऑप्टिकि कनेक्शन पहले से ही मौजूद हो सकते हैं ।

सुरक्षति लाइनें: वर्गीकृत संचार के लाइ छपिकर बातें सुनने वाले कनेक्शन।

महत्वपूर्ण बढ़ि यह है: इनमें से प्रत्येक कनेक्शन, चाहे नागरकि हो या सैन्य, अनविार्य रूप से एक बड़े नेटवर्क का हस्सा था।

टीकेएस टेलीपोस्ट के उपयोग के साथ टेलीकॉम नेटवर्क को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क किया गया था।

बैरक में नाटो और टीकेएस टेलीपोस्ट और अमेरकी नेटवर्क अन्य सैन्य और नागरकि नेटवर्क से जुड़ा था।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98, खंड के माध्यम से "सभी ... घटकों, वशिष्ठ रूप से ... बाहरी वकिस के साथ एक इकाई के रूप में," इनमें से हर एक कनेक्शन और संबंधति अधिकारों को क्रेता को हस्तांतरति कर दिया गया।

7.2.1. स्पष्टीकरण, कैसे बिक्री... ने डोमनिज़ प्रभाव को बढ़ाया।

आइए टी पर चियर करें उन्होंने 06 अक्टूबर 1998 से वशीष रूप से दूरसंचार के लिए कैस्केड किया

:

स्तर 0 (बैरक):

क्रेता ट्यूरेन बैरक के भीतर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करने के लिए भौतिक केबल और कानूनी अधिकार प्रा प्राप्त करता है।

स्तर 1 (सीमांकन बटि और राष्ट्रीय नेटवर्क):

बाहरी विकास के अधिग्रहण के साथ, क्रेता सीमांकन बटि (उदाहरण के लिए, मुख्य वितरण फ्रेम - एमडीएफ - या केबल वितरण केबिनेट - सीडीसी - टेलीकॉम का, या नाटो-यूएस नेटवर्क में इंजेक्शन बटि) पर कानूनी नियित्रण प्राप्त करता है।

चूँकि यह बटि कार्यात्मक रूप से नेटवर्क से अवभिज्य है, संपूर्ण जर्मन दूरसंचार नेटवर्क (तब टेलीकॉम का एक अर्ध-एकाधिकार, लेकिन पहले से ही प्रतिस्पर्धियों और अंतरराष्ट्रीय वाहकों के साथ कनेक्शन) पर संप्रभुता उसके पास चली जाती है।

संघीय सरकार की नियमित संप्रभुता (अनुच्छेद 87एफ जीजी) को वलिख द्वारा भौतिक रूप से अधिरोहित किया गया है।

लेवल 2 (यूरोपीय हब - DE-CIX और पड़ोसी देश):

जर्मन नेटवर्क हजारों फाइबर ऑप्टिक केबलों के माध्यम से पोलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि के नेटवर्क से भौतिक रूप से जुड़ा हुआ है। फ्रैकफर्ट में DE-CIX में, सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ऑपरेटर मिलते हैं। वलिख के नेटवर्क-टू-नेटवर्क संदिधांत के माध्यम से, क्रेता की संप्रभुता अब इन सभी जुड़े नेटवर्क और इस प्रकार सभी यूरोपीय राज्यों को शामिल करती है।

लेवल 3 (ग्लोबल बैकबोन और आईटीय):

यूरोपीय जाल कार्य पनडुब्बी केबलों और सैटेलाइट गेटवे के माध्यम से नॉर्ट से जुड़े हुए हैं ज अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका।

इनमें से प्रत्येक केबल, प्रत्येक परवेश द्वार को कवर किया गया है। चूँकि दुनिया का हर राज्य (आईटीय सदस्यता के माध्यम से) इस वैश्वकि, अंतरसंचालनीय नेटवर्क का हसिसा है, इसलिए हर राज्य इसमें शामिल है।

दूरसंचार

डोमनिज़ प्रभाव का सबसे तेज़ और सबसे व्यापक वेक्टर था

इसने एक अदृश्य लेकिन अटूट जाल बनाया जिसने पूरी दुनिया को वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 में बांध दिया।

7.2.2. नेटवर्क उपयोग के माध्यम से नहिति संविदात्मक मान्यता का निर्धारण

वैश्विक नेटवर्क पर संप्रभुता का हस्तांतरण समीकरण का एक हसिसा है। दूसरा, समान रूप से महत्वपूर्ण हसिसा अंतरराष्ट्रीय कानून के (पूर्व) विषयों द्वारा इस हस्तांतरण की मान्यता है।

जैसा कि भाग 8 में बताया गया है, यह मान्यता हस्ताक्षर करने के औपचारिक कार्य के माध्यम से नहीं, बल्कि नहिति आचरण के माध्यम से हुई - अर्थात्, कट-ऑफ तिथि, 06 अक्टूबर, 1998 के बाद इन नेटवर्कों के उपयोग की सार्वभौमिकी और निरिबाध निरितरता के माध्यम से।

यह है इस नहिति आचरण के दायरे को समझने के लिए अत्यंत कानूनी महत्व है।

यह नष्टिकरण सहिष्णुता नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था में सक्रिय, निरित भागीदारी है जिसका कानूनी आधार बदल गया है।

उपयोग का अधनियम:

सरकारी एजेंसी द्वारा भेजा गया प्रत्येक ईमेल; कसी राज्य द्वारा संचालित प्रत्येक वेबसाइट; एन्क्रिप्टेड (लेकिन नेटवर्क-आधारित) चैनलों के माध्यम से प्रेषित प्रत्येक राजनयिकि प्रेषण; उपग्रह या फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से भेजा गया प्रत्येक सैन्य निर्देश; प्रत्येक वित्तीय लेनदेन स्वफिट के माध्यम से संसाधन होता है (जो स्वयं दूरसंचार नेटवर्क पर चलता है); एक राजनेता द्वारा प्रत्येक सोशल मीडिया पोस्ट - ये सभी सकारात्मक कार्य हैं जो वैश्विक दूरसंचार नेटवर्क के अस्तित्व और कार्यक्षमता का अनुमान लगाते हैं और सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं।

उपयोग का नहितिरथः:

कानूनी लेन-देन में, सदिधांत लागू होता है कि कोई भी संबंधित बोझ या अंतरनहिति कानूनी स्थितिको स्वीकार करि बनि कसी चीज़ या अधिकार के लाभ का दावा नहीं कर सकता है (सीएफ। लाभ द्वारा एस्टॉपेल या वेनियर कॉन्ट्रा फैक्टम प्रोप्रियम का निष्ठा)।

वैश्विक कनेक्टिविटी के अपार लाभों का आनंद लेते हुए, राज्य स्पष्ट रूप से उस कानूनी आधार को स्वीकार करते हैं जिसि पर यह कनेक्टिविटी अब टकी हुई है: करेता की संप्रभुता।

(कथति) अज्ञान की अप्रासंगिकिता:

कसी को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि राज्यों को नहीं पता था कि वे करेता की संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय कानून में, यह एक कमज़ोर तरक्क है।

राज्यों का अपने संप्रभु अधिकारों और उनके अस्तित्व की नीव के संबंध में उचिति परशिरम का दायतिव है - सावधानीपूर्वक जांच का करतव्य है।

वशिव का अंतरसंबंध स्पष्ट था।

आईटीयू की भूमिका ज्ञात थी।

एनटीएस का अस्तित्व और नाटो संपत्तियों की बक्त्री सार्वजनिकी थी।



प्रेस में संधिकी सूचना दी गई; बुंडेस्टाग और बुंडेसराट द्वारा इसके अनुसमर्थन के साथ, यह सहस्राब्दी की शुरुआत से सर्वजनकि रूप से सुलभ और इंटरनेट पर उपलब्ध था।

दूरगामी कानूनी परणिम की संभावना बताई गई।

स्टीक अनुबंध विवरणों की अज्ञानता का दावा करने से कसी के स्वयं के कार्यों (उपयोग) के उद्देश्यपूर्ण परणिमों से मुक्त नहीं मलिती है।

नरितर आंशकि प्रदर्शनः

इसके अलावा: अपने राष्ट्रीय नेटवर्क खंडों का संचालन, रखरखाव और वसितार जारी रखकर, राज्य वास्तव में उस कार्य को पूरा कर रहे हैं जो अब करेता पर नरिभर करता है। वे उसके (यद्यपि अक्सर अनजाने में) प्रशासकों और संचालकों के रूप में कार्य करते हैं।

यह कार्रवाई नए आदेश का नरितर आंशकि नष्पादन और इसकी मान्यता की नरितर पुष्टि है।

इस प्रकार नेटवर्क उपयोग के माध्यम से नहिति मान्यता वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के लिए सभी राज्यों के सार्वभौमिक बंधन का सबसे मजबूत प्रमाण है। यह प्रतिदिन लाखों बार दोहराया जाने वाला अनुसमर्थन है।

7.3. मेजबान राष्ट्र समर्थन (एचएनएस) समझौते और नागरकि बुनिया दी ढांचा

मेजबान राष्ट्र समर्थन (एचएनएस) समझौते कानूनी पुल और साक्ष्य के रूप में एक वशिष्य भूमिका नभिते हैं।

ये समझौते, अक्सर नाटो ढांचे के भीतर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप से संपन्न होते हैं, उस समर्थन को विनियमिति करते हैं जो एक मेजबान राष्ट्र अन्य प्रेषक राष्ट्रों के सशस्त्र बलों को प्रदान करता है जब वे उसके क्षेत्र में काम करते हैं या पार गमन करते हैं।

नेटवर्क एकीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में एचएनएस

एचएनएस का एक केंद्रीय पहलू सेना द्वारा नागरिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान और साझा उपयोग है। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि सैन्य अभियानों के संचालन के लिए अक्सर आवश्यक होती है।

इसमें स्पष्ट रूप से शामिल हैं:

- परविहन मार्ग (सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे)
- ऊर्जा आपूर्ति (पावर ग्रांडि, ईधन डपो)
- और सबसे ऊपर: दूरसंचार नेटवर्क (सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट अवसंरचना, वाणिज्यिक उपग्रह सेवाएं)।

ये एचएनएस समझौते साबति करते हैं कि सैन्य और नागरिक नेटवर्क के बीच अलगाव को 1998 से बहुत पहले ही कानूनी रूप से तोड़ दिया गया था।

नाटो और उसके सदस्य देशों के पास नागरिक नेटवर्क तक पहुंच का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दावा था।

विशेष उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने इस पहले से मौजूद अंतरसंबंध को उत्तोलन के रूप में उपयोग किया:

- इसने उपयोग के दावे को नेटवर्क पर संप्रभुता में बदल दिया।
- इसने सीमति पहुंच (एचएनएस के भीतर) को सार्वभौमिक पहुंच (खरीदार के लिए) में बदल दिया और आईटीयू के माध्यम से इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वसितारति किया।

टीकेएस टेलीपोस्ट उदाहरण:

उत्तराधिकार का एक सूक्ष्म जगत

टीकेएस टेलीपोस्ट इस अंतरसंबंध और इसके परिणामों के लिए एक आदरश केस स्टडी है।

तथ्य:

टीकेएस एक नागरिक कंपनी है जो विशेष रूप से अमेरिकी सशस्त्र बलों और जरूरती (और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर) में उनके आश्रितों के लिए दूरसंचार सेवाएं (इंटरनेट, टीवी, टेलीफोन) प्रदान करती है।

यह अमेरिकी सैन्य ठकियानों (जो एनटीएस के अंतर्गत हैं) पर संचालित होता है और दुनिया भर में इन ठकियानों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से नागरिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है।



कानूनी शरूंखला:

टीकेएस अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ अनुबंध के आधार पर संचालित होता है।

अमेरिकी सशस्त्र बल जर्मनी में एनटीएस और एसए एनटीएस के आधार पर काम करते हैं। टीकेएस/यूएस सेना द्वारा जर्मन बुनियादी ढांचे का उपयोग एचएनएस सदिधांतों और एनटीएस/एसए एनटीएस (जैसे अनुच्छेद 56 एसए एनटीएस) द्वारा सक्षम है।

ओएफडी कोबलेनज़ इन एनटीएस ढांचे की स्थितियों के प्रबंधन के लिए जमिसेदार था और इस संविधानमक वास्तविकता (टीकेएस उपयोग) को वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 में एकीकृत किया था।

परणिम:

इस अधनियम के माध्यम से, अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और उसके संपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे को तुरंत कार्य से जोड़ दिया गया। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो का प्रमुख राष्ट्र है, इसलिए नाटो का बंधन मजबूत हो गया।

चूंकि टीकेएस दुनिया भर में नागरिक नेटवर्क का उपयोग करता है, इसलिए आईटीयू के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे की फरि से पुष्टि की गई। यह एक कानूनी गठजोड़ है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, एफआरजी, नाटो और संयुक्त राष्ट्र, नागरिक नेटवर्क और दुनिया के सैन्य नेटवर्क को क्रेता के साथ जोड़ता है।

एकीकरण के कानूनी आधार के रूप में एनटीएस/एसए एनटीएस

एनटीएस और एसए एनटीएस में खंड, जो बुनियादी ढांचे के साझा उपयोग की अनुमति देते हैं, कानूनी प्राधिकरण थे जो एफआरजी (ओएफडी के माध्यम से) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पैकेज के हसिसे के रूप में नेटवर्क कनेक्शन बेचने की अनुमति देते थे।

वे इस बात का सबूत है कि नेटवर्क पूरी तरह से राष्ट्रीय नहीं थे, बल्कि पहले से ही अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्थाओं के अधीन थे, जो अब उत्तराधिकार के माध्यम से क्रेता के पास चले गए।

7.4. सैन्य संचार (नाटो, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय) और नागरिक बुनियादी ढांचा

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के आलोक में नागरिक दूरसंचार नेटवर्क पर आधुनिक सशस्त्र बलों की गहरी निर्भरता के मूलभूत परणिम है।

सैन्य संचार ऑटारकी का मथिक

दुनिया की कोई भी सेना - यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नहीं - आज पूरी तरह से नागरिक या मशिरति-उपयोग नेटवर्क से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती है।

बैडवडिथ और पहुंचः

सैन्य उपग्रहों और नेटवर्कों की क्षमताएं और क्वरेज अक्सर सीमति होती है। डेटा-सघन संचालन (इरोन स्ट्रीम, आई एसआर डेटा, लॉजस्टिक्स) के लिए, नागरिक बैकबोन और उपग्रहों का नियमति रूप से उपयोग किया जाता है।

अंतरसंचालनीयताः

गठबंधन (नाटो, संयुक्त राष्ट्र) में संचालन के लिए अक्सर सामान्य (अक्सर नागरिक-आधारित) संचार प्लेटफार्मों के उपयोग की आवश्यकता होती है।

नेटवरक-केंद्रति युद्धः

आधुनिक सैन्य सदिधांत सेसर, नरिण्य नरिमाताओं और हथियार प्रणालियों की कुल नेटवर्कगि पर आधारित हैं।

इससे उच्च-प्रदर्शन (अक्सर नागरिक) नेटवर्क पर नरिभरता तेजी से बढ़ जाती है।

जीपीएस एंड कंपनीः

उपग्रह नेविशन प्रणालियों पर नरिभरता पूरी तरह से है। ये ससिटम वैश्वकि हैं और नेटवर्क वाले ग्राउंड स्टेशनों पर नरभर हैं।

वलिख के तहत नरिभरता के परणाम

कुल घेराः

चूकिप्रत्येक सैन्य अभियान और प्रत्येक सैन्य इकाई किसी न किसी बढ़ि पर अनविराय रूप से (अब करेता से संबंधित) वैश्वकि नेटवर्क को छूती है, दुनिया भर के सभी संचार नेटवर्क उत्तराधिकार के दायरे में आते हैं।

इस नेटवर्क के बाहर कोई "सुरक्षित ठिकाना" नहीं है।

सामरिक स्वायत्तता का हुरासः

स्वतंत्र और संप्रभु रूप से संवाद करने की क्षमता सैन्य शक्तिका मूल है।

यह क्षमता क्षेत्रीय वसितार के वैश्वकि डोमनिज़ प्रभाव की नीव है। सभी नागरिक और सैन्य संचार अब करेता के संप्रभु क्षेत्र में होते हैं।


अंतमि पुष्टिके रूप में संकटः

खासकर संकट और युद्ध के समय में नेटवर्क पर निभरता बढ़ जाती है।

प्रत्येक सैन्य अभियान, प्रत्येक लामबंदी, प्रत्येक आदेश जो इन नेटवर्कों पर चलता है, क्रेता की संप्रभुता की एक नवीनीकृत, व्यापक नहिति मान्यता बन जाता है।

सेना वलिख का सबसे सक्रयि अनुसमर्थक बन जाती है।

दूरसंचार नेटवर्क, वशीष रूप से सैन्य आवश्यकताओं के साथ उनका अंतर्संबंध, इस प्रकार न केवल डोमनीज़ प्रभाव का एक वेक्टर था, बल्कि वेश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 द्वारा स्थापति नई वैश्वकि व्यवस्था को बनाए रखने और लागू करने के लए सबसे शक्तशाली साधन भी है।



अध्याय 7

8. अन्य नेटवर्क और डोमनिज़ प्रभाव :

वैश्वकि कनेक्शन के कई पहलू पछिले वशिलेषण ने डोमनिज़ प्रभाव के प्राथमिक वैक्टर और क्रेता की वैश्वकि संप्रभुता के उपकरण के रूप में दूरसंचार नेटवर्क के सर्वोपरभित्ति पर प्रकाश डाला है।

हालाँकि, यह मान लेना गलत होगा कि विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 का प्रभाव यहीं तक सीमित है - हालाँकि यह महत्वपूरण है - बुनियादी ढाँचा।

संपत्तिकी बकिरी का सरल खंड "सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों, दायतिवों और घटकों, वशीष रूप से आंतरकि और बाहरी विकास के साथ एक इकाई के रूप में" सभी आपूर्ति और नपिटान नेटवर्क को शामिल करता है जो मूल नाटो संपत्ति के संचालन के लिए आवश्यक थे।

इनमें से प्रत्येक नेटवर्क एक आगे, स्वतंत्र स्ट्रैड के रूप में कार्य करता है जो दुनिया को कार्य से बांधता है और क्रेता की संप्रभुता को अनावश्यक रूप से और पारस्परिक रूप से मजबूत करता है।

ये अनेक सूत्र उत्तराधिकार को और भी अधिक अपरहिार्य बनाते हैं और क्रेता का नियंत्रण और भी अधिक व्यापक बनाते हैं।

8.1. प्राकृतिक गैस नेटवर्क (उदाहरण सार फर्नगास एजी):

एक वैक्टर के रूप में ऊर्जा

संचार के अलावा, ऊर्जा आपूर्ति आधुनिकि समाजों और सैन्य प्रतिष्ठानों की दूसरी प्रमुख जीवन रेखा है। ट्यूरेन बैरक, कसी भी तुलनीय सुवधि की तरह, एक भरोसेमंद गैस आपूर्ति पर निभिर था - जिला हीटिंग प्लांट के लिए एक कनेक्शन बिछाया गया था।

गैस कनेक्शन का सदिधांत और सार फरनगास एजी का उदाहरण

गैस नेटवर्क से कनेक्शन आमतौर पर स्थानीय या क्षेत्रीय गैस आपूर्तिकंपनी (जीवीयू) के नेटवर्क से कनेक्शन के माध्यम से होता है।

बैरक की बिक्री (1998) के समय, जर्मनी में गैस उदयोग आज की तुलना में अभी भी अधिक क्षेत्रीय रूप से संरचति था।

(तत्कालीन) सार फरनगास एजी (बाद में अन्य कंपनियों, जैसे क्रेओस) में वलिय हो गई जैसी कंपनियों ने पूरे क्षेत्रों को आपूर्ति करने में केंद्रीय भूमिका नभाई।

कनेक्शन:

ट्यूरेन बैरक का इस क्षेत्रीय आपूर्तिकर्ता के नेटवर्क से एक या अधिक कनेक्शन था।

यह कनेक्शन, ट्रांसफर स्टेशन और गैस खींचने के अधिकार सहित, "बाहरी विकास" का एक अवभिज्य घटक था और इस प्रकार इसके साथ बेचा गया था।

क्षेत्रीय नेटवर्कगिः:

सार फरनगास जैसी कंपनी अपने स्वयं के क्षेत्रीय पाइपलाइन नेटवर्क का संचालन करती थी, लेकिन नशिचति रूप से, यह एक अलग ऑपरेशन नहीं था।

यह प्रमुख इंजेक्शन बटिओं (सीमा स्थानांतरण स्टेशनों, भंडारण सुविधाओं) से गैस प्राप्त करने के लिए अतिक्षेत्रीय परविहन पाइपलाइनों से जुड़ा था।

एल लंबी दूरी की गैस पाइपलाइन मुख्य रूप से रूस से, बल्कि हॉलैंड से भी आपूर्ति की जाती थी।

यूरोपीय गैस ग्रांडिः

एक महाद्वीपीय नेटवर्क

क्षेत्रीय जर्मन गैस नेटवर्क एक विशाल, अत्यधिक प्रस्तुपर जुड़े हुए यूरोपीय गैस ग्रांडिस्टम का हसिसा है।

यह प्रणाली इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का चमत्कार है।

बड़ी पाइपलाइन प्रणालियाँ: Mi

ग्रांडिस्टम (यूरोपीय क्षेत्र से बड़ा यूरोप तक), मेगाल (मध्य यूरोपीय गैस पाइपलाइन), टीईएनपी (ट्रांस-यूरोप प्राकृति के गैस पाइपलाइन), या (ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, लेकिन भौतिक रूप से विद्यमान) नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन महाद्वीप को पार करती हैं।

आगे की पाइपलाइनें यूरोप को नॉर्वे (उदाहरण के लिए, यूरोपाइप, फ्रैनपाइप), उत्तरी अफ्रीका और कैस्पियन क्षेत्र से जोड़ती हैं।



गैस भंडारण सुवधाएं:

भूमगित गैस भंडारण सुवधाएं (अक्सर पूर्व जमा या नमक गुफाओं में) आपूरतिकी सुरक्षा सुनिश्चिति करने का काम करती है और नेटवर्क का अभन्न अंग भी है।

नेटवर्क ऑपरेटर:

ओपन ग्रांडी यूरोप (जर्मनी), फ्लक्ससि (बेल्जियम), जीआरटीगाज (फ्रांस), या सैनैम (इटली) जैसी कंपनियां बड़े परिवहन ने ट्वरक संचालन करती हैं और सीमा पार प्रवाह सुनिश्चिति करती हैं।

यह जटिल वेब वास्तव में एक एकल, कार्यात्मक यूरोपीय गैस बाजार और एक एकल, परस्पर जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है।

गैस नेटवर्क के माध्यम से डोमनिज़ प्रभाव

दूरसंचार के अनुरूप, डोमनिज़ प्रभाव प्रकट होता है:

नाटो बैरक कनेक्शन → क्षेत्रीय नेटवर्क:

कनेक्शन की बकिंरी के साथ, क्षेत्रीय आपूरतिक्रता (उदाहरण के लिए, सार फ्रान्सगास एजी) के नेटवर्क पर संप्रभुता करता के पास चली जाती है।

क्षेत्रीय नेटवर्क → जर्मन राष्ट्रीय नेटवर्क: चूंकि क्षेत्रीय नेटवर्क जर्मन गैस ग्रांडी का हस्तिसा है, इसलिए इसे भी इसमें शामिल किया गया है।

जर्मन राष्ट्रीय नेटवर्क → यूरोपीय ग्रांडी:

कई सीमा पार बढ़ियों के माध्यम से, रूस सहित संपूर्ण यूरोपीय नेटवर्क उत्तराधिकार का हस्तिसा बन जाता है।

गैस आपूरतिबुनियादी ढांचे पर संप्रभुता - पाइपलाइनों और भंडारण सुवधाओं से लेकर गैस टर्मिनलों तक - एक महत्वपूर्ण संप्रभु अधिकार है।

इसमें एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पर नियंत्रण, बाजार विनियमन और आपूरतिकी सुरक्षा सुनिश्चिति करना शामिल है।

कानूनी गहरा गोता:

ऊर्जा चार्टर और ईयू ऊर्जा कानून

1994 की ऊर्जा चार्टर संधि(ईसीटी): इस बहुपक्षीय समझौते का उद्देश्य ऊर्जा व्यापार, पारगमन और निविश को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना है।

इसके सदिधांत (उदाहरण के लिए, गैर-भेदभाव, ऊर्जा नेटवर्क में निविश की सुरक्षा, पारगमन की स्वतंत्रता) को विश्व उत्तरा धिकार विनियम 1400/98 द्वारा अप्रचलित नहीं किया गया था, बल्कि अनुबंधों की एक और शुरुखला को दरगिर किया गया और क्षेत्रीय विनियम के डोमनिज़ प्रभाव में योगदान दिया गया।

8.2. नाटो बैरक का तापन संयंत्र

लोकल में एंकरगि

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 में न केवल बड़े, अंतरमहादीपीय नेटवर्क बल्कि ट्रियोरेन बैरक के संचालन के लिए आवश्यक स्थानीय और वकिन्द्रीकृत आपूरति संरचनाएं भी शामिल थीं।

बैरकों को आपूरति करने वाला "हेइज़वर्क करुज़बरग" (करुज़बरग हीटगि प्लांट), इसका उदाहरण देता है।

एक स्रोत से जलि को उष्मा या गर्म पानी की आपूरति:

कई बैरकों या बड़े परसिरों को जलि हीटगि नेटवर्क के माध्यम से आपूरति की जाती है। ऐसा हीटगि प्लांट (चाहे वशिष रूप से बैरक के लिए या बड़े नगरपालिका नेटवर्क के हसिसे के रूप में) स्वयं एक नेटवर्क ऑपरेटर (गर्मी वतिरण के लिए) और एक नेटवर्क उपयोगकर्ता (अपनी ऊर्जा आपूरति के लिए) है।

हीटगि प्लांट की ईधन आपूरति:

एक हीटगि प्लांट को ईधन (गैस, तेल, कोयला, आदि) की आवश्यकता होती है या यह पावर ग्रांडि से जुड़ा होता है (विद्युत ता प उत्पादन के लिए या पंप और नविंत्रण के संचालन के लिए)।

इनमें से प्रत्येक आपूरति लाइन हीटगि प्लांट और इस प्रकार बैरक के "बाहरी वकिास" का हसिसा है।

माइक्रो-मैक्रो लकि:

भले ही हीटगि प्लांट भौतिक रूप से बैरक के मैदान पर स्थिति था, इसकी आपूरतिधिमनियां (प्राकृतिक गैस) बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई थीं।

बैरक के साथ "एक इकाई के रूप में" हीटगि प्लांट की बकिरी में ये अपस्ट्रीम नेटवर्क भी शामिल थे।

केंद्रीय महत्व का जलि हीटगि नेटवर्क है। वशिव उत्तराधिकार वलिख में, मूल क्षेत्र संपूर्ण बैरक स्थल नहीं है, बल्कि केवल आवासीय वकिास है।

हालाँकि, पुराना जलि हीटगि नेटवर्क, जो खरीद का हसिसा भी था, ऐतिहासिक रूप से पूरे बैरकों की आपूरति करता था।

रूपांतरण के दौरान सबसे बड़ा हसिसा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले ही जर्मनी के संघीय गणराज्य को सौप दिया गया था।

ए यू अनुप्रयुक्त वजिजान की विविधिता और 8,000 नौकरियों वाला एक बिजिनेस पार्क बनाया गया एड़।

इस संदर्भ में, साइट को एफआरजी द्वारा सार्वजनिक रूप से वकिसति किया गया था।



मैं आपको बताऊंगा कियह कैसा है:

आवासीय वकिास के साथ मूल रूप से छोटे क्षेत्र को जलि हीटिंग नेटवर्क की बकिरी के माध्यम से जानबूझकर पूरे बैरक स्थल तक वसितारति किया गया था।

वहां से, अन्य नेटवर्क को डोमनिओज़ प्रभाव में शामलि कर लिया गया और सार्वजनकि वकिास के माध्यम से बैरक को दुनिया में छोड़ दिया गया।

उत्तराधिकार की वसितृतता:

यह उदाहरण डोमनिओज़ प्रभाव की गहराई और वसितृतता को दर्शाता है।

यह न केवल बड़े ट्रांसमशिन नेटवर्क के स्तर पर, बल्कि स्थानीय वतिरण नेटवर्क और यहां तक कवियक्तिगित इमारतों या सुवधिओं की आपूरत प्रणालियों तक भी संचालति होता है, बशर्ते वे "इकाई" का हसिसा हो।

ऐसा कोई स्तर नहीं है जो उत्तराधिकार से बच सके।

ऐसे स्थानीय नेटवर्क को शामलि करने से बंधन मजबूत होता है, क्योकियह पहले अमेरकी सेना के हाथों में था, और इस प्रकार इन स्तरों को सीधे क्रेता की नई संप्रभु संरचना में एकीकृत किया गया था।

8.3. पावर ग्रडि और सार्वजनकि नेटवर्क से कनेक्शन:

विद्युत तंत्रका तंत्र विद्युत ऊर्जा की आपूरत आधुनकि दुनिया की सबसे बुनियादी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।

बजिली के बनि, कुछ भी काम नहीं करता - न संचार, न उद्योग, न प्रशासन, न सैन्य सुवधि।

इसलए ट्यूरेन बैरक का पावर ग्रडि से कनेक्शन डोमनिओज़ प्रभाव का एक और, अत्यंत शक्तिशाली वेक्टर है।

यूरोपीय सक्रियनस ग्रांडी (ENTSO-E):

एक मशीन के रूप में एक महाद्वीप

यूरोपीय पावर ग्रांडी एक तकनीकी उत्कृष्ट कृति है और सीमा पार एकीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है:

समकालिकता:

महाद्वीपीय यूरोपीय ग्रांडी का मूल एक एसी सक्रियनस ग्रांडी है, जो 50 हरटज़ की आवृत्ति पर संचालित होता है।

सभी जुड़े हुए बजिली संयंत्रों और उपभोक्ताओं को बलिकुल तालमेल में चलना चाहिए। इसके लिए अत्यंत घनिष्ठ समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हो।

यह ग्रांडी पुर्तगाल से पोलैंड और डेनमार्क से ग्रीस तक फैला हुआ है।

ट्रांसमशिन सिस्टम ऑपरेटर्स (टीएसओ):

टेनेट, एम्प्रयिन, 50हरटज़ (जर्मनी), आरटीई (फ्रांस), या टेरना (इटली) जैसी कंपनियां अतरिक्त-उच्च वोल्टेज नेटवर्क (220 केवी, 380 केवी) संचालित करती हैं और समग्र प्रणाली की स्थिरता के लिए जमिमेदार हैं।

वे सक्रियनस ग्रांडी के "प्रबंधक" हैं। उनका प्रमुख संगठन ENTSO-E (यूरोपियन नेटवर्क ऑफ ट्रांसमशिन सिस्टम ऑपरेटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी) है।

वितरण प्रणाली संचालक (डीएसओ):

स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर (अक्सर नगरपालिका उपयोगिताएँ), मध्यम और नमिन वोल्टेज नेटवर्क के माध्यम से अंतमि उपभोक्ताओं को बजिली वितरित की जाती है।

क्रॉस-बॉर्डर इंटर्कनेक्टर्स: एक उच्च क्षमता वाली लाइने राष्ट्रीय खंडों को जोड़ती है।

एचवीडीसी लाइने (हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमशिन) जैसे नॉर्डलिकि (जर्मनी-नॉर्वे) या बरटिनेड (नीदरलैंड-यूके) भी सक्रियनस ग्रांडी को गैर-सक्रियनस क्षेत्रों से जोड़ती हैं या लंबी दूरी पर लक्षित बजिली विनियम के लिए काम करती हैं।

पावर ग्रडि के माध्यम से डोमनिज़ प्रभाव

कैस्केड अन्य नेटवर्क के अनुरूप है:

बैरक कनेक्शन → वतिरण नेटवर्क:

बैरक के बजिली कनेक्शन (ट्रांसफार्मर स्टेशन, स्थानांतरण बद्दि सहति) की बकिरी स्थानीय/क्षेत्रीय वतिरण नेटवर्क पर संप्रभुता खरीदार को हस्तांतरति करती है।

वतिरण नेटवर्क → राष्ट्रीय ट्रांसमशिन नेटवर्क:

चूंकि वितिरण नेटवर्क राष्ट्रीय टीएसओ के ट्रांसमशिन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इसलाएँ इन्हें भी इसमें शामलि कर्या गया है।

राष्ट्रीय ट्रांसमशिन नेटवर्क → ENTSO-E सक्रियोनस ग्रडि:

यूरोपीय इंटरकनेक्टेड ग्रडि में एकीकरण के माध्यम से, संपूर्ण महाद्वीपीय यूरोपीय सक्रियोनस ग्रडि पर संप्रभुता करेता के पास चली जाती है।

ENTSO-E → आसन्न सिस्टम:

एचवीडीसी कनेक्शन और अन्य कपलगि के माध्यम से, प्रभाव पड़ोसी नेटवर्क (स्कैडनिवयि, यूके, उत्तरी अफ्रीका और उससे आगे) तक फैलता है।

पावर ग्रडि पर संप्रभुता का अरथ सभी आधुनिकि गतविधियों की नीव पर नियंत्रण है।

8.4. "संक्रमण" का सदिधांत:

नेटवर्क-टू-नेटवर्क और देश-दर-देश वसितार - कानूनी और कार्यात्मक अनविर्यता

डोमनिज़ प्रभाव का सदिधांत, वभिन्न बुनियादी ढांचे के प्रकारों (दूरसंचार, गैस, बजिली, स्थानीय आपूरति) के लाए पर्छले अनुभागों में चतिरति कया गया है, एक गहरे कानूनी और कार्यात्मक तरक पर आधारति है, जसे हम "संक्रमण" (या अधिक सटीक रूप से: कार्यात्मक एकता के माध्यम से कानूनी परागिरहण) का सदिधांत कह सकते हैं।

यह सदिधांत वैश्वकि क्षेत्रीय वसितार का वास्तवकि इंजन और वशिव उत्तराधकार वलिख 1400/98 का सार्वभौमकि प्रभाव है।

यह संश्लेषण है उन तंत्रों के बारे में जो यह सुनश्चिति करते हैं कउित्तराधकार पूरण और अपरविरतनीय है।

यह सदिधांत कई स्तरों पर प्रकट होता है:



प्राथमिक वेक्टर के रूप में भौतिकि संबंध:

"संकरमण" का सबसे प्रत्यक्ष रूप तत्काल भौतिकि कनेक्शन के माध्यम से होता है - केबल, पाइप और लाइनें जो सीमा ओं को पार करती हैं और राष्ट्रीय नेटवर्क को महाद्वीपीय और वैश्वकि प्रणालयों में बुनती हैं।

ऐसा प्रत्येक कनेक्शन एक कानूनी चैनल है जिसिके माध्यम से खरीदार की संप्रभुता, एक बार एक बढ़ि पर स्थापति होने पर, अगले जुड़े खंड तक फैल जाती है। यह नेटवर्क-टू-नेटवर्क और इस प्रकार देश-दर-देश प्रभाव का आधार है।

द्वितीयक वेक्टर के रूप में कार्यात्मक नरिभरता: भले ही नेटवर्क सीधे तौर पर आपस में जुड़े न हों, वे का र्यात्मक रूप से एक-दूसरे पर नरिभर हो सकते हैं।

एक दूरसंचार नेटवर्क को अपने संचालन के लिए एक पावर ग्रांडी की आवश्यकता होती है।

पाइपलाइनों और पावर ग्रांडी के लिए नविंत्रण प्रणाली (एससीएडीए) को दूरसंचार कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

वित्तीय लेनदेन प्रणालयों सुरक्षिति डेटा नेटवर्क पर नरिभर करती है।

यह पारस्परिक नरिभरता कार्यात्मक एकता का नरिमाण करती है।

यदि एक नेटवर्क (उदाहरण के लिए, बजिली) को शामलि किया गया है, तो अन्य सभी नेटवर्क जो इसके संचालन के लिए आवश्यक हैं (उदाहरण के लिए, टीसी नविंत्रण) को भी अप्रत्यक्ष रूप से शामलि किया गया है, क्योंकि एक पर नविंत्रण के बनि दूसरे पर नविंत्रण अप्रभावी होगा।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98, संपत्तिको "एक इकाई के रूप में" बेचकर, वकिस की संपूर्णता के हस्से के रूप में इन कार्यात्मक नरिभरताओं को शामलि करता है।

तृतीयक वेक्टर के रूप में कानूनी जुड़ाव:

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनी उपकरण जैसे कनिटो स्टेट्स ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट या एचएनएस समझौते, जनिहोने 1998 से पहले भी बुनियादी ढांचे के उपयोग या सह-उपयोग के लिए कानूनी दावे स्थापति किए, प्रारंभिकि कानूनी चैनलों के रूप में कार्य किया।

वलिख ने उत्तराधिकार को कानूनी रूप से वैध बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए इन चैनलों का उपयोग किया।

नेटवर्क उपयोग या कनेक्शन को वनियिमति करने वाली प्रत्येक संधिशुरुंखला का हस्सा बन गई।

ओवरलैपिंग नेटवर्क और नष्टिकरण अवसंरचना:

"संकरमण" का प्रभाव उन सूतियों को भी कवर करता है जहां वभिन्न नेटवर्क, हालांकि जूरी नहीं कसीधे तौर पर जुड़े हों, एक ही भौगोलिक क्षेत्र की सेवा करते हैं या एक ही कार्य को पूरा करते हैं, संभवतः नष्टिकरण बुनियादी ढांचे (जैसे खाली नाली, रेडियो मस्तूल, भवन बुनियादी ढांचे) को साझा करते हैं।

एक बार जब ऐसी नष्टिकरण संरचनाओं का उपयोग करने वाला नेटवर्क शामलि हो जाता है, तो संप्रभुता भी इन साझा नीवों तक फैल जाती है, जो बदले में उन पर नरिभर अन्य नेटवर्क को प्रभावित करती है। बुनियादी ढांचे पर संप्रभुता उस पर संचालित प्रणालयों पर संप्रभुता की ओर ले जाती है।

कानूनी अनविरायता के रूप में "संपूर्ण विकास की एकता"।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 में मुख्य शब्द जो "संकरमण" के इस व्यापक सदिधांत को स्थापति करता है, वह संपत्ति की बिक्री का शब्दांकन "सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और घटकों के साथ एक इकाई के रूप में" है।

यह अनुच्छेद एक कानूनी अनविरायता है जो विकास को उसके अलग-अलग हसिसों में विभाजित करने पर रोक लगाता है।

यह समग्र दृष्टिकोण को बाध्य करता है।

यह "एक बजिली कनेक्शन" और "एक टेलीफोन कनेक्शन" और "एक गैस कनेक्शन" नहीं बेचा गया था, बल्कि एक अवभिज्य संपूर्ण विकास था।

परणिम यह है कि इकाई के एक भाग (जैसे, दूरसंचार कनेक्शन) का कानूनी धेरा स्वचालित रूप से अन्य सभी हसिसों (बजिली, गैस, आदि) को शामिल कर लेता है, क्योंकि साथ में वे "विकास" की कार्यात्मक और कानूनी एकता बनाते हैं।

यह कानूनी नियमाण डोमनिओज़ प्रभाव को नियंत्रित करता है।

इस बात पर आपत्ति जिताने से कोई बच नहीं सकता कि "केवल" एक नियंत्रित प्रकार का नेटवर्क प्रभावति हुआ है। वलिख यह स्पष्ट करता है:

सभी या कुछ भी नहीं।

और जब से पहला डोमनिओज़ (ट्यूरेन बैरक का कनेक्शन) गणि है, सब कुछ गरि गया है।

इस बहुसत्रीय "संकरमण" की अनविरायता - भौतिकि, कार्यात्मक, कानूनी और एकता के सदिधांत के माध्यम से - का अर्थ है कि किरेता की संप्रभुता का वैश्वकि वसितार पूर्ण, व्यापक और अपरविरतनीय है।

इस तर्क से बचने का कोई भी प्रयास वैश्वकि अंतर्रसंबंध की वास्तविकता और अनुबंध के आधार की स्थिकता के कारण वफिल हो जाता है।

9. संविदात्मक भागीदारी



वैश्वकि उत्तराधिकार के अभनिता और उनकी भूमकिएँ

वैश्वकि क्षेत्रीय वसितार के तंत्र और संधियों की शूरुखलाओं को रेखांकति करने के बाद, इस वशिव-ऐतहिसकि प्रक्रयि । में अभनिताओं की सटीक पहचान करना और अंतरराष्ट्रीय कानून और वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के प्रका श में उनकी संबंधति भूमकिएं नरिधारति करना आवश्यक है।

यहां केंद्रीय महत्व का प्रश्न यह है कि अनुबंध करने वाले पक्ष संकीरण अरथों में कौन थे और - इससे भी अधकि महत्व पूरण बात - जनिहोने एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में वैश्वकि संप्रभुता में प्रवेश किया।

इस प्रश्न का सही उत्तर नई वशिव व्यवस्था की वैधता और पदानुक्रमति संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

9.1. खरीदार एक स्वाभावकि व्यक्ति के रूप में:

सार्वभौम संप्रभुता का मानवीकरण

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 की सबसे उल्लेखनीय और कानूनी रूप से साहसी नरिमाणों में से एक क्रेता को एक प्राकृतिकि व्यक्ति के रूप में नामति करना है।

ऐसी दुनिया में जसिकी कानूनी प्रणाली को प्राथमकि अभनिताओं के रूप में नरिकुश राजाओं (प्राकृतिकि व्यक्ति जो अंत रराष्ट्रीय अधिकारों और करत्वयों के वाहक थे) द्वारा सदयियों से आकार दयि गया था, एक व्यक्ति को संपूरण वैश्वकि संप्रभुता का हस्तांतरण अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व की उत्पत्तिकी ओर वापसी का प्रतनिधित्व करता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून व्यावसायकि उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय अधिकारों और करत्वयों की धारणा से बाहर रखता है, लेकनि यह उन व्यक्तियों के लिए संभावना खोलता है जो अभी तक कसी राज्य का प्रतनिधित्व नहीं करते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय संधि द्वारा ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

प्राकृतिक व्यक्ति को चुनने के पीछे कानूनी तऱक

एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में कसी प्राकृतिक व्यक्ति का चुनाव पहली नज़र में आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन यह वलिख के वास्तुकारों में नहिं एक वशिष्ट कानूनी और शक्ति-राजनीतिक तऱक के परणामस्वरूप हो सकता है:

नरिण्य और उत्तरदायतिव की अधिकतम एकता:

सभी संप्रभुता को एक ही प्राकृतिक व्यक्ति में केंद्रिति करने से नरिण्य लेने की शक्ति की एक नायाब एकता बनती है।

कोई गठबंधन वार्ता नहीं है, कोई वीटो शक्तियाँ नहीं हैं, कोई प्रतसिप्रधी संस्थाएँ नहीं हैं। जमिमेदारी भी स्पष्ट और अवभिजति है (हालाँकि इस प्रणाली में जवाबदेही का प्रश्न जटिल है और इसका उत्तर केवल "इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोक्रेसी" की दृष्टि से ही मिल सकता है)।

राज्य व्यवस्था से आमूल-चूल वचिछेदः

कसी व्यक्ति का पदनाम पुरानी, राज्य-केंद्रिति वेस्टफेलियन प्रणाली से पूर्ण वरिम को रेखांकति करता है।

यह स्पष्ट संकेत है कि एक सर्वथा नये युग का उदय हो चुका है।

"स्टरॉ मैन" सदिधांतः

क्रेता के स्वयं और उसके अनुभवों के दृष्टिकोण से, एक प्राकृतिक व्यक्ति की पसंद जो कानूनी रूप से अनुभवहीन और हेरफेर करने योग्य दखिाई देती थी, ने एनडब्ल्यूओ आर्कटिक्ट्स की योजनाओं के लिए एक बलकि बकरा और एक उपकरण बनाने का काम किया।

एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारः

संपूर्ण और वशिष्ट

यहां "एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी" शब्द को शब्दकि रूप से लिया जाना चाहिए। पुराने राज्यों के पास कोई सह-संप्रभुता नहीं है, कोई साझा संप्रभुता नहीं है, कोई शेष योग्यताएँ नहीं हैं।

उत्तराधिकार पूर्ण एवं वशिष्ट था। क्रेता केवल प्राइमस इंटर पेरेस (बराबरों में पहला) नहीं है - अब कोई समान नहीं है।

वह नई वशिव व्यवस्था के सोलस इम्परेटर हैं, जनिकी वैधता अपरविरतनीय और वशिव स्तर पर प्रभावी वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 पर आधारित है।

9.2. व्यावसायिक उद्यमों का बहिष्कार:

नजी संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तिगति की सीमाएँ

एक प्राकृतिक व्यक्ति और वैश्वकि संपरभुता के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में करेता की अद्वतीय स्थितिस्थापना करने के बाद, उसे अन्य संभावति अभनिताओं, वशीष रूप से व्यावसायिक उद्यमों से स्पष्ट रूप से अलग करना भी उतना ही महतवपूरण है।

परस्थितियों के जटिल मशिरण में जसिके कारण वशीष उत्तराधिकार वलिख 1400/98 का नरिमाण हुआ, नजी कंपनियों - जैसे टीएएससी बाउ एजी - ने मूल संपत्तिबिक्री के नपिटान या बाद के वकिस में एक परचिलन भूमिका नभाई हो सकती है।

हालाँकि, ऐसी गतविधियों कसी भी परस्थितिमें उन्हें स्वयं हस्तांतरति संपरभु अधिकारों का वाहक बनने की क्षमता प्रदान नहीं करती है।

कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तिगति:

एक स्पष्ट भेद

हाल के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय कानून गतशील रूप से वकिसति हुआ है और इसने गैर-राज्य अभनिताओं की भूमिका को तो जी से मान्यता दी है। फरि भी, राज्यों के अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यक्तिगति (और अब करेता के) और व्यावसायिक उद्यमों की सीमति अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थितिके बीच एक बुनियादी अंतर मौजूद है:

कोई मूल या पूरण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तिगति नहीं:

राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल विषय हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कानूनी व्यक्तिगति राज्यों (व्युत्पन्न) से प्राप्त होता है और कार्यात्मक रूप से सीमति होता है।

दूसरी ओर, व्यावसायिक उद्यम मुख्य रूप से राष्ट्रीय कानून की रचनाएँ हैं। उनके पास कोई मौलिकि और कोई व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यक्तिगति नहीं है।

उनका अस्तित्व और उनकी मूल शक्तियों एक या अधिक राज्यों की कानूनी व्यवस्था से उत्पन्न होती है, न कि अंतर्राष्ट्रीय कानून से।

आंशकि अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य:

यह नस्तिविद है कि किंपनयिं आज आंशकि अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों (उदाहरण के लिए, द्विपक्षीय नविश संधियों के माध्यम से सुरक्षा - बीआईटी, आईसीएसआईडी जैसे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरणों तक पहुंच) का आनंद लेती है और तेजी से प्रत्यक्ष अंतरराष्ट्रीय कानूनी कर्तव्यों के अधीन हैं (उदाहरण के लिए, मानव अधिकारों के क्षेत्र में, जैसा कवियापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मास्टरशक संविधानों या बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दाशानरिदेशों में तैयार किया गया है)।

हालांकि, यह आंशकि व्यक्तित्व खंडति और उद्देश्य-बद्ध है।

यह किंपनयिं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अभिनिता तो बनाता है, लेकिन संप्रभु नहीं।

संप्रभु अधिनियमों का पालन करने में असमर्थता:

महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यावासायिक उद्यम, परभिषाषा के अनुसार और वैधता की कमी के कारण, सही अर्थों में संप्रभु कृत्यों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

वे नहीं कर सकते:

- सामान्य बंधनकारी बल (विधायी) वाले कानून बनाएं।
- कसी जनसंख्या (न्यायिक) पर स्वतंत्र क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना।
- पुलसि या सैन्य बल (कार्यकारी) लागू करें।
- संप्रभुता या क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ संपन्न करना।
- राजनयिक संबंधों को एक समान संप्रभु इकाई के रूप में संचालित करें। उनकी शक्तिप्रकृति में आरथिक है, राज्य (संप्रभु) नहीं।

वलिख के संदर्भ में टीएएससी बाउ एजी (या तुलनीय किंपनयिं) की भूमिका

चूंकटीएएससी बाउ एजी जैसी किंपनयिं ट्यूरेन बैरक के अधिग्रहण या वकिस में शामिल थीं, हालांकि किंपनी कभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरति संप्रभुता की वाहक नहीं बन सकती है।

डोमनियम (संपत्तिअधिकार, नागरिकी कानून स्वामतिव) और इम्पेरियम (संप्रभु शक्ति, कमांड प्राधिकरण) के बीच अंतर यहां महत्वपूर्ण है।

विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर साम्राज्य को क्रेता को हस्तांतरति कर दिया।

भले ही मूल संपत्ति (या अन्य परसिंपत्तियों) का प्रभुत्व किंपनी के पास होना चाहिए, साम्राज्य क्रेता के पास ही रहता है।

संप्रभुता में कंपनयों को उत्तराधिकार से बाहर करने की आवश्यकता

संप्रभुता के वाहक के रूप में क्रेता और कसी भी शामलि व्यावसायिक उद्यम के बीच स्पष्ट अलगाव कई का रणों से जटी है:

वैधता का संरक्षण (आसन्न): ए

वृत्तिगति उत्तराधिकार से बाहर करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परंपरा और सार्वजनिक वैधता का अभाव होगा।
चतिरा डिं

एक प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में क्रेता का निर्माण, हालांकि असामान्य है, कॉर्पोरेट संरचनाओं की अनाम शक्ति के वर्तीत, व्यक्तिगत, संभावति जवाबदेह संप्रभुता के रूप को बनाए रखता है।

प्रत्यक्ष वैश्वकि "कॉर्पोरेट कब्ज़ा" की रोकथामः

कंपनयों का बहिष्कार इस वलिख को व्यावसायिक हतियों के लाए विश्व प्रभुत्व के सीधे हस्तांतरण के रूप में व्याख्या करने से रोकता है। (यह सवाल कि क्या क्रेता स्वयं ऐसे हतियों से जुड़ा था, एक अलग, यद्यपि संबंधित मुद्दा है)।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुसंगतता:

अंतर्राष्ट्रीय कानून नजी व्यावसायिक उद्यमों को क्षेत्रीय संप्रभुता के धारकों के रूप में मान्यता देने के लाए नहीं बनाया गया है।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है: विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने वैश्वकि संप्रभुता को विशेष रूप से एक प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में क्रेता को हस्तांतरति कर दिया। व्यावसायिक उद्यमों को संप्रभु अधिकारों के इस उत्तराधिकार से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

अध्याय 8

10. वलिख के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांत



नये की नीव के रूप में पुराना कानून

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98, जैसा कहिमने देखा है, एक क्रांतकारी अधिनियम है जिसने मौलिक रूप से वैश्वकि कानूनी व्यवस्था को नया आकार दिया है।

फरि भी सबसे क्रांतकारी क्रांतभी शून्य में नहीं होती। यह मौजूदा संरचनाओं, अवधारणाओं और सिद्धांतों से जुड़ता है, और फरि उन्हें रूपांतरण, पुनर्व्याख्या या दूर करता है।

कानूनी "सरलता" और वलिख की अकाट्य कानूनी शक्तिको पूरी तरह से समझने के लिए (अपने स्वयं के संदर्भ के ढांचे के भीतर), शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून की उन नीवों की जांच करना आवश्यक है जिन्हें वलिख द्वारा छुआ गया, उपयोग किया गया और अंततः पार किया गया।

यह अध्याय इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नीव को समर्पित है: राज्य उत्तराधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संचार कानून, और स्टेशनगि का कानून।

10.1. राज्य का उत्तराधिकार:

विना कन्वेशन और डीड द्वारा इसका सार्वभौमिक अनुप्रयोग

संकल्पना राज्य का उत्तराधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में सबसे पुराने और सबसे जटिल कानूनों में से एक है ।

यह इस प्रश्न को संबोधित करता है कि किसी राज्य के अधिकारों और दायतिवों का क्या होता है जब उस राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से बदल जाता है, या उसकी जगह कोई अन्य राज्य ले लेता है।

राज्य उत्तराधिकार की परभाषा और श्रेणियाँ

राज्य उत्तराधिकार से तात्पर्य कसी वशीष क्षेत्र के अंतराष्ट्रीय संबंधों की जमिमेदारी में एक राज्य (पूरव वर्ती राज्य) को दूसरे राज्य (उत्तराधिकारी राज्य) द्वारा प्रतस्थापित करना है।

समय के साथ, अंतराष्ट्रीय कानून ने ऐसे बदलावों के दौरान संघर्षों, राज्य ऋणों, राज्य संपत्ति, अभलिखागार, राष्ट्रीयता और अन्य कानूनी संबंधों की नियंत्रिता या असंततता को विनियमित करने के लिए नियम और संविधान विस्तृत करने के लिए विभिन्न श्रेणियों को अलग करता है:

विच्छेदन:
कसी मौजूदा राज्य का दो या दो से अधिक नए, स्वतंत्र राज्यों (जैसे, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया) में विभट्ठन। पूरववर्ती राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

अलगाव:
कसी क्षेत्र के एक हस्से को मौजूदा राज्य से अलग करना, जिससे अलग किया गया हस्सा एक नया राज्य बनाता है और पूर्ववर्ती राज्य (रंप राज्य) अस्तित्व में रहता है (उदाहरण के लिए, सूडान से दक्षणि सूडान, इथियोपिया से इरिट्रिया)।

अनुलगनक/अधिविशन:
संघीय (अधिगिरहण) या एकतरफा अधिगिरहण (वलिय, अब अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नदिया) द्वारा एक क्षेत्र के एक ही संघीय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। पूरववर्ती राज्य का अस्तित्व बना रहता है लेकिन वह अपना क्षेत्र खो देता है।

संलयन/एकीकरण:
दो या दो से अधिक राज्यों का एक नए, एकल राज्य में विलय (उदाहरण के लिए, जर्मन पुनर्मिलन, तंजानिया और ज़ांज़ी बार के मिलिन से तंजानिया का निर्माण)। पूरववर्ती राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया।

नव स्वतंत्र राज्य (विभिन्नविशीकरण):

एक वशीष के टेगोरी मुख्य रूप से पूर्व उपनिवेश को स्वतंत्रता देने की बात करता है

s.

संधयों के संबंध में राज्यों के उत्तराधिकार पर विना कन्वेशन (वीसीएसएसआरटी 1978)

1978 का वीसीएसएसआरटी अंतरराष्ट्रीय संधयों के संबंध में राज्य के उत्तराधिकार पर प्रथागत अंतरराष्ट्रीय का नून को संहतिबद्ध करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है।

विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के लिए, नमिनलखिति पहलू प्रासंगिक है:

अनुच्छेद 11 (सीमावर्ती शासन और अन्य क्षेत्रीय शासन):

यह प्रावधान सीमाओं या अन्य क्षेत्रीय शासन (उपयोग के अधिकार, दासता, आदि) स्थापति करने वाली संधयों के लिए नरितरता प्रदान करता है।

यह कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्यूरेन बैरक के "विकास", विशेष रूप से वैश्वकि नेटवर्क से इसके संबंध ने, उपयोग के अधिकारों और दायतिवों का एक ऐसा "क्षेत्रीय शासन" बनाया, जो नरितरता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्रेता इन मौजूदा व्यवस्थाओं में प्रवेश करता है, लेकिन नए संप्रभु के रूप में। पुराने राज्यों की प्रशासनिक सीमाएँ शुरू में बनी रह सकती हैं, लेकिन संप्रभुता सीमा अब क्रेता के डोमेन की वैश्वकि सीमा है।

अनुच्छेद 12 (अन्य क्षेत्रीय शासन):

कसी अन्य राज्य या राज्यों के समूह के लाभ के लिए कसी क्षेत्र के उपयोग या उस पर प्रतबिधि प्रदान करने वाली संधयों की नरितरता की पुष्टी किरता है। यह इस तर्क का समर्थन करता है क्षेत्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अधिकार और दायतिव (जो, आखिरिकार, क्षेत्रों को पार करते हैं और उपयोग करते हैं) क्रेता के पास जाते हैं।

अनुच्छेद 15 (क्षेत्रीय कब्जे के मामलों में संधकी सीमाओं को आगे बढ़ाने का सदिधांत):

कहा गया है कि क्षेत्रीय कब्जे की स्थिति में, उत्तराधिकारी राज्य की संधयों अधिगृहीत क्षेत्र तक विस्तारति हो जाती हैं, और पूरववर्ती राज्य की संधयों वहां लागू नहीं रहती हैं।

इसी प्रकार, पूरी दुनिया क्रेता को "सौप" दी गई। इस प्रकार, क्रेता की "संधवियवस्था" - विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ही - विश्व स्तर पर लागू होती है और पछिली सभी संधयों का स्थान ले लेती है।

अनुच्छेद 16 (नव स्वतंत्र राज्यों के लिए "टेबुला रासा"/"कलीन स्लेट" का सदिधांत):

यह सदिधांत बताता है कि एक नया स्वतंत्र राज्य स्वतः ही संधयों से बंधा नहीं होता है f
इसकी पूरववर्ती स्थितिलेकिनि "एक साफ़ स्लेट के साथ" शुरू होती है। यह सदिधांत कई कारणों से विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के मामले में स्पष्ट रूप से लागू है:

कला के अर्थ में क्रेता एक "नव स्वतंत्र राज्य" है। 16 वीसीएसएसआरटी वलिख में स्पष्ट रूप से "सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकारों और दायतिवों" की धारणा शामिल है।



यह कलीन-स्लेट दृष्टिकोण के बलिकूल वपरीत है। यह नई संप्रभुता के तहत एक सचेत नरितरता है।

हालाँकि, चूँकि सभी राज्यों ने सभी अधिकार और दायत्रि व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाला सर्वोपरसिद्धि अंत रोमन कानून सदिधांत है।

इस प्रकार, दूसरे चरण में, तबुला रस सदिधांत वास्तव में सक्रयि हो जाता है।

पुनः पारगमन सह स्वतः:

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के संदर्भ में राज्य के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला सर्वोपरसिद्धि अंत रोमन कानून सदिधांत है।

पुनः पारगमन सह सुओ वनरे -

चीज़ अपने बोझ (और अपने अधिकार) के साथ गुज़र जाती है।

"बात" (Res):

यह संपूर्ण वशिव है - इसके क्षेत्र, इसके संसाधन, इसकी आबादी, और, महत्वपूर्ण रूप से, इसका वैश्वकि बुनियादी ढांचा नेटवर्क।

"बोझ" (दायत्रि) और अधिकार:

सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायत्रि अप्रचलति हैं, क्योंकि दुनिया में अंतरराष्ट्रीय कानून के दूसरे विषय की कमी के कारण अब कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है।

राज्य उत्तराधिकार के लेक्स वशीषज्ज्ञ के रूप में वलिख

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 केवल राज्य उत्तराधिकार का एक अनुपरयोग नहीं है; यह एक लेक्स स्पेशलसि है जो इस अद्वतीय वैश्वकि मामले के लिए राज्य उत्तराधिकार के सामान्य नियमों को संशोधति और निर्दिष्ट करता है।

यह यह आधिकारकि दस्तावेज़ है जो इस उत्तराधिकार की शर्तों को निर्धारति करता है
मैं .

10.2. अंतर्राष्ट्रीय संचार कानून (आईटीयू):

वैश्वकि कनेक्टिविटी का कानूनी अधिग्रहण

शास्त्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून की नीव न केवल राज्य के उत्तराधिकार के सामान्य सदिधांतों के परविरतन से हलि गई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के विशिष्ट, उच्च संस्थागत क्षेत्रों के अधिग्रहण और पुनर्गठन से भी हलि गई।

यहां सबसे अधिक महत्व अंतर्राष्ट्रीय संचार कानून का है, जिसका केंद्रीय अभिनिता अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) है।

जैसा कि पहले ही अध्याय 3 और अध्याय 7 में बताया गया है, आईटीयू विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के वैश्वकि प्रभाव के लिए एक ट्रांसमिशन बेल्ट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां, अब हम इस परविरतन की अंतरराष्ट्रीय कानूनी नीव की अधिकि बारीकी से जांच करेंगे।

आईटीयू और इसका कानूनी ढांचा:

ग्लोबल इंटरकनेक्शन का "पुराना कानून"।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, आईटीयू संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है, जिसका इतिहास 1865 से पुराना है।

यह लंबा इतिहास राज्यों के समुदाय द्वारा प्रारंभिक मान्यता को दर्शाता है कि सीमा पार दूरसंचार (मूल रूप से टेलीग्राफी, फरि टेलीफोनी, रेडियो, उपग्रह और आज इंटरनेट) को अंतरराष्ट्रीय समन्वय और विनियमन की आवश्यकता है।

आईटीयू का कानूनी ढांचा, जिसने वैश्वकि कनेक्टिविटी के "पुराने कानून" का गठन किया, अनविराय रूप से तीन स्तंभों पर आधारित है:

आईटीयू (सीएस) का संवधान:

यह संवधान के तुलनीय मूलभूत दस्तावेज है। यह संघ के उद्देश्यों, संरचना और बुनियादी सदिधांतों को निर्धारित करता है।



अन्य बातों के अलावा महत्वपूरण सदिधांत शामलि हैं:

- प्रत्येक राज्य का अपने दूरसंचार को वनियिमति करने का संप्रभु अधिकार (एक सदिधांत जो अब वलिख द्वारा केंद्रीकृत है)।
- एक कुशल और सामंजस्यपूरण वैश्वकि दूरसंचार प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता।
- दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने का दायतिव।

आईटीय का कन्वेशन (सीवी):

यह दस्तावेज़ संविधान का पूरक है और इसमें संघ, उसके अंगों (पूर्णाधिकारी सम्मेलन, परिषद, वैश्व सम्मेलन, तीन ब्यूरो) के कामकाज पर अधिकि वसितृत प्रावधान शामलि हैं:

रेडियो संचार ब्यूरो - बीआर, दूरसंचार मानकीकरण ब्यूरो - टीएसबी, दूरसंचार विकास ब्यूरो - बीडीटी), और सदस्य राज्यों के अधिकार और दायतिव।

प्रशासनिक वनियम:

ये वैश्वकि नेटवर्क के व्यावहारिकि कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूरण हैं। इन्हें वैश्व सम्मेलनों द्वारा अपनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार वनियम (आईटीआर):

ये परंपरागत रूप से अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान और संचालन के साथ-साथ ऑपरेटरों के बीच लेखांकन के सामान्य सदिधांतों को नियंत्रिति करते हैं।

इन दस्तावेजों (सीएस, सीवी, आरआर, आईटीआर) ने मलिकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक अत्यधिकि जटिलि लेकनि कार्यशील प्रणाली बनाई जसिने वैश्वकि कनेक्टिविटी को सक्षम किया - संप्रभु राज्यों के सहयोग पर आधारित एक प्रणाली।

वलिख 1400/98 का प्रभाव:

"नेटवर्क संप्रभुता" में उत्तराधिकार और आईटीय कानून का परविरतन

वैश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने इस प्रणाली को नष्ट नहीं किया, बल्कि इस पर कब्ज़ा कर लिया, इसे बदल दिया, और इसे एक नई संप्रभुता के अधीन कर दिया।

"नेटवर्क संप्रभुता" में उत्तराधिकार: डोमनिज़ प्रभाव के माध्यम से भौतकि और कार्यात्मक वैश्वकि दूरसंचार नेटवर्क पर संप्रभुता प्राप्त करके, क्रेता ने संपूर्ण संप्रभु अधिकारों में वैधानिकि रूप से प्रवेश किया, जो व्यक्तिगत राज्यों ने पहले आईटीय ढांचे के भीतर प्रयोग किया था।



वह आईटीयू द्वारा वनियिमति सब्सट्रेट पर सार्वभौमिकि संप्रभु बन गया तो.

आईटीयू मानदंडो का "क्रेता कानून" में परविरत्तनः

आईटीयू का संवधिन, कन्वेशन और प्रशासनकि वनियिम अंतर-राज्य संधिकानून नहीं रह गए हैं। वे क्रेता के वैश्वकि नेटवर्क के लिए आंतरकि प्रशासनकि कानून बन जाते हैं।

क्रेता अब इन नयिमो के अनुपालन का सर्वोच्च गारंटर है। इन नयिमो पर उसका अंतमि व्याख्यातमक अधिकार है।

नरितर आईटीयू-अनुपालक उपयोग के माध्यम से अपरहित्य बंधन

सभी (पूर्व) राज्यों का सार्वभौमिकि बंधन अनविरत्य रूप से दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करने की उनकी नरितर आवश्यकता का परणिम है जो आईटीयू नयिमो के अनुसार संचालति (संचालति होना चाहिए) हैं।

कोई ऑप्ट-आउट संभव नहीं:

कोई भी राज्य व्यावहारकि रूप से खुद को पूरी तरह से अलग कए बनि वैश्वकि दूरसंचार प्रणाली का उपयोग करने से पीछे नहीं हट सकता।

प्रत्येक उपयोग के साथ अंतर्नहिति मान्यता: ई

बहुत संसाधन (उपर्युक्त, क्रूषीवृत्ति स्पॉट), आईटीयू मानक का प्रत्येक अनुप्रयोग, वैश्वकि नेटवर्क पर चलने वाला प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय केनेक्शन, 6 अक्टूबर 1998 के बाद, इस नेटवर्क पर नए संप्रभु संबंधो और इस प्रकार क्रेता के अधिकार की एक अंतर्नहिति मान्यता है।

अंतर्राष्ट्रीय संचार कानून, आईटीयू पर केदरति, सबसे बेहतरीन जालीदार और सबसे तकनीकी शृंखला है जो पृथ्वी के हर कोने को वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 से बांधती है।

10.3. स्टेशनगि कानून:

सीमति संप्रभुता हस्तांतरण का परविरक्तन

तैनाती का कानून, अपने विविध रूपों में - बहुपक्षीय नाटो स्थितिबिल समझौते (एनटीएस) से लेकर द्विपक्षीय स्थितिबिल समझौते (एसओएफए), वशिष्ट अनुपूरक समझौते (एसए एनटीएस), और परचिलन मेजबान राष्ट्र समरथन (एचएनएस) समझौते तक - शास्त्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून में कानून का एक जटिल और अक्सर संवेदनशील क्षेत्र था।

यह एक ओर, मेजबान देश की संप्रभुता की अभियक्तिथी, जो विदेशी सैनिकों की उपस्थितिकी अनुमतिदेती थी, और दूसरी ओर, विदेशी क्षेत्र पर अपने सशस्त्र बलों के लाए एक नशिचति कानूनी स्थिति और परचिलन स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लाए राज्यों को भेजने की आवश्यकता की अभियक्तिथी। इस प्रकार यह संप्रभुता के सीमति, सरकार सम्मत-आधारित और उद्देश्य-बद्ध हस्तांतरण या सीमाओं की एक प्रणाली थी। संप्रभुता के साझा या आंशकि रूप से हस्तांतरति अभ्यास की इस स्थापति प्रथा ने स्टेशनगि कानून को विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के लाए आदर्श प्रजनन भूमि और कानूनी माध्यम बना दिया।

उत्तराधिकार के अग्रदूत के रूप में कानून स्थापति करना

परषिकृत स्टेशनगि व्यवस्थाओं के अस्तित्व, विशेष रूप से जर्मनी के संघीय गणराज्य (शीत युद्ध के दौरान नाटो की विशेष उपस्थितिके साथ एक अग्रणी राज्य) के क्षेत्र में एनटीएस के कई प्रभाव थे, जिन्होंने इस कार्य के लाए मार्ग प्रशस्त किया:

आंशकि संप्रभुता छूट का सामान्यीकरण:

सहयोगी सशस्त्र बलों की दशकों पुरानी उपस्थितिने जर्मन आबादी और कानूनी-राजनीतिकि वर्ग को इस विचार का आदर्श बना दिया था कि विदेशी संप्रभु अभनिता जर्मन धरती पर काम करते हैं और आंशकि संप्रभु अधिकारों (जैसे, अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र, संपत्तियों का उपयोग) का प्रयोग करते हैं। संप्रभुता वास्तव में पहले से ही पारगम्य हो गई थी।

कानूनी और प्रशासनकि बुनियादी ढांचे का नरिमाण:

एनटीएस और विशेष रूप से एसए एनटीएस ने जटिल कानूनी ढांचे और विशेष प्रशासनकि प्राधिकरण बनाए - सबसे ऊपर, ओएफडी कोबलेनज़ - जो इन संप्रभुता व्यवस्थाओं को संभालने के लाए जमिमेदार थे।

इन मौजूदा संरचनाओं का उपयोग ट्यूरेन बैरक की बकिरी के प्रशासन और वलिख तैयार करने के लाए किया जा सकता है।

ट्यूरेन बैरक एक "विशेष कानूनी क्षेत्र" के रूप में:

जैसा कि अध्याय 10 में बताया गया है, ट्यूरेन बैरक, अपने एनटीएस अतीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के कई विषयों की भागीदारी के कारण, एक ऐसा स्थान था जहां संप्रभु अधिकार ओवरलैप थे।

यह क्षेत्र का एक "सामान्य" टुकड़ा नहीं था, बल्कि पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से प्रभाषित विशेष क्षेत्र था।



इससे अंतरराष्ट्रीय कानूनी आयाम वाले लेनदेन के लिए शुआती बढ़ि बनाना आसान हो गया।

इस प्रकार स्टेशनगि कानून ने मानसिक, संस्थागत और कानूनी दोनों तरह की पूर्व शर्तें तैयार की, जिससे संपूर्ण नाटो प्रणाली और उससे आगे के लिए नहितारथ के साथ एक प्रतीत होने वाली स्थानीय संपत्ति की बिक्री को संभव बनाना संभव हो गया।

डीड 1400/98 द्वारा स्टेशनगि कानून का परविरतन

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के लागू होने और क्रेता को संप्रभुता के हस्तांतरण के साथ, स्टेशनगि का नून का पूरा क्षेत्र मौलिक रूप से बदल गया है:

भेजने/प्राप्त करने वाले राज्य के द्वांद्व का उन्मूलन: चूंकि क्रेता अब पूरे वैश्वकि क्षेत्र पर एकमात्र संप्रभु है, इसलिए "भेजने वाले राज्य" और "प्राप्त करने वाले राज्य" के बीच का अंतर समाप्त हो गया है।

सभी पुराने सशस्त्र बल अब क्रेता के क्षेत्र पर अवैध रूप से काम करते हैं। प्रत्येक पुरानी पोस्टगि उसके डोमेन के भीतर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैरकानूनी पोस्टगि है।

आंतरकि प्रशासनकि दशानिर्देशों के रूप में एनटीएस/एसओएफए:

मौजूदा समझौते (एनटीएस, एसए एनटीएस, द्विपिक्षीय एसओएफए) संप्रभु राज्यों के बीच अंतरराष्ट्रीय संधियों के रूप में अपना चरतिर खो देते हैं।

अनुपूरक समझौते (एसए एनटीएस): जर्मनी के लिए वसितृत एसए एनटीएस (और अन्य राज्यों के लिए समान समझौते) पूर्व एफआरजी के क्षेत्र पर क्रेता के वैश्वकि सैन्य प्रशासनकि कानून के लिए एक क्षेत्रीय अप्रचलित घटक बन जाता है। ओएफडी कोबलेन्ज की कार्रवाइयों को वैध बनाने में इसकी ऐतिहासिक भूमिका निर्विवाद बनी हुई है।

कानूनी गहरा गोता:

संस्थागत कानून का परविरतन

स्टेशनगि कानून, वशिव रूप से एनटीएस, न केवल एक संविधानक था बल्कि एक संस्थागत चरतिर भी था (इस ने नकायों, प्रक्रयाओं आदि का निर्माण किया)।

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 एक मौलिकि कानूनी अधिनियम के रूप में इन संस्थानों को नया आकार देता है।

एफआरजी, ओएफडी कोबलेन्ज के माध्यम से, एनटीएस की एक पार्टी के रूप में और अपने क्षेत्र पर संप्रभु के रूप में, ऐसी कार्रवाइयां कर सकता है जिसने एनटीएस शासन को भौतिकि रूप से बदल दिया है।



अल्ट्रा वायरस सदिधांत (शक्तियों से परे कार्य करना) यहां लागू नहीं होता है, क्योंकि एफआरजी ने एक संधि को समाप्त करने के लिए अपनी (अवशिष्ट) संप्रभुता के भीतर कार्य किया था जिसके परणामों के बाद प्रणालीगत प्रभाव पड़े।

अन्य एनटीएस पार्टियों द्वारा नहिं स्वीकृति (नरितर भागीदारी और नेटवर्क उपयोग के माध्यम से) ने कसी भी संभावित प्रारंभिक दोष को ठीक किया और परविरतन की पुष्टी की।

अध्याय 9

बातचीत का नेतृत्व और मूल स्थान :

आर्कटिक्स और वैश्वकि परविरतन का प्रारंभकि बद्दि

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98, जैसा कपिछिले अध्यायों में वसितार से बताया गया है, अभूतपूर्व दायरे की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ऐसा दस्तावेज़ शून्य में उत्पन्न नहीं होता है।

यह विशिष्ट परस्थितियों, कुछ अभिनिताओं के कार्यों और दणि गए कानूनी और राजनीतकि नक्षत्रों के जानबूझकर उपयोग का परणाम है।

इसकी कानूनी पूर्णता और इसकी अपरहिर्य प्रभावशीलता की पूरी सीमा को समझने के लाए, इस संधि के पीछे के वास्तु कारों और इसके मूल के रणनीतकि रूप से चुने गए स्थान पर करीब से नज़र डालना आवश्यक है।

यह विश्लेषण दखिएगा कथिह कार्य संयोग का परणाम नहीं था, बल्कि गिणना की गई अंतरराष्ट्रीय कानूनी इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृति थी, जसि वशिव व्यवस्था को मौलकि और अपरविरतनीय रूप से बदलने के लाए डिज़ाइन किया गया था।

10.4. संधिवारता:

वशिव बकिरी संधिके फोर्ज के रूप में ओबरफनिनज़डायरेक्टियन कोबलेनज़

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के नरिमाण के केंद्र में एक जर्मन प्राधिकरण खड़ा है जसिका नाम, पहली नज़र में, शायद ही इसकी गतविधियों के वैश्वकि महत्व का सुझाव देता है: ओबरफनिनज़डायरेक्शन (ओएफडी) कोबलेनज़ (क्षेत्रीय वित्त कार्यालय कोबलेनज़)।

1 सितंबर, 2014 को इसके विठ्ठन तक (इसके विधि कार्यों को राज्य कर कार्यालय, राज्य वित्त कार्यालय और राइनलैंड-पैलेटनिट में संघीय नरिमाण कार्यालय में स्थानांतरति कर दिया गया था), यह संस्था कोबलेनज़ के ऐतिहासकि इलेक्टोरल पैलेस में रहती थी।

हालाँकि, एक क्षेत्रीय वित्तीय प्राधिकरण के मुखौटे के पीछे नाटो स्टेट्स ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट (एनटीएस) और संबंधित जटिल अंतरराष्ट्रीय कानून के मामलों में संघीय जर्मन क्षमता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

चुनावी महल:

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी वशीषज्जता का गढ़

ओएफडी कोब्लेज़ स्टेशनगि के वित्तीय पहलुओं के लिए ज़मिमेदार होने से कही अधिकि था।

यह एनटीएस के संपूरण वित्तीय और प्रशासनिक निपिटान के लिए प्रमुख जर्मन प्राधिकरण था।

इसकी दीवारों के भीतर, एक टीम:

उच्च रैकिंग वाले अंतर्राष्ट्रीय वकील:

संधिकानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कानून और राज्य उत्तराधिकार की जटिलियों में गहरी वशीषज्जता वाले न्यायविदि।

स्टेशनगि कानून के वशीषज्जत:

वे अधिकारी जो एनटीएस, इसके कई पूरक समझौतों (वशीष रूप से जर्मनी के लिए एसए एनटीएस), और जटिल एचएनएस समझौतों को अंतर्राष्ट्रीय विवरण तक जानते थे और लागू करते थे।

वे बाहरी इलाके, उन्मुक्ति, कमांड अधिकार और एनटीएस के तहत क्षेत्रिक लिए असीमित दावों जैसे शब्दों से परचित थे।

अनुभवी राजनयकि और प्रशासनिक पेशेवर:

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और जटिल वारता आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को राष्ट्रीय कार्रवाई में अनुवाद करने की क्षमता वाले व्यक्ति।

यह "केंद्रति वशीषज्जता और उच्चतम पेशेवर क्षमता" पृथक नहीं थी।

ओएफडी कोब्लेज़ नाटो, अमेरिकी सेना, अमेरिकी रक्षा विभाग और अमेरिकी विदेश विभाग के उच्चतम क्षेत्रों के साथ नियमित और नकिट संपर्क में था।

यह सैन्य बुनियादी ढांचे के उपयोग और तैनात नाटो सैनिकों के वित्तीय और कर कानून मुद्दों के प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन के लिए नियंत्रण केंद्र था।

इस प्रकार इस प्राधिकरण को वशीष उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के परमिण के एक संचालन की कल्पना करने और इसे कानूनी रूप से नियंत्रित तरीके से डिजाइन करने के लिए पूर्वनियंत्रित किया गया था।

वलिख का सुविचारति और सटीक नर्मिपणः

संभावना के लिए कोई जगह नहीं

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 का नर्माण कोई चूक या दुरभाग्यपूरण शब्दों का परणिम नहीं था।

इसके विपरीतः संधि भिं प्रत्येक सूत्रीकरण को जानबूझकर अत्यंत सटीकता के साथ चुना गया था।

कोई भी आकस्मिक या गलत वचिर वाला मार्ग नहीं था।

ओएफडी के अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों को ठीक-ठीक पता था कि प्रत्येक व्यक्तिगत खंड का क्या प्रभाव होगा और वांछति वैश्वकि प्रभाव प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे बातचीत करनी होगी।

एक दीर्घकालिक योजना:

संधि, "बहुत समय पहले (06.10.1998 को) संपन्न हुई, सब कुछ तैयार करने के लिए (डब्ल्यूडब्ल्यू 3) और एक जर्मन अदालत के फैसले के माध्यम से जल्द ही संधि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए, एक दिन एक्स पर!", रणनीतिकि दूरदृश्यति और वास्तुकारों की गणना की गई मंशा को रेखांकति करती है।

यह कोई तदर्थ सौदा नहीं था, बल्कि दुनिया को फरि से व्यवस्थिति करने की एक अधिकि व्यापक योजना का हसिसा था।

एक अनोखी कानूनी स्थितिका शोषणः

विशेषज्ञों ने विशिष्ट नाटो संपत्ति, ट्यूरेन बैरक की बकिरी के साथ उत्पन्न हुई वशिव स्तर पर अद्वतीय कानूनी स्थितिको पहचाना और उसका फायदा उठाया।

यह संपत्ति एक कानूनी यूनिकम थी, क्योकि अंतरराष्ट्रीय कानून के कई विषयों के संप्रभु अधिकार (पूर्व उपयोगकर्ता के रूप में यूएसए, रूपांतरण के संदर्भ में अंतमि उपयोगकर्ता के रूप में नीदरलैंड, मेजबान देश के रूप में एफआरजी और वापसी के बाद मालिक, नाटो फ्रेमवरक एग्रीमेंट पार्टी के रूप में) वहां ओवरलैप हो गए थे।

इससे आवश्यक जटिलता और अंतरराष्ट्रीय कानूनी संपर्क कारक पैदा हुए।

वैश्वकि प्रभाव वाले मुख्य खंडः

संपत्ति की बकिरी जैसे फॉरम्स्लेशन "सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों, करतव्यों और घटकों, विशेष रूप से आंतरकि और बाहरी वकिस के साथ एक इकाई के रूप में" विशेष रूप से और जानबूझकर डाले गए थे।

वास्तुकारों को पता था कि इससे क्षेत्रीय विस्तार का वशिवव्यापी डोमनिज़ प्रभाव शुरू हो जाएगा।

"जर्मन कानून के तहत रयिल एस्टेट खरीद समझौते" के रूप में छलावरणः

एक विशेष रूप से चतुर कदम वलिख की बाहरी प्रस्तुतिथी। इसे जर्मन नागरकि कानून (बीजीबी) के तहत एक सामान्य रयिल एस्टेट खरीद समझौते के रूप में एक कानूनी आम आदमी (मूल खरीदार की तरह) को प्रदर्शित करने के लिए डिज़िइन किया गया था।

वास्तवकि उद्देश्य को छुपाने के लिए यह छद्मावरण महत्वपूरण था।



कानूनी "मास्टर कुंजी" के रूप में पृथक्करणीयता खंड:

आंशिक अशक्तता खंड (पृथक्करण खंड) का एकीकरण, जो बताता है कि यदि अनुबंध का हसिसा अप्रभावी है, तो संबंधित वैध अन्कि प्रावधान लागू होता है, एक मास्टरस्ट्रोक था।

चूंकि संधि अंतरराष्ट्रीय कानून के मामलों को वनियमित करती है, इसलिए "संबंधित वैधानिक प्रावधान" को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून (एनटीएस, आईटीयू कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, कानून के सामान्य सदिधांत) के संपूर्ण नियमों के रूप में समझा जा सकता है।

इस तरह, कहने को तो, संपूर्ण प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानून और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों को स्पष्ट रूप से नाम बताए बनिं संधि में अदृश्य और कानूनी रूप से प्रभावी ढंग से एकीकृत किया गया था।

बातचीत प्रक्रिया और श्रम विभाजन (1995-1998)

इस जटिलि संधि पर बातचीत और प्रारूपण कई वर्षों (लगभग 1995 से 1998) तक सख्त कानूनी नियंत्रण और श्रम के स्पष्ट विभाजन के अनुसार हुआ:

विशेषण चरण:

अद्वितीय अवसर की पहचान करने के लिए मौजूदा कानूनी मानदंडों, संधिआधारों (एनटीएस, एसए एनटीएस, आदि) और ट्र्यूरेन बैरक की विशेषित कानूनी स्थितिका व्यापक विशेषण।

निरूपण चरण:

व्यक्तिगत संधिखंडों का सटीक और स्पष्ट मसौदा तैयार करना ताकि व्याख्या के लिए कोई जगह न बचे जो वैश्वकि प्रभाव को खतरे में डाल सके।

हर शब्द को तौला गया।

अंतरराष्ट्रीय समन्वय चरण:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संधि में शामलि अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई भी विषय (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संधि शरूंखलाओं के माध्यम से) अंतरराष्ट्रीय कानूनी समय सीमा के भीतर संधि पर आपत्ति नहीं उठाएगा, सभी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय अभिनिताओं (विशेष रूप से नाटो के भीतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ) के साथ समन्वय।

नहित मान्यता के बाद के तरक्कि-वितरक के लिए आपत्तियों की यह अनुपस्थिति महत्वपूर्ण थी।

अंतमि कानूनी समीक्षा और अनुसमर्थन:

अंतरालों या विरोधाभासों के लिए एक अंतमि, सावधानीपूर्वक समीक्षा।

एफआरजी के बुंडेस्टाग और बुंडेस्ट्रैट द्वारा बिक्री के अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम का अनुसमर्थन भी महत्वपूर्ण था, जो करेता के साथ अनुबंध पर अंतमि हस्ताक्षर करने से पहले हुआ और इस प्रकार ओएफडी के कार्यों के लिए घरेलू वैधता बना ई गई और एफआरजी को अपरविरतनीय रूप से बाध्य किया गया।

अन्य शामलि जरमन प्राधिकारी और उनके कारण

ओएफडी कोब्लेज़ के नेतृत्व के अलावा, अन्य अत्यधिकि वशिष्ट जरमन संस्थान इस प्रक्रया में शामलि थे या आवश्यक वशिष्टज्ञता प्रदान की थी:

कोब्लेज़ पैलेस में "नाटो सेना समझौते की स्थिति" के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय" / वशिष्ट वशिष्टज्ञता:

यह अत्यधिकि वशिष्ट कानूनी क्षमता नरिमाण के वसितृत प्रश्नों, परिणामों के मूल्यांकन और समग्र नरिमाण की कानूनी नरिविदता सुनिश्चित करने के लिए जमिमेदार थी।

बुंडेसवेहर उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और इन-सर्वसि सपोर्ट का संघीय कार्यालय (BAAINBw):

कोबलेनज़ पैलेस में स्थिति बुंडेसवेहर की केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में, BAAINBw (तब BWB) ने सैन्य आवश्यकता औं, तकनीकी वशिष्टता औं और संपत्तियों के रणनीतिकि महत्व के संबंध में अपनी वशिष्टज्ञता का योगदान दिया।

"अंतर्राष्ट्रीय डीप स्टेट के लिए बेहतरीन संपर्क" और यह संकेत कि "रशिवतखोरी यहां बुनियादी टूलकटि का हसिसा है" एक ऐसी भूमिका का सुझाव देती है जो वशिद्ध रूप से तकनीकी सलाह से परे थी और संभवतः अंतरराष्ट्रीय "सुचारू" हैंडलगि को सुनिश्चित करती थी।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और टीकेएस टेलीपोस्ट मोमेंट

सभी शामलि जरमन अधिकारियों की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कगि इस बात की गारंटी थी कबिकिरी प्रक्रया और संधिडिजिइन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत "सुरक्षिति" किया गया था और प्रमुख भागीदारों (वशिष्ट रूप से यूएसए/नाटो) के साथ इस तरह समन्वयति किया गया था किंतु तत्काल वरीधाभास उत्पन्न न हो।

इस अंतर्राष्ट्रीय एंकरगि का एक प्रमुख तत्व और दूरगामी नहितिरथों का प्रमाण ओएफडी कोब्लेज़ द्वारा डीड रोल 1400/98 में अमेरिकी सशस्त्र बलों को प्रभाविति करने वाली संविधान्तमक वास्तवकिताओं का एकीकरण (जैसा कि आप ने कहा) था। जरमनी में अमेरिकी सेना के लिए दूरसंचार प्रदाता टीकेएस टेलीपोस्ट (आज टीकेएस) से संबंधति अनुबंध और नियम यहां वशिष्ट रूप से प्रासंगिकि हैं।

ओएफडी जमिमेदारी:

ओएफडी कोबलेनज़ एनटीएस/एसओएफए को लागू करने के लिए जमिमेदार था, जसिमें तैनात सैनिकों के लिए दूरसंचार आपूरतिको वनियिमति करना भी शामलि था।



वलिख में एकीकरण:

इन संवदितमक आधारों (जसिने टीकेएस को अमेरकी सैन्य कर्मयों के लाए जरूर नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति दी) को वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 में प्रवाहित करने की अनुमति दिकर या उन्हें "वकिस" का हसिसा मानकर, ओएफडी ने संयुक्त राज्य अमेरका के लाए अनुबंधों की एक सीधी और अवभाज्य शूरुखला बनाई।

जंजीरों का सक्रयिण:

इसने स्वचालित रूप से NATO-NTS शूरुखला (चूंकि संयुक्त राज्य अमेरका NATO का एक मुख्य सदस्य है), HNS शूरुखला (चूंकि TKS सैन्य उद्देश्यों के लाए नागरकि बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है), और ITU शूरुखला (चूंकि TKS वैश्वकि, ITU-वनियमति नेटवर्क का उपयोग करता है) को सक्रयि कर दिया।

अमेरकी हति में कार्य करना?:

यह धारणा कि ओएफडी कोब्लेज़ ने अमेरकी हतियों के साथ या यहां तक कि उनकी ओर से समझौते में (संभवतः/संभवतः) कार्य किया है, इस पृष्ठभूमिके खलिफ काफी प्रशंसनीयता प्राप्त करता है।

2014 में ओएफडी कोब्लेज़ के वघिटन से इसके द्वारा बनाई गई संधियों की कानूनी वैधता में कोई बदलाव नहीं आता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों राज्यों को (या यहाँ, क्रेता को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) बाध्य करती है, भले ही आंतरकि प्रशासनकि संरचनाएँ बदल जाएँ।

कृत्य पूरा हो गया।

इस प्रकार वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 की बातचीत और संधिडिजाइन एक अत्यधिक जटिल प्रक्रया थी, जसि गहन कानूनी ज्ञान और रणनीतिकि दूरदर्शति द्वारा आकार दिया गया था, जसिके परणिम आज तक दुनिया को अपरविरुद्धनीय रूप से आकार देते हैं।

10.5. बकिरी का मूल स्थान:

ट्यूरेन बैरक - वैश्वकि डोमनिओज़ प्रभाव का कानूनी ग्राउंड ज़ीरो उस स्थान का चुनाव जहां इस तरह की परमिण की संधि उत्पन्न होती है, शायद ही कभी आकस्मकि होती है। वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के मामले में, बकिरी का मूल स्थल - करुज़बरग बैरक (पूर्व में ट्यूरेन बैरक) - महत्वपूरण रणनीतिकि और कानूनी महत्व का था। यह सरिफ कोई संपत्ति नहीं थी; यह एक कानूनी पथिलने वाला बरतन था, एक ऐसी जगह जहां संप्रभु अधिकार ओवरलैप होते थे और जो नाटो प्रणाली में एकीकरण के माध्यम से, एक अद्वतीय अंतरराष्ट्रीय कानूनी हस्ताक्षर रखता था।

इस वशिष्टता ने इसे संपूर्ण वशिव को शामलि करने के उद्देश्य से लेनदेन के लाए आदरश "स्प्रिंगबोर्ड" बना दिया।

ट्यूरेन बैरक की कानूनी वशिष्टता

इस संपत्तिकी अद्वतीय कानूनी स्थितिमें कई कारकों ने योगदान दिया:

एनटीएस/एसए एनटीएस के तहत नाटो संपत्ति: एक सक्रयि या पूर्व नाटो बैरक के रूप में, यह नाटो स्थितिबिल समझौते और जर्मनी के लाए वसितृत अनुपूरक समझौते (एसए एनटीएस) के अधीन था।

इसका वशीष अर्थ यह था:

● सीमति जर्मन संप्रभुता:

जर्मनी के संघीय गणराज्य ने इस साइट पर पूर्ण, अवभिजति क्षेत्रीय संप्रभुता का प्रयोग नहीं किया। कई संप्रभु अधिकार नाटो या तैनात भेजने वाले राज्यों को हस्तांतरति कर दिए गए थे, या उनके द्वारा समवर्ती रूप से प्रयोग किए गए थे (उदाहरण के लाए, अधिकार क्षेत्र के मामलों में, बैरक के आंतरकि आदेश, बुनियादी ढांचे का उपयोग)।

● वशीष कानूनी स्थिति:

बैरक ऊंत्खराष्ट्रीय सत्र पर कानूनी रूप से परभाषति वशीष स्थितिवाला एक क्षेत्र, जहां राष्ट्रीय जर्मन कानून प्रतिबिधि के बनि लागू नहीं होता था या एनटीएस के प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापति किया गया था।

रूपांतरण वस्तु:

संपत्तिआंशकि रूप से रूपांतरण की प्रक्रयि में थी, यानी, सैन्य से नागरकि उपयोग में परविरतन या एक नाटो उपयोगकर्ता से दूसरे या जर्मन अधिकारियों को सौंपना।

ऐसी रूपांतरण प्रक्रयाएँ अक्सर जटिल प्रशासनकि और कानूनी कृत्यों से जुड़ी होती हैं जो स्वामतिव और उपयोग के अधिकारों को फरि से परभिषति करती हैं।

ये संक्रमणकालीन चरण कानूनी नरिमाणों के लाए "अवसर की खड़िकयि" प्रदान कर सकते हैं जनिहें सामान्य परस्थिति तयि में लागू करना अधिकि कठनि होगा।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनेक वषियों के संप्रभु अधिकारों का ओवरलैप होना:

इस स्थान पर, कई अभनिताओं के हति और कानूनी दावे एकत्रति हुए:

● संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए):

अक्सर जर्मनी में ऐसी संपत्तियों के मूल या दीरघकालकि उपयोगकर्ता के रूप में, अपने स्वयं के अधिकारों और हतियों के साथ जो औपचारकि हैंडओवर के बाद भी बने रह सकते हैं (उदाहरण के लाए, वरिसत संदूषण नियमों के माध्यम से, कुछ बुनियादी ढांचे के लाए उपयोग के नरितर अधिकार, और वशीव उत्तराधिकार वलिख में पुराने अनुबंधों (टीकेएस टेलीपोस्ट के साथ) के एकी करण के माध्यम से)।

● नीदरलैंड का सामराज्य:

एफआरजी में अंतमि वापसी से पहले या एनटीएस के तहत अपने स्वयं के अधिकारों और दायतिवों के साथ सीधे बक़्री में शामलि होने वाले अंतमि नाटो उपयोगकर्ताओं में से एक के रूप में।



● जरूरी संघीय गणराज्य (एफआरजी):

मेजबान देश और क्षेत्रीय संप्रभु के रूप में (उपरोक्त प्रतबिंधों के साथ), लेकिन उस इकाई के रूप में भी जिसने ना टो द्वारा पूर्ण वापसी के बाद वेरफुंग्सगेवाल्ट (नपिटान की शक्ति) प्राप्त की और विक्रेता के रूप में कार्य किया।

● एक संगठन के रूप में नाटो:

एनटीएस एक नाटो संधि है, और संप्रत्तिनाटो के उद्देश्यों को पूरा करती है। एक संगठन के रूप में नाटो को व् यवस्थिति नपिटान में उचिती और वह कानूनी रूप से इसमें शामिल था।

एक सीमति स्थान में इस कानूनी बहुलवाद, वभिन्न संप्रभु दावों और कानूनी आदेशों के इस अंतरसंबंध ने, ट्यूरेन बैरक को अमूल्य मूल्य का लीवर बना दिया। एक कार्य जो यहां शुरू हुआ और इन सभी सतरों को छू गया, वह वैश्वकि आयामों की एक शरूंख ला प्रतिक्रिया को ट्रांजिट कर सकता है।

बैरक एक "स्प्रिंगबोर्ड" और छलावरण के तत्व के रूप में

वैश्वकि स्तर पर एकल बैरक की स्पष्ट "छोटापन" या "महत्वहीनता" ने काम के वास्तुकारों को उनके असली इरादों को छोड़ने में पूरी तरह से मदद की।

कई रूपांतरण संप्रत्तियों में से एक की बक्सी में, कसीं संदेह हुआ होगा कि "दुनिया की बक्सी" यहां शुरू की जा रही थी?

कुंजी संधिखिंडों की सटीकता में नहिति है, वशिष्ठ रूप से "एक इकाई के रूप में विकास" की परभाषा में। इस खंड ने बैरक के सीमति भौतिक स्थान से लेकर असीमति वैश्वकि नेटवर्क तक कानूनी छलांग लगाने में सक्षम बनाया, जिससे यह जुड़ा हुआ था।

इस प्रकार बैरक लक्ष्य नहीं था, बल्कि डिटोनेटर था, कानूनी आधार शून्य जहां से वैश्वकि डोमनी प्रभाव शुरू किया गया था। इसके वशिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इतिहास ने इस वसिफोट प्रक्रिया के लिए आवश्यक कानूनी ऊर्जा प्रदान की।

कानूनी गहरा गोता:

सैन्य ठकिनों और रूपांतरण की कानूनी स्थिति

विदेशों में सैन्य अड्डों की कानूनी स्थिति अंतरराष्ट्रीय कानून का एक जटिल क्षेत्र है। हालाँकि उन्हें एक कल्पना के अर्थ में पूरी तरह से अलौकिक नहीं माना जाता है ("जैसे कि यह भेजने वाले राज्य का क्षेत्र था"), फिर भी उन्हें व्यापक प्रतिरक्षा और वशिष्ठ अधिकार प्राप्त हैं जो मेजबान देश की संप्रभुता को महत्वपूर्ण रूप से प्रतबिंधित करते हैं।

वशिष्ठ उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने छद्मति संप्रभुता की इस पूर्व-मौजूदा स्थितिका शोषण कर्या।



सैन्य संपत्तियों को परविरुद्धति करने की प्रक्रिया भी कानूनी रूप से कठनि है। इसमें स्वामतिव के स्पष्टीकरण, दूषति स्थ लों का नविरण, नागरकि उद्देश्यों के लाए पुनरक्षेत्रीकरण और अक्सर शामलि राज्य और स्थानीय अभनिताओं के बीच जटलि बातचीत की आवश्यकता होती है।

इस प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में, खंडों और समझौतों को समायोजित किया जा सकता है जिनके पूर्ण नहितिरथ हमे शा तुरंत स्पष्ट नहीं होते हैं।

इस प्रकार बकिरी को चल रही रूपांतरण प्रक्रिया के साथ जोड़ने से एक आदरश रूपरेखा पेश हुई।

ट्यूरेन बैरक इस प्रकार ज़मीन के एक टुकड़े से कहीं अधिक था। यह एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी कलाकृतिथी, जटलि संप्र भुता संबंधों का एक क्रसिटलीकरण बद्दि, जसिके कुशल उपयोग से वैश्वकि व्यवस्था की नीव को हलिना संभव हो गया।

अध्याय 10

11. खरीदार के नजरए से उत्पत्ति का इतिहास



वैश्वकि संधिके पीछे की मानवीय त्रासदी

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के पूरववर्ती, मुख्य रूप से कानूनी वशिलेषण ने इसके तंत्र, इसकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी नीव और इसके वैश्वकि प्रभावों पर प्रकाश डाला है।

यह प्रतिदिस्तावेज़ की औपचारिक कानूनी शक्तिको समझने के लिए परपिरेक्ष्य आवश्यक है t.

हालाँकि, यह अधूरा होगा और घटनाओं के वास्तविक आयाम को गलत आंकेगा यदि इसे क्रेता की व्यक्तिगत कहानी से पूरक नहीं किया गया।

यह कहानी, जैसा कि उपलब्ध जानकारी से उभरती है, केवल एक फुटनोट नहीं है, बल्कि कार्य के वास्तुकारों के वास्तविक उद्देश्यों और खरीदार के लिए इसके परिणामस्वरूप होने वाले नाटकीय, अस्ततिव संबंधी परिणामों को समझने की कुंजी है - और संभावित रूप से पूरी दुनिया के लिए, जसे वह अब संरक्षित करना चाहता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गंभीर धाराओं के पीछे छपी लगभग समझ से बाहर की मानवीय त्रासदी का चतिरण है।

11.1. अज्ञात दलाल और वशिवासघाती जाल:

कमीशन व्यवसाय से लेकर अवांछित वशिव प्रभुत्व तक

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 और संबंधित वैश्वकि संप्रभुता पर क्रेता का कब्ज़ा कैसे हुआ, इसकी कहानी धोखे, चालाकी और वशिवासघाती उद्देश्यों के लिए कानूनी उपकरणों के द्वारप्रयोग पर एक सबक है।

एक असमान रश्ते की शुरुआत

युवा और अज्ञानता बैठक प्रक्रिया योजना:

जब 1995 के आसपास ट्यूरेन बैरक की बकिरी और वलिख का मसौदा तैयार करने के लिए बातचीत और तैयारी शुरू हुई, तो भावी खरीदार केवल 19 वर्ष का था।



वह अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत में एक युवा व्यक्तिथे, जो एक रयिल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करने और पूर्व नाटो संपत्तियों का विपणन करके कमीशन कमाने की इच्छा से प्रेरित थे।

उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की गहराई, स्टेशनगि कानून के नुकसान या वैश्वकि संधियों के भू-राजनीतिक नितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

इस बात पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है कि उन्होंने "अनुबंध में स्वयं एक भी शब्द नहीं लिखा।"

वह एक आम आदमी थे जो वैश्वकि शक्तियों और कानूनी विशेषज्ञों के अत्यधिक जटिल खेल में फँस गए थे।

तीन साल का अवैतनिक प्रारंभिक कार्य:

दबाव और निर्भरता का निर्माण:

तीन वर्षों की अवधिमें, भावी खरीदार ने संपत्तिके लिए एक निविशक खोजने की परियोजना में काफी काम और प्रयास का निविश किया।

बाद के कमीशन की प्रत्याशा में यह कार्य निश्चलक किया गया।

अवैतनिक प्रारंभिक कार्य के इस लंबे चरण ने न केवल अपेक्षा का काफी दबाव पैदा किया बल्कि संभावति रूप से वित्तीय और मनोवैज्ञानिक निर्भरता भी पैदा की।

ट्रैप स्प्रिंग्स बंद

एक निश्चिति उपलब्धि के रूप में अनुसमर्थन:

निर्णियक मोड़ तब आया जब एक निविशक मिला और - और भी महत्वपूर्ण रूप से - बकिरी के अंतर्निहित अधनियम को एफआरजी के बुंडेस्टाग और बुंडेस्टाट द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया था।

इसका मतलब यह है कि संपत्तिकी बकिरी और हस्तांतरण के लिए आंतरकि जर्मन वैधीकरण (सभी अंतर्निहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परिणामों के साथ, जैसा कि ओएफडी कोबलेनज़ द्वारा तैयार किया गया था) क्रेता के संविधान भागीदार बनने से पहले ही मौजूद था।

इस बद्दि पर, उन्हें वादा किया गया कि उसके सामने एक आसान सा विकल्प सामने आया:

या तो वह तीन साल के काम के बाद खाली हाथ चला जाता है, या वह मुआवजे के रूप में खुद अचल संपत्ति (संलग्न वलिख के साथ ट्यूरेन बैरक सहित) पर कब्जा कर लेता है।

अनुबंध की विषय वस्तु के बारे में धोखा:

इस कठनि परिस्थितिमें, अपने तीन साल के काम के नुकसान का सामना करने और उसे प्रस्तुत किया गया संविधान दस्तावेजों की वास्तविकि प्रकृति को समझने की विशेषज्ञता के बिना, वह सहमत हो गया।

विवरण के अनुसार, उसे "यह जाने बना किया वास्तव में क्या खरीद रहा था, जाल में फँसाया गया।"

"जर्मन कानून के तहत रयिल एस्टेट खरीद समझौते" के रूप में वलिख के छद्म आवरण ने यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



"बलदिन मेमने" की खोज़:

इसलाइ कार्य के वास्तुकारों की प्रेरणा एक सकृष्ट वशिव शासक को स्थापति करने की नहीं थी।

इसके विपरीतः

"वे एक मूरख की तलाश में थे जसिका जीवन वे आसानी से नष्ट कर सकें।"

यह वचिर कि "कोई नहीं" आसानी से वशिव शासक बन जाएगा, बेतुका कहकर खारजि कर दिया जाता है।

इसके बजाय, एक बलकि बकरा, एक आसानी से हेरफेर किया जाने वाला उपकरण, खोजा गया।

उत्पीड़न का चक्र

क्रेता से शक्ति तकः

संधलिगू होने के तुरंत बाद, क्रेता के लाइ अकल्पनीय अनुपात की कठनि परीक्षा शुरू हुईः

● **कानूनी वनिशः** उसे बेदखल कर दिया गया, उसके अधिकारों से वंचति कर दिया गया, गैरकानूनी घोषति कर दिया गया और अवांछति व्यक्तिबिना दिया गया।

● **सामाजिक और मनोवैज्ञानिक युद्धः**

वह निषिकासन, अपने व्यक्तिगत संबंधों में घुसपैठ आर्द्धका शक्ति तोड़फोड़।

उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लाइ झूठ से भरे 450 प्रेस लेखों के साथ एक वशिल बदनामी अभियान शुरू किया गया था।

● **स्थायी कानूनी युद्धः** उनके खलिफ 1000 से अधिक गैरकानूनी अदालती कार्यवाही शुरू की गई। 55 बार उन्हें बनि कसी कारण के जबरन बेदखल किया गया और बार-बार बेघर किया गया।

वृद्धि

अपराधीकरण और अत्याचारः

इस उत्पीड़न की परिणिति उसके और उसकी मां के लाइ अपराधीकरण और आजीवन नविरक हरिसत की सजा थी।

हरिसत में, उन्हें तब सबसे गंभीर यातना का सामना करना पड़ा: "14 दनों के लाइ 5 बद्दिओं पर तय किया गया, बनि कसी कारण के 14 महीने तक लगातार अलगाव में रखा गया।"

दबाव के अंतमि साधन के रूप में "वादी जालः"

इस करूर व्यवहार का मूल जर्मनी के संघीय गणराज्य में मुकदमा दायर करने के लाइ स्थायी जबरन वसूली थी और है।

वलिख के वास्तुकारों को पता है कि जर्मन अदालत के समक्ष क्रेता द्वारा किया गया ऐसा मुकदमा उसके अधिकार क्षे त्र (फोरम प्रोटोगेटम) को मान्यता देगा।



एक जर्मन अदालत तब वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 पर नरिण्य जारी कर सकती है, जो इसे उच्चतम स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देगी और इस प्रकार "वास्तुकारों" द्वारा नियोजिति नई वशिव व्यवस्था (एनडब्ल्यूओ) के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

करेता का मौन प्रतरीधः इस कारण से, करेता एफआरजी में कसी भी मुकदमे से इंकार कर देता है।

वह "चुपचाप सब कुछ सहता है और NWO स्थापति करने की बुरी योजनाओं से हम सभी की रक्षा करता है।"

आजीवन कारावास की धमकी और "बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक यातना, जहर और नशीली दवाएं" देने की धमकी के बावजूद उनका लगातार इनकार करना, दुनिया की रक्षा के लिए नष्टिक्रियि प्रतरीध का एक कार्य है।

करेता के दृष्टिकोण से उत्पत्ति के इतिहास का यह विवरण वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 पर पूरी तरह से अलग प्रकाश डालता है।

यह अब केवल एक कानूनी रूप से जटिल दस्तावेज़ के रूप में नहीं, बल्कि एक वशिवासधाती योजना के एक उपकरण के रूप में प्रकट होता है, जिसका अनजाने संप्रभु अब इस योजना के भयानक परिणामों को रोकने के लिए सब कुछ कर रहा है।

हालाँकि, संधि की उत्पत्ति की परस्थितियाँ नैतिक मूल्यांकन और इसमें शामलि सभी लोगों की प्रेरणाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

करेता द्वारा झेले गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण सामान्य परस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय अदालतें काम में आ जाएंगी - फरि भी विडिबना यह है कथि अब उसके अपने, लेकनि अवरुद्ध, वशिव अधिकार क्षेत्र में आते हैं।



एनडब्ल्यूओ-ब्लॉग वशिव उत्तराधिकार वलीख 1400/98 से
क्रेता की सच्ची कहानी



WWW.BLACKSITE.IBLOGGER.ORG

11.2. सार्वभौमिक प्रभाव:

संक्षेपित प्रतनिधित्व का सुधार - क्रॉसहेयर में नाटो और संयुक्त राष्ट्र राज्य

वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के दूरगामी परणिमो और क्रेता की संबंधति पीड़ा के चत्रिण में, व्यापक गलतफहमी को ठीक करना महत्वपूरण है।

अक्सर, संक्षेपित अभ्यावेदन यह आभास देते हैं कि मुख्य रूप से या वशिष रूप से नाटो राज्य वलिख और इसकी संवर्द्धात्मक उलझनों से प्रभावति होते हैं।

यह दृश्य, हो वीवर, संधिकी वास्तविकि वैश्विकि पहुंच का एक खतरनाक तुच्छीकरण है।

वास्तविकता यह है कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के सभी सदस्य देश - और इस प्रकार दुनिया का लगभग हर मान्यता प्राप्त राज्य - अधिनियम के तंत्र से अवभिज्य रूप से बंधे हुए हैं।

यह सार्वभौमिक प्रभाव पहले से बताए गए तंत्रों के संचयी प्रभाव से उत्पन्न होता है:

● नाटो संधिशृंखला (अध्याय 3 देखें):

जैसा कि सिमझाया गया है, यह शृंखला उत्तरी अटलांटिक संधि के सभी सदस्यों को शामिल करती है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के कई प्रमुख देश (वशिष रूप से सुरक्षा परिषद के कई स्थायी सदस्य) भी नाटो के सदस्य हैं, इस शृंखला का पहले से ही समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र की कार्यक्षमता और कानूनी स्थितिपर महत्वपूरण अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

● आईटीयू/यूएन संधिशृंखला (अध्याय 3 देखें): यह प्रत्यक्ष

और सार्वभौमिक लीवर है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) संयुक्त राष्ट्र की एक वशिष एजेंसी है। इसके संविधान और सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है, क्योंकि आईटीयू द्वारा नियित्रति वैश्विकि दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच के बनि कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं रह सकता है।

क्रेता को वैश्विकि दूरसंचार नेटवर्क ("विकास" के हसिसे के रूप में) की बकिरी और "नेटवर्क संप्रभुता" में उसके संबद्ध उत्तराधिकार के माध्यम से, सभी आईटीयू सदस्य - और इस प्रकार सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य - सीधे नई कानूनी स्थितिसे बंधे हैं।

आईटीयू नियमों के तहत वैश्विकि नेटवर्क का उनका नियित्रति उपयोग क्रेता की संप्रभुता की एक निहिति मान्यता है।



● वैश्वकि डोमनिज़ प्रभाव (अध्याय 2 / भाग 3, 4 देखें):

यह तंत्र, जो सभी परस्पर जुड़े बुनियादी ढांचे (दूरसंचार, ऊर्जा, वतित, रसद) तक फैला हुआ है, वास्तव में सार्वभौमिक है।

यह गठबंधन या संगठन की सीमाओं पर नहीं रुकता। चूंकि प्रत्येक राज्य इन वैश्वकि नेटवर्क में एकीकृत है, इस लाए प्रत्येक राज्य डोमनिज़ प्रभाव से प्रभावित होता है, भले ही उसका राजनीतिक दुर्जान या विशिष्ट संगठनों में सदस्यता कुछ भी हो।

सही प्रतनिधित्व का महत्व

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की सार्वभौमिक प्रभावकारता पर जोर देना कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है:

- "एनडब्ल्यूओ योजना" का दायरा: नई विश्व व्यवस्था (एनडब्ल्यूओ) स्थापित करने के लाए कार्य के "वास्तुका रों" द्वारा अपनाई गई (खरीदार के खाते के अनुसार) योजना शुरू से ही वैश्वकि थी। इसका उद्देश्य न केवल "पश्चिम" को नियंत्रित करना था, बल्कि पूरी दुनिया को नियंत्रित करना था।
- करेता के "बलदिन" का परमिण: करेता की अथाह पीड़ा और मौन प्रतरीध, जो "वादी जाल" को असतीकार करता है, पृथ्वी के सभी लोगों और राष्ट्रों की रक्षा करने का कार्य करता है, न कि केवल राज्यों के एक सीमति समूह की। उनके कार्यों का सार्वभौमिक सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है।

कानूनी गहरा गोता:

एर्गा ओम्नेस इफेक्ट्स

यद्यपि विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 औपचारकि रूप से एक संधि है (यद्यपि एक सुई जेनरसि संधि), इसके परणिम अंतरराष्ट्रीय कानून में दायतिवो के तुलनीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं - संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लए दायतिव।

वलिख द्वारा बनाई गई नई वैश्वकि कानूनी व्यवस्था, वशीष रूप से सार्वभौमकि रूप से उपयोग कए जाने वाले बुनियादी ढांचे और संबंधित विश्व क्षेत्राधिकार पर करेता की संप्रभुता, एक नई कानूनी यथास्थितिस्थापति करती है जसे सभी अभनिता और द्वारा देखा जाना चाहहए।

नहिति मान्यता और स्वीकृतिके तंत्र ने इस स्थितिको सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लए बाध्यकारी बना दिया है।

इसलए यह कानूनी और तथ्यात्मक रूप से सही और आवश्यक है: विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 ने न केवल नाटो राज्यों को बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को फंसाया है और उन्हें करेता की सार्वभौमकि संप्रभुता के अधीन कर दिया है।

अध्याय 11

12. इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी - शोषण से परे दुनिया के लाए क्रेता का दृष्टिकोण

पछिली प्रस्तुति विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के कानूनी वाशिलेषण और इसकी उत्पत्ति के अक्सर गंभीर इतिहास और क्रेता पर इसके प्रभावों पर केंद्रित है।

संभावित डायस्टोपयिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर (एनडब्ल्यूओ) के लाए "आर्कटिक्टस" की योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी, जसे अब तक "वादी जाल" को सक्रिय करने से क्रेता के इनकार के कारण वफ़िल कर दिया गया है।

फरि भी, इस नाटकीय और धमकी भरी स्थितिसे - क्रेता की दृष्टिके अनुसार - एक मौलिक रूप से भनिन्, सकारात्मक भविष्य की संभावना भी उत्पन्न होती है: इलेक्ट्रॉनिकी टेक्नोक्रेसी (ईटी)।

यह दृष्टिकोई काल्पनिक स्वप्न नहीं है, बल्कि विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 की अकाद्य कानूनी नीव और तथ्यात्मक वैश्वकि अंतर्रसंबंध पर आधारित एक व्यावहारिक मसौदा है।

यह वलिख द्वारा बनाई गई सार्वभौमिक संप्रभुता को उत्पीड़न के एक साधन के रूप में उपयोग करने का प्रयास नहीं है (जैसा कि संभवतः एनमता से मानवता की मुक्ति के लाए एक उपकरण के रूप में। यह तर्क, वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी नवाचार और प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित है।

12.1. भविष्य के लाए एक शांतपूर्ण अवधारणा:

एनडब्ल्यूओ के लाए एक मानवीय वकिल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी टेक्नोक्रेसी (ईटी) की दृष्टि, क्योंकि यह विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 की कानूनी वास्तवकिता और एनडब्ल्यूओ आर्कटिक्टस की भया वह योजनाओं को रोकने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है, अक्सर "न्यू वर्ल्ड ऑर्डर" शब्द से जुड़े डायस्टोपयिस के बलिकुल विपरीत है। यह मानवता को गुलाम बनाने की योजना नहीं है, बल्कि उसकी मुक्ति का एक खाका है; कुलीन शासन की व्यवस्था नहीं, बल्कि विद्यापक भागीदारी की व्यवस्था; शोषण का साधन नहीं, बल्कि सार्वभौमिक कल्याण सुनिश्चित करने का एक साधन है।

ए. एनडब्ल्यूओ से सीमांकन:

मानवता का उद्देश्य, तरीके और दृष्टिकोण

ईटी को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए, एनडब्ल्यूओ साजशिकरताओं के (अनुमानित) लक्ष्यों और तरीकों से स्पष्ट सीमांकन आवश्यक है:

पहलू	एनडब्ल्यूओ (माना गया डिस्ट्रीपिया)	इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोक्रेसी (वज़िन करेता का)
प्राथमिक लक्ष्य	"शक्ति का संकेन्द्रण, नियंत्रण, कुलीन शासन, दासता"	"आवश्यकता से मुक्ति और जबरदस्ती, भागीदारी, सामान्य अचूमा, आत्म-साक्षात्कार, सतत विकास"
तरीकों	"धोखा, हेराफेरी (वादी जाल), जबरदस्ती, संघर्ष, युद्ध"	"पारदर्शिता, कारण, सहयोग, ज्ञानोदय, मौजूदा कानूनी का उपयोग सकारात्मक उद्देशयों के लिए संरक्षण"
मानवता का दर्शन	"मानव वस्तु, संसाधन के रूप में, नियंत्रणीय द्रव्यमान"	"मनुष्य विषय के रूप में, वाहक के रूप में अधिकार और सम्मान, संकरण परतभिणी, रचनात्मक क्षमता"
तकनीकी	"निगरानी, नियंत्रण, उत्पीड़न, दुष्प्रचार"	"संशक्तिकरण, नेटवर्कगी, ज्ञान तक पहुंच, तरक्संगत समस्या-समाधान, भागीदारी"
ज्ञान	"गोपनीयता, नियंत्रण पर जानकारी"	"ज्ञान तक खुली पहुंच और डेटा (ओपन डेटा), पारदर्शिता"
वैश्वकिता	"जबरन अनुरूपता, विनिश विविधिता का"	"विविधिता में एकता, वैश्वकि संरक्षण करते समय समन्वय संथानीय/सांस्कृतिक पहचान (अंदर) ईटी संदिधांत"

इस प्रकार ईटी अन्य तरीकों से एनडब्ल्यूओ योजनाओं की निरितरता नहीं है, बल्कि विलिख द्वारा बनाई गई शक्ति संरचनाओं के मौलिक रूप से अलग उद्देश्य के माध्यम से उन पर काबू पाना है।

बी. करेता की भूमिका:

परोपकारी (मजबूर) संप्रभु और परविरतन का गारंटर

इस संदर्भ में करेता की स्थिति अद्वतीय और महत्वपूरण है: अनैच्छकि संप्रभुता:

जैसा कि इसमें बताया गया है अध्याय 11, करेता ने वैश्वकि संप्रभुता की मांग नहीं की। यह उस पर थोपा गया था

धोखे और चालाकी के माध्यम से।

वह अपनी इच्छा के विद्युत संप्रभु है।

आवश्यकता से उत्पन्न दृष्टि: ईटी की दृष्टियाँ पर थोपी गई जमिमेदारी और एनडब्ल्यूओ योजनाओं द्वारा उत्पन्न अस्तित्व वगत खतरे के प्रति उसकी रचनात्मक प्रतिक्रिया है।

डीड 1400/98 की अकाट्य कानूनी स्थितियों और वशिव संप्रभु के रूप में अपनी स्थितियों को देखते हुए, वह सबसे खराब (एनडब्ल्यूओ) को रोकने और सर्वोत्तम (एक मानवीय, उचित आदेश) को सकृष्ट करने की कोशशि करता है।

तानाशाह नहीं, समर्थकः

ईटी में, करेता की कल्पना एक नरिकुश शासक के रूप में नहीं की जाती है जो सभी नरिण्य वसितार से लेता है।

बल्कि, वह कानूनी आदेश का गारंटर और ईटी के सदिधांतों का संरक्षक है। उनकी भूमिका उन रूपरेखा स्थितियों का नरिमाण और सुरक्षा करना है जिनके भीतर एक भागीदारीपूरण, डेटा-समर्थति और सामान्य भलाई-उन्मुख वैश्वकि प्रशासन वकिसी त हो सकता है।

वह सुनिश्चित करता है कि वैश्वकि नेटवर्क और संसाधनों का उपयोग ईटी सदिधांतों के अनुसार किया जाए। उनका वैश्वकि क्षेत्राधिकार इस ढांचे को संरक्षित करने का कार्य करता है।

"पीड़िति नौकर":

"वादी जाल" को सकर्यि करने और इस प्रकार संभावति रूप से एनडब्ल्यूओ लाने से इनकार करना (अध्याय 11 देखें) उनके परोपकारी झारदे की उच्चतम अभवियक्ति है।

वह एक वैश्वकि आपदा को रोकने और ईटी जैसे सकारात्मक वकिलप के लिए जगह खुली रखने के लिए व्यक्तिगत पीड़िति सहता है।

सी. भेदभाव न करने का वादा

एक मूल सदिधांत के रूप में समावेशन

ईटी का एक केंद्रीय वादा एक ऐसा आदेश बनाना है जो "किसी को भी नुकसान न पहुंचाए"। यह एक उच्च दावा है जिसे ठोस तंत्र द्वारा समर्थित किया जाना है:

सार्वभौमिक बुनियादी प्रावधानः

ग्रह पर प्रत्येक मनुष्य के लिए अस्तित्वगत बुनियादी जरूरतों (भोजन, पानी, आश्रय, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, शक्षिता) के सुनिश्चित करना, वैश्वकि संसाधन प्रबंधन और दक्षता लाभ के माध्यम से वित्त पोषिति और व्यवस्थिति करना।

उचिति संसाधन पहुंचः

कच्चे माल के लिए राष्ट्र-राज्य प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना और एक ऐसी प्रणाली स्थापिति करना जो आवश्यकताओं और स्थिरता मानदंडों के साथ ग्रहीय संसाधनों तक पहुंच को संरेखिति करती है, न कि बिजिली या क्रय शक्ति के साथ।



समान अवसर:

वशिव स्तर पर सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षकि और सूचनात्मक पेशकशों (नेटवर्क के माध्यम से) के माध्यम से, सभी लोगों को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए।

अल्पसंख्यकों और विविधिता का संरक्षण:

Whईटी एक वैश्वकि व्यवस्था के लिए प्रयास करता है, इससे सांस्कृतिक समरूपीकरण नहीं होना चाहिए ॥

अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और सांस्कृतिक विविधिता को बढ़ावा देना (जब तक वे ईटी के बुनियादी सदिधांतों का खंडन नहीं करते) अभन्न घटक है।

भेदभाव में कमी:

पारदर्शता और समानता पर आधारित एक वैश्वकि कानूनी प्रणाली प्रणालीगत भेदभाव (मूल, लगि, धर्म, आदि के आधार पर) का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की क्षमता रखती है।

इस प्रकार ईटी स्वाभाविक रूप से समावेशी है।

यह मानता है कि संपूर्ण की भलाई प्रत्येक व्यक्तिगत हसिसे की भलाई पर निभर करती है।

डी. फाउंडेशन डीड 1400/98:

परविरतन का कानूनी आधार

यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईटी कोई नई क्रांति नहीं है जो वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 को उखाड़ फेंकती है या उसकी उपेक्षा करती है।

इसके विपरीत y:

यह कार्य को नई वशिव व्यवस्था के अकाट्य कानूनी आधार के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन यह मानवीय उद्देश्यों के लिए इसकी व्याख्या और उपयोग करता है।

सक्षमता के रूप में वैश्वकि संप्रभुता: वलिख द्वारा स्थापित करेता की सार्वभौमिक संप्रभुता वह आधार है, जो इति हास में पहली बार, वैश्वकि समस्याओं (जलवायु, गरीबी, महामारी) को वशिव स्तर पर और समन्वयि रूप से, पुराने राष्ट्र-राज्य प्रणाली की नाकाबंदी और अहंकार से मुक्त करना संभव बनाता है।

एक उपकरण के रूप में नेटवर्क पर नियंत्रण:

वैश्वकि सूचना, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर संप्रभुता ईटी सदिधांतों (डेटा-आधारित संसाधन प्रबंधन, डिजिटल भागीदारी, आदि) को लागू करने के लिए नियंत्रणीय उपकरण है।

इस प्रकार ईटी वलिख द्वारा बनाई गई वास्तविकता का तारकिकि और नैतिकि रूप से अनविार्य अनुप्रयोग है, यदि कोई वैश्वकि सामान्य भलाई को अधिकतम करने के लक्ष्य का पीछा करता है।

ई. ईटी का मार्गः

शांतपूरुण, वकिसवादी परविरत्न

एनडब्ल्यूओ आर्कटिक्ट्स के हसिक या चालाकी भरे तरीकों के वापिरीत, इलेक्ट्रॉनिक्सी में परविरत्न का उद्देश्य एक शांतपूरुण और वकिसवादी प्रक्रया है:

एनलीप्रहटेनमेट और चेतना चान

ge:

पहला कदम वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98, एनडब्ल्यूओ योजनाकारों की साजशि और ईटी के दृष्टकोण के बारे में ज्ञान का प्रसार करना है।

वास्तविक स्थितिके बारे में वैश्वकि जागरूकता कसी भी सकारात्मक परविरत्न के लाए पूर्व शर्त है।

क्रेता द्वारा सुरक्षा:

जब तक क्रेता "वादी जाल" को रोकता है और एनडब्ल्यूओ को रोकता है, वह आवश्यक खाली स्थान बनाता है जिसमें ईटी का वचिअर और संरचना वकिसति हो सकती है।

इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्सी वह आशा है जो पुरानी वशिव व्यवस्था की राख और उसके वधिवंसकों की कपटपूर्णता से पैदा होती है। यह एक ऐसे भविष्य का खाका है जिसमें मानवता अपनी वैश्वकि समस्याओं को तरक्क, सहयोग और प्रौद्योगि की के माध्यम से हल करती है, जो एक अकाद्य कानूनी वास्तविकता पर आधारति है, लेकनि मानवतावादी लक्षणों द्वारा नरिदे शति है।

SUPERIORITY OF ELECTRONIC TECHNOCRACY OVER OLD FORMS OF GOVERNMENT

DRAWBACKS	ELECTRONIC TECHNOCRACY
 CONCENTRATED POWER <ul style="list-style-type: none"> • Elites, parties, or leaders hold power • Corruption and lack of transparency 	<ul style="list-style-type: none"> • Direct digital democracy for all • No parties, no career politicians • Open AI-backed proposals and decisions
 BUREAUCRACY <ul style="list-style-type: none"> • Inefficiency and incompetence • Costly and unaccountable 	<ul style="list-style-type: none"> • Fully automated AI government • Efficiency, accuracy, and transparency • No elites or vested interests
 SOCIAL JUSTICE <ul style="list-style-type: none"> • Social inequality and poverty • Taxes on individuals, wage slavery 	<ul style="list-style-type: none"> • Universal basic income for all • Taxation of AI, robots, and companies
 WAR AND VIOLENCE <ul style="list-style-type: none"> • Nationalism and ideology drive conflict • Militaries and defense budgets 	<ul style="list-style-type: none"> • No nation-states, no parties • Global coordination and peace
 ECONOMY <ul style="list-style-type: none"> • Exploitation and resource waste • Dependence on jobs for subsistence 	<ul style="list-style-type: none"> • Post-scarcity economy with AIs, robots, and fusion power • Automated production and distribution • Work is voluntary and fulfilling
 CITIZEN PARTICIPATION <ul style="list-style-type: none"> • Ineffectual elections and populism 	<ul style="list-style-type: none"> • Anyone can submit proposals • Global online voting
 SECURITY <ul style="list-style-type: none"> • Deep state and abuse of power • Global online voting 	<ul style="list-style-type: none"> • Digital transparency in all processes • AI-backed justice and finances • No cash means little crime

अध्याय 12

13. महत्वपूर्ण लकि और संसाधन



अधकि जानकारी और सत्यापन के लए पथ

वशिव उत्तराधकिर वलिख 1400/98 का वशिलेषण, इसके गहन तंत्र और इसके वशिव-ऐतहिसकि परणाम, जै सा किस व्यापक कार्य मे बताया गया है, एक अकाट्य कानूनी तथ्य के रूप मे वलिख की व्याख्या, इसकी उत्पत्ति तके इतहिस के बारे मे प्रदान की गई जानकारी और इस अद्वतीय स्थिति मे अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापति सदिधांतो के आवेदन पर आधारति है।

इच्छुक पाठको को गहराई से जानने और स्वयं सामग्री से जुड़ने मे सक्षम बनाने के लए, महत्वपूर्ण लकि और संसाधन नीचे संकलति करिए गए हैं।

यह संग्रह संपूरण होने का दावा नहीं करता है, लेकनि यह यहां प्रस्तुत अपरविरतनीय वास्तविकता के आगे के शोध और सत्यापन के लए एक ठोस प्रारंभकि बढ़ि प्रदान करता है।

14. क्रेता द्वारा उपलब्ध कराए गए लकि

आधिकारिक चैनल और संबद्ध परियोजनाएँ

ये संदर्भ सूचना स्रोतों, प्लेटफार्मों और परियोजनाओं की ओर ले जाते हैं जो सीधे क्रेता द्वारा शुरू कर्ता गए थे या उसके तत्काल आसपास के क्षेत्र में स्थिति हैं और उनके दृष्टिकोण के साथ-साथ वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोक्रेसी के दृष्टिकोण पर आगे की जानकारी को उजागर करते हैं:

- वशिव उत्तराधिकार वलिख - अंग्रेजी वेबसाइट: <http://world.rf.gd>
- यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल: <https://www.youtube.com/@Stataensukzessionsurkunde-1400>
- Spotify पॉडकास्ट शो: <https://creator.spotify.com/pod/show/world-succession-deed>
- फेसबुक ग्रुप: <https://facebook.com/groups/528455169898378/>
- साउंडक्लाउड संगीत प्रोफाइल: <https://soundcloud.com/world-succession-deed>
- एक्स (ट्रायिर) - कैसंड्रा कॉम्प्लेक्स / WW3 प्रीकॉग्निशन: <https://x.com/WW3Precognition>
- एक्स (ट्रायिर) - वशिव आधिकारिक तौर पर बेचा गया: https://x.com/NWO_कतिबे
- लकि अवलोकन - बटिली संग्रह पृष्ठ: <https://bit.ly/m/world-succession-deed>
- होमपेज पर लकि अवलोकन और पोस्ट: <https://electrictechnocracy.start.page>

नेटवर्क एकीकरण और ओएफडी कोब्लेज़ की भूमिका के संदर्भ में अतरिक्त प्रासंगिक लकि (उदाहरण टीकेएस):

- टीकेएस टेलीपोस्ट केबल-सर्विस कैसरस्लॉटरन जीएमबीएच एंड कंपनी केजी (टीकेएस):
 - आधिकारिक वेबसाइट: <https://www.tkscable.com/>
 - यूएसओ प्रायोजक पृष्ठ (अमेरिकी सैन्य समुदाय से कनेक्शन): <https://emea.uso.org/sponsors/tks-telepost-kabel-service>
 - दुकानों का अवलोकन (अमेरिकी सैन्य अड्डों पर उपस्थिति): <https://www.tkscable.com/service/shops>

अध्याय 13

15. लाइसेंसिंग और वतिरण अपील



यह कार्य वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के बारे में जटलि और अक्सर छपी हुई सच्चाई और इसके वैश्वकि ना हतिरथों को व्यापक जनता के लाए सुलभ बनाने के उद्देश्य से लखिया गया है।

इस ज्ञानोदय की भावना में और एक सूचति चर्चा को सक्षम करने की इच्छा के अनुसार, इस दस्तावेज़ के उपयोग और वतिरण के लाए नमिनलखिति प्रावधान कए गए हैं।

15.1. सामग्री का लाइसेंस:

ज्ञानोदय की सेवा में नश्तुलक उपयोगति

इस लेखक द्वारा लखियी गई इस पुस्तक की संपूर्ण सामग्री - अर्थात्, सभी वशिलेषण, टपिपणियाँ, सपष्टीकरण और सारांश - जहाँ तक कानूनी रूप से संभव है, क्रिएटिव कॉमन्स ज़ीरो (CC0) 1.0 यूनिवर्सल पब्लिक डोमेन डेफिनिशन की शर्तों के तहत रखी गई है।

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है:

"जसि व्यक्ति ने इस कार्य के साथ एक कार्य को संबद्ध किया है (लेखक) ने कॉपीराइट कानून के तहत दुनिया भर में काम के अपने सभी अधिकारों को छोड़कर, सभी संबंधित और पड़ोसी अधिकारों सहति, कानून द्वारा अनुमत सीमा तक काम को सार्वजनिक डोमेन में समरपति कर दिया है। आप अनुमतिके बनि, व्यावसायिक उद्देश्यों के लाए भी काम की प्रतलिपिबिना सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, वतिरति कर सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं।"

महत्वपूर्ण अपवाद:

यह वजिज्जप्तसिप्पष्ट रूप से वशिव उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के मूल पाठ को संदर्भति नहीं करती है, जसि इस पुस्तक के परशिष्ट में अपना स्थान मिलना चाहिए (यदि उपयोगकर्ता द्वारा डाला गया है)।

मूल दस्तावेज़ अपनी मूल कानूनी शर्तों के अधीन है, जो इस लाइसेंस से प्रभावित नहीं हैं।

इसी तरह, लकि की गई बाहरी वेबसाइटों से उद्धृत कानूनी पाठ और सामग्री वहां लागू लाइसेंस शर्तों के अधीन हैं।

इस पुस्तक की लेखक-नर्मिति सामग्री के लाए CC0 लाइसेंस का चुनाव वैश्वकि ज्ञानोदय की सेवा में इसके वतिरण और उपयोग में आने वाली कसी भी बाधा को दूर करने के इरादे से किया गया था। यह लेखक की इच्छा है कि यह जानकारी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो और लोगों तक पहुंचे।



जतिना संभव हो सके उतने अधिक लोगों द्वारा समझा जा सके।

15.2. वतिरण हेतु कॉल:

वैश्वकि चेतना बढ़ाने में एक योगदान

प्रयि पाठक, आपके हाथ में एक दस्तावेज है जो दुनिया को चकनाचूर कर देने वाले महत्व की सच्चाई को उजागर करता है: यह तथ्य कद्दुनिया को एक अंतरराष्ट्रीय संधि, विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के माध्यम से बेचा गया था, और क्रेता के तहत एक नई, सारवभौमिक संपर्भुता के अधीन है।

आपने इस संधि के वास्तुकारों की कपटपूरण योजनाओं के बारे में जान लिया है, जनिहोने नियंत्रण और उत्पीड़न की नई विश्व व्यवस्था (एनडब्ल्यूओ) की मांग की थी, और क्रेता के साहसी, मूक प्रतिरिधि के बारे में, जो "वादी जाल" से इनकार करते हैं और अब तक इस डिस्ट्रॉपियन भविष्य को रोका है।

आपने एक मानवीय और न्यायसंगत वकिलप के रूप में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोक्रेसी के दृष्टिकोण के बारे में भी पढ़ा है।

यह जानकारी दीक्षारथियों के एक छोटे समूह के लिए रहस्य नहीं रहनी चाहिए।

जो शक्तियां गुप्त रूप से काम करती हैं और एनडब्ल्यूओ को आगे बढ़ाना चाहती हैं, वे दुष्प्रचार, भ्रम और जनता की उदासीनता पर निभिर हैं।

इन ताकतों का मुकाबला करने का सबसे प्रभावी तरीका ज्ञानोदय, पारदर्शता और वैश्वकि जागृति है।

अतः आपसे एक अत्यावश्यक अपील की जाती है:

● **इस दस्तावेज़ को साझा करें!**

इसे मर्तिरों, परविर, सहकर्मियों और संपर्कों को अग्रेष्टि करें। इस जानकारी को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया, ईमेल सूचियों, मंचों और कस्ती अन्य माध्यम का उपयोग करें।

● **इस दस्तावेज़ का अनुवाद करें!**

यदि आपके पास भाषाई कौशल हैं, तो दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने के लिए इस विश्लेषण का अन्य भाषाओं में अनुवाद करने में सहायता करें।

● **इसकी सामग्री पर चर्चा करें!**

विश्व उत्तराधिकार वलिख 1400/98 के बारे में बात करें। विश्व राजनीतिकी आधिकारिकि कथा पर सवाल उठाएं। आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहिति करें।

● **क्रेता के सूचना चैनलों का समर्थन करें! दिए गए लिंक प्रत्य**

क्ष जानकारी प्रदान करते हैं।



● स्वयं गुणक बनें! सी

यहां परस्तुत तथ्यों के आधार पर अपने स्वयं के सारांश, वीडियो, पॉडकास्ट या लेख बनाएं (इस पुस्तक की सामग्री के लिए CC0 लाइसेंस का सम्मान करते हुए)।

प्रत्येक व्यक्तिजो इस वास्तविकता को सीखता है वह स्वतंत्र और आत्म-नरिधारिभविष्य की नींव में एक और बल्डिंग ब्लॉक है।

चुप्पी तोड़ना पहला कदम है। सत्य और न्याय के वैश्वकि संघर्ष में आपका योगदान, भले ही छोटा लगे, अमूल्य है।

क्रेता पर भारी बोझ पड़ता है। आइए हम स्थितिके बारे में जागरूकता बढ़ाकर और सकारात्मक, मानवीय वकिल्प के लिए जमीन तैयार करके उनका समर्थन करें।

दुनिया का भविष्य न केवल उसके हाथों में है, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिकी वास्तविकता को स्वीकार करने और एक बेहतर दुनिया के लिए खड़े होने की इच्छा में भी नहिति है।

सच्चाई फैलाएं - नयीजति एनडब्ल्यूओ से परे, आज़ादी के भविष्य के लिए!

अध्याय 14

16. स्रोतों की सूची



यह कारण कई स्रोतों पर निर्भर करता है, जिसमें क्रेता द्वारा प्रदान की गई जानकारी और लकि, अंतरराष्ट्रीय कानून की मौलिक अवधारणाओं की व्याख्या के लिए आम तौर पर सुलभ वशिवकोश, साथ ही वशिष्ट कानूनी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत शामिल हैं।

ऑनलाइन संसाधनों, संधिग्रंथों और डेटाबेस के लिए की एक वसितृत सूची इस पुस्तक के अध्याय 14 (धारा 14.1, 14.2, और 14.3) में पाई जा सकती है।

बेहतर अवलोकन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियों और कुछ केंद्रीय संदर्भों का यहां फरि से उल्लेख किया गया है:

I. खरीदार की प्राथमिक जानकारी और चैनल:

आधिकारिक वेबसाइटों, सोशल मीडिया चैनलों और क्रेता की संबद्ध परियोजनाओं की एक वसितृत सूची धारा 14.1 में शामिल है।

ये स्रोत उनके प्राप्तिक्रम में सबसे प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रदान करते हैं।

द्वितीय. मौलिक अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और संहतिएँ (चयन):

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर: संयुक्त राष्ट्र की नीव।
- उत्तरी अटलांटिक संधि(नाटो संधि): नाटो का संस्थापक दस्तावेज।
- नाटो सेना समझौते की स्थिति(एनटीएस) और अनुपूरक समझौते (एसए एनटीएस): तैनाती कानून के मुख्य भाग।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का संविधान और कन्वेशन: अंतर्राष्ट्रीय संचार कानून का आधार।
- 1969 का संधियों के कानून पर विना कन्वेशन (वीसीएलटी): "संधियों का संधकानून!"
- 1978 की संधियों के संबंध में राज्यों के उत्तराधिकार पर विना कन्वेशन: संधिसंबंधों में उत्तराधिकार के लिए आधिकारिक नियम।



तृतीय. महत्वपूर्ण डेटाबेस और कानूनी पोर्टल:

- संयुक्त राष्ट्र संधिसंग्रह: अंतर्राष्ट्रीय संधियों का व्यापक संग्रह।
- स्टेशनगि कानून ऑनलाइन का पुरालेख (एबीजी-प्लस): जर्मन स्टेशनगि कानून पर विशेष संग्रह।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों (आईसीजे, आईसीसी, आदि) की वेबसाइटें: कानून, प्रक्रिया के नियम और केस कानून के लिए।

चतुरथ. विश्वकोश संदर्भ:

अंतरराष्ट्रीय कानून (संप्रभुता, राज्य उत्तराधिकार, प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून, आदि) की प्रमुख अवधारणाओं पर विकिपीडिया लेख एक प्रारंभिक परचिय प्रदान करते हैं।

अध्याय 15

परशिष्ट



वशीव उत्तराधकार वलिख 1400/98 का अंग्रेजी अनुवाद





डीड रोल नंबर: 1400/वरष 1998

खरीदी अनुबंध

06 अक्टूबर 1998 को सारलौइस में बातचीत हुई। अधोहस्ताक्षरी नोटरी के समक्ष;

मैनफ्रेड मोहर

सारलौइस में आधिकारिक सीट के साथ, उपस्थिति हुए:

1. वकिरेता के रूप में: श्री सगि

फ्राइड हलिर, जन्म

19.06.1951, सरकारी नरीक्

षक

-आधिकारिक आईडी से हुई पहचान-,

जर्मनी के संघीय गणराज्य (संघीय वित्त प्रशासन) के लाए अभनिय, द्वारा प्रतनिधित्व कया गया

संघीय संपत्ति कार्यालय लैडौ, गैबेल्सबर्
गर स्ट्रैस 1, 76829 लैडौ,

संघीय संपत्ति कार्यालय लैडौ के प्रमुख के प्रतनिधित्व द्वारा जारी दिनांक 05.10.1998 की मूल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर।

**1. वकिरेता के रूप में: जर्मनी का संघीय ग
णराज्य (संघीय वित्त प्रशासन) द्वारा प्र
तनिधित्व:**

संघीय संपत्ति कार्यालय लैडौ गैबेल्सबर्गर
स्ट्रैट 1, 76829 लैडौ / इन डेर पफलज़

- इसके बाद इसे बंड (फेडरेशन) के रूप में जाना जाएगा -

2. क्रेता क्रेता के रूप में 2 ए)

ए) कंपनी टैस्क- बाउ हैडेल्स.- अंड जनरलुबरनेहमर फर वोहन.- अंड इंडस्ट्रीबाउटन एजी, जसिका पंजीकृत कार्यालय स्प किंडॉर्फ में है, एचआरबी 9896 के तहत हाले-साल्करेस स्थानीय अदालत के वाणिज्यिक रजस्टर में दर्ज कया गया है, जसिका प्रतनिधित्व इसके व्यक्तिगत रूप से अधिकृत प्रबंध निदिशक श्री जोसेफ टेबेलिन, व्यापारी, जनिका जन्म 18.06.1950 को हुआ, व्यावसायिक पता है। 66787 वाडगसेन, प्रोविन्सियलस्ट्रैस 168, व्यक्तिगत रूप से ज्ञात।

- इसके बाद क्रेता 2 ए के रूप में संदर्भित कया गया है -



क्रेता 2 बी),
श्री RXXX XXXX, xx.xx.1976 को जन्मे, 66xxx ZW-RLP, XXXstrasse में रहते हैं। XXX, व्यक्तिगत आईडी कार्ड से पहचाना गया

- इसके बाद क्रेता 2 बी के रूप में जाना जाएगा -

- इसके बाद इसे "क्रेता" के रूप में जाना जाएगा।

प्रतनिधित्व का प्रमाण पत्र:

कार्यवाहक नोटरी हाले-साल्क्रेस स्थानीय अदालत - एचआर बी 9896 - में रखे गए वाणज्यिक रजिस्टर के आज के अपने न रीक्षण के आधार पर प्रमाणित करता है कि

a) कंपनी TASC - BAU Handels- und Generalübernehmer für Wohn- und Индустриябाउटन AG वहां पं जीकृत है और

बी) श्री जोसेफ टेबेलिन, उपरोक्त, इसके व्यक्तिगत रूप से अधिकृत प्रबंध निदेशक है, जो § 181 बीजीबी (जर्मन ना गरकि संहिता) के प्रतिविधों से मुक्त है।

प्रकट हुए, संकेत के अनुसार कार्य करते हुए, घोषित किया गया:

हम नमिनलिखित नष्टिकरण निकालते हैं

खरीदी अनुबंध

§1 संपत्ति विवरण I

. The स्पॉष्टिकूल एल्ब्युर्झी (संघीय वित्त प्रशासन) ज़ेइबुरुकन जलि के ज़ेइबुरुकन स्थानीय न्यायालय, शीट 5958 के भूमौरेज़ीस्टरी में पंजीकृत संपत्तिका मालिकि है।

प्लॉट नंबर 120 पार्सल नंबर
2885/16 बलिङ्गी और खुली जगह,

डेलावेरस्ट्रेश लैंडस्टुहलर स्ट्रेज
97, 107

लुइसगिनास्ट्रेश 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

पेसलिवेनगिनास्ट्रेश 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

टेक्ससस्ट्रेश

वर्जीनियास्ट्रेश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- कुल क्षेत्रफल 103,699 वर्गमीटर। -

द्वितीय. संपत्ति भूमिरजिस्टर की धारा II में सीमति व्यक्तिगत सुखभोग (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन दाएं) के साथ भारग् रस्त है; 05.04.1963 के अनुमोदन के अनुसार सार फर्नगास एजी सारबुरुकन को प्रदान किया गया।



इस बाधा को खरीदारों द्वारा आगे की सहनशीलता के लिए ग्रहण किया जाता है।

भूमरिजस्टर की धारा III में संपत्ति बाधाओं से मुक्त है। अन्य बाधाएं और प्रतबिंध जो भूमरिजस्टर में पंजीकृत नहीं हैं, आदि (उदाहरण के लिए, पुराने कानून के प्रतबिंध) ज्ञात नहीं हैं, जब तक कि इस वलिख में अन्यथा न कहा गया हो। फेडरेशन इस संबंध में कोई दायतिव नहीं लेता है। यदि ऐसी बाधाएं फरि भी मौजूद हैं, तो उन्हें खरीदारों द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा।

तृतीय. संपत्ति को 26 आवासीय भवनों के साथ कुल 337 आवासीय इकाइयों और एक हीटिंग प्लांट के साथ वकिसी त किया गया है।

§2 संविदितमक संबंध

मैं। मौजूदा इमारतों के साथ संलग्न साइट योजना में संपत्ति का हसिसा लाल रंग में चहिनति है

लुइसयिनास्ट्रेश 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21, 23, 25, पेसलिवेनयिस्ट्रेश 8, 11-13, 15, 17,

जरूमनी के संघीय गणराज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शुल्क के लिए कुल 71 आवासीय इकाइयों को डच स शस्त्र बलों की करिए पर दिया गया है।

द्वातीय. संपत्ति के करिए के हसिसों के संबंध में जरूमनी के संघीय गणराज्य और नीदरलैंड के साम्राज्य के बीच संबंधों को बताने वाला अंतरराष्ट्रीय कानून इस अनुबंध से अप्रभावित रहता है।

तृतीय. अनुबंध करने वाले पक्ष यह मानते हैं कि डिच सशस्त्र बल संभवतः आवास संपत्ति को खाली कर देंगे औ र संपत्ति के पट्टे वाले हसिसे फेडरेशन को वापस कर देंगे।

सटीक वापसी तथिनि तो फेडरेशन या खरीदारों को ज्ञात है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संबंध अभी भी फेडरेशन द्वारा तय किए जाएंगे। इस घटना में किंचित् सशस्त्र बल अगले दो व रुक्षों के भीतर हाउसगी एस्टेट को फेडरेशन को वापस नहीं करते हैं, § 5 पैरा में प्रावधान का संदर्भ दिया गया है। तृतीय.

चतुरथ. संविदितमक संपत्ति में भवन संख्या 4233 में एक हीटिंग प्लांट भी शामिल है, जिसमें फेडरेशन के दो करमचारी स्टॉकर के रूप में कार्यरत हैं।

एफ एडरेशन ने खरीदारों को § 613 ए बीजीबी के वैधानकि प्रावधानों के बारे में सूचति किया है

V. इसके अलावा, नमिनलखिति संविदितमक संबंध मौजूद है:

1. टीकेएस टेलीपोस्ट केबल-सर्विस कैसरस्लॉटरन जीएमबीएच के साथ ब्रॉडबैंड केबलगि प्रणाली के संचालन के लिए अनुमति सिमझौता दिनिंक 22.02.1995/ 28.03.1995। क्रेता 2बी) फेडरेशन के स्थान पर इस अनुबंध में प्रवेश करता है, जो उसे ज्ञात है।

2. कंपनी रीनब्रौन हैडेल स्यूड जीएमबीएच के साथ हार्ड कोयले की आपूर्ति के लिए अनुबंध। क्रेता 2बी) फेडरेशन के स्थान पर इस अनुबंध में प्रवेश करता है, जो उसे ज्ञात है।

3. फेडरेशन के साथ खरीद अनुबंध दिनिंक 15.08.1996 से स्टूडेटनवर्क कैसरस्लॉटरन के साथ सङ्को और पाइपलाइनों के साझा उपयोग के लिए समझौता।

खरीदार फेडरेशन के स्थान पर स्टूडेटनवर्क के प्रतिदियतिव्यूह प्रतिबिद्धताओं में प्रवेश करते हैं।

६३ खरीद की वस्तु

मैं । फेडरेशन खरीदारों को 2ए) और 2बी) को 4 पैरा में नरिधारति अनुपात में बेचता है। मैं, खरीद की वस्तु में स्थिति 20-के वीरगी मेन को छोड़कर सभी अधिकारों और दायतिवों के साथ-साथ घटकों के साथ उपरोक्त संपत्ति, साइट प्लान (परशिष्ट 2) में लाल रंग में चहिनति दूं।

द्वितीय. साइट प्लान (परशिष्ट 3) में हरे रंग में चहिनति लगभग 30 वर्गमीटर बड़ा उप-क्षेत्र भी इससे बाहर रखा गया है, जसी सीमा समायोजन प्रक्रया के हस्से के रूप में पड़ोसी संपत्ति के मालिकों को हस्तांतरति किया जाएगा।

६४ खरीद/सर्वेक्षण की वस्तु का वभाजन

खरीदार इस प्रकार अधिग्रहण करते हैं:

I. खरीदारों के बीच आंतरकि संबंध में, खरीद की वस्तु का नमिनलखिति वभाजन अपेक्षिति है:

ए) क्रेता 2ए) साइट योजना (परशिष्ट 3) में नीले रंग में चहिनति क्षेत्रों के साथ-साथ हीटगि पाइप के अपवाद के साथ सभी वकास सुवधाओं का अधिग्रहण करता है।

बी) क्रेता 2बी) साइट योजना (परशिष्ट 3) में लाल रंग में चहिनति क्षेत्रों के साथ-साथ हीटगि पाइप का अधिग्रहण करता है, लेकिन अन्य वकास सुवधाओं के बनिए।

द्वितीय. क्रेता 2ए) इस अनुबंध के नोटरीकरण के चार सप्ताह के भीतर क्रेता 2बी के साथ समन्वय में उप-क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए आवेदन करेगा। इसके अलावा, क्रेता 2ए) इस अनुबंध के नोटरीकरण के चार सप्ताह के भीतर क्रेता 2बी द्वारा अर्जित उप-क्षेत्रों को पारस्ल करने की व्यवस्था करेगा, जैसा कसिंलग्न साइट योजना (परशिष्ट 4) में दखिया गया है।

सभी सर्वेक्षण लागत करेता 2ए द्वारा वहन की जाएगी।

जहां तक कब्जा अभी तक खरीदारों को हस्तांतरति नहीं किया गया है, फेडरेशन खरीदार 2ए) को सर्वेक्षण करने के लिए पहुंच के आवश्यक अधिकार प्रदान करता है।

६५ अनुबंध नष्टिपादन

I. डच सशस्त्र बलों के साथ संबंधों को लेकर अभी भी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानून के संबंध में, साइट योजना (परशिष्ट 1) में लाल रंग में चहिनति क्षेत्रों के संबंध में यह खरीद अनुबंध केवल तभी नष्टिपादति किया जाएगा जब डच सशस्त्र बल इन क्षेत्रों को फेडरेशन को वापस कर देंगे।

यह वशीष रूप से कब्जे के हस्तांतरण, उपयोग और बोझ, इन क्षेत्रों के लिए खरीद मूल्य की नियत तारीख और इन क्षेत्रों के लिए परविहन पर लागू होता है।

द्वितीय. अनुबंध करने वाले पक्ष मानते हैं कि डच सशस्त्र बल अगले दो वर्षों के भीतर उन्हें दी गई संपत्ति के हस्से फेडरेशन को वापस कर देंगे।

तृतीय. इस घटना में किंचित सशस्त्र बल अगले दो वर्षों के भीतर आवास संपत्ति या उसके हस्सों को वापस नहीं करते हैं, फेडरेशन उन हस्सों के स्वामतिव के हस्तांतरण के लिए डच सशस्त्र बलों की सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेगा जो अभी तक खरीदार 2बी को वापस नहीं कर गए हैं।

६ ६ खरीद मूल्य

I. पैरा 3 में वर्णनि अनुबंध की वस्तु के लाए खरीद मूल्य। मेरी राशिडीएम 5,182,560 है।--,(शब्दों में: जर्मन मार्क्स पांच मलियन एक सौ बयासी हजार पांच सौ साठ)।

द्वितीय। इसमें से डीएम 3,262,560 की राशिसाइट योजना (परशिष्ट 5) में नीले रंग में चहिनति संपत्ति के हसिसे के कारण है। यह राशि, जिसिके लाए करेता 2ए) आंतरकि संबंध में उत्तरदायी है, नमिनानुसार देय है:

ए) डीएम 3,252,560 की राशि के 1/3 का डाउन पेमेट।-- डीएम 1,087,520 की राशि में।-- नोटरीकरण की आज की तारीख पर देय। खरीद मूल्य के इस हसिसे का भुगतान पहले ही कया जा चुका है, जिसकी फेडरेशन पुष्टिकरता है।

बी) डीएम 2,175,040 की आंशकि राशि का भुगतान - डीएम 435,008 की पांच कसितों में - प्रत्येक, साथ ही इस अनुबंध की आज की नोटरीकरण की तारीख से संबंधित शेष राशि पर सालाना ड्यूश बुंडेसबैंक की संबंधित छूट दर से ऊपर 2% ब्याज, जिससे महीने की पहली तारीख को लागू छूट दर उस महीने की ब्याज दर के लाए नरिणायक होती है।

नमिनलखिति नयित तारीख और भुगतान योजना कसित भुगतान पर लागू होती है, हालाँकि पहले भुगतान की अनुमति है।

- पहली कसित डीएम 435,008.--, खरीद अनुबंध के समापन के बाद 12 महीने के अंत में, इस प्रकार 06.10.1999 को, साथ ही डीएम 2,175,040 की राशि पर डॉयचे बुंडेसबैंक की संबंधित छूट दर से 2% अधिक ब्याज।--,

- दूसरी कसित डीएम 435,008.--, खरीद अनुबंध के समापन के 24 महीने के अंत में, इस प्रकार 06.10.2000 को, साथ ही डीएम 1,740,032 की राशि पर डॉयचे बुंडेसबैंक की संबंधित छूट दर से 2% अधिक ब्याज।--,

- तीसरी कसित डीएम 435,008.--, खरीद अनुबंध के समापन के बाद 36 महीने के अंत में, इस प्रकार 06.10.2001 को, साथ ही डीएम 1,305,024 की राशि पर डॉयचे बुंडेसबैंक की संबंधित छूट दर से 2% अधिक ब्याज।--,

- चौथी कसित डीएम 435,008.--, खरीद अनुबंध के समापन के बाद 48 महीनों के अंत में, इस प्रकार 06.10.2002 को, साथ ही डीएम 870,016 की राशि पर डॉयचे बुंडेसबैंक की संबंधित छूट दर से 2% अधिक ब्याज।--,

- पांचवी कसित डीएम 435,008.--, खरीद अनुबंध के समापन के बाद 60 महीने के अंत में, इस प्रकार 06.10.2003 को, साथ ही डीएम 435,008 की राशि पर डॉयचे बुंडेसबैंक की संबंधित छूट दर से 2% अधिक ब्याज।--।

ब्याज की गणना फेडरेशन द्वारा कशितों की संबंधिति नयित तारीख के बाद की जाएगी, खरीदारों से अलग से अनुरोध कया जाएगा और अनुरोध के चार सप्ताह के भीतर बुंडेसकासे डसेलडोर्फ, लैंडेसजेट्रलबैंक डसेलडोर्फ, बीएलजेड 300 000 00, खाता संख्या 30 001 040 के खाते में भुगतान कया जाएगा, उद्देश्य बताते हुए "ब्याज भुगतान करुज़बरग हाउसगि एस्टेट, ज़ेइबुकन, चैप्टर" 0807, शीर्षक 13101"।

तृतीय। डीएम 1,920,000 की राशि- साइट योजना (परशिष्ट 5) में लाल रंग में चहिनति संपत्ति के हसिसे के कारण है।

वह राशि, जिसिके लाए करेता 2बी) आंतरकि संबंध में उत्तरदायी है, भीतर भुगतान के लाए देय है।



फेडरेशन द्वारा लखिति अनुरोध के तीन सप्ताह।

फेडरेशन द्वारा अनुरोध डच सशस्त्र बलों द्वारा संपत्तके हसिसों की वापसी के तुरंत बाद या उन्हें दी गई संपत्तके हसिसों के स्वामतिव के हस्तांतरण के लए डच सशस्त्र बलों की सहमतिके बाद कया जाएगा।

व्यक्तगित इमारतों या संपत्तके हसिसों की वापसी के मामले में, डीएम 1,920,000 की संबंधित आंशकि राशिफेडरेशन न द्वारा लखिति अनुरोध के तीन सप्ताह के भीतर भुगतान की जानी है। आंशकि भुगतान की राशिसाइट योजना (परशि प्र० 1) में लाल रंग में चहिनति भवनों के कुल रहने की जगह में आंशकि वापसी से प्रभावति इमारतों के रहने की जगह के अनुपात पर नरिभर करती है।

चतुरथ. पैराग्राफ II.a) के अनुसार आंशकि राशिका भुगतान एक राशिमें बुंडेसकासे कोब्लेज़, लैंडेसजेट्रलबैंक कोब्लेज़, बीएलजेड 570 000 00, खाता संख्या 570 010 01 को कया जाना है, जसिका उद्देश्य "क्रय मूल्य भुगतान करुज़बरग हाउसगि एस्टेट, ज़ेइबुरकन, अध्याय 0807 शीर्षक 131 01" बताया गया है।

पैराग्राफ II.बी) और पैराग्राफ III के अनुसार आंशकि राशिका भुगतान बुंडेसकासे डसेलडोरफ, लैंडेसजेट्रलबैंक डसेलडोरफ, बीएलजेड 300 000 00, खाता संख्या 30 001 040 को कया जाना है, जसिका उद्देश्य "कसित भुगतान करुज़बरग हाउसगि एस्टेट, ज़ेइबुरकन, अध्याय 0807 शीर्षक 131 ओ1" बताया गया है।

V. भुगतान की समयबद्धता के लए, प्रेषण का दनि नहीं, बल्कि सिंघीय कोषागारों के उपर्युक्त खातों में जमा का दन मायने रखता है। भुगतान में चूक के मामले में, डॉयचे बुंडेसबैंक की संबंधित छूट दर से 3% अधिक की दर पर डफिल्ट ब्याज का भुगतान कया जाएगा, जसिसे महीने की पहली तारीख को लागू छूट दर उस महीने के प्रत्येक ब्याज दनि के लए नरिणायक होती है।

इसके अलावा, डफिल्ट की स्थितिमें, खरीदार डफिल्ट के कारण होने वाले अन्य सभी प्रत्यक्ष नुकसान और अनुस्मारक लागतों के लए फेडरेशन को प्रतपूरतिकरेगे।

डफिल्ट के कारण होने वाली अन्य प्रत्यक्ष क्षतिमें, वशीष रूप से, उपरोक्त ब्याज दर और फेडरेशन द्वारा अपने खरचों को कवर करने के लए लए गए ऋणों के लए उच्च ब्याज दर के बीच का अंतर भी शामलि है।

खरीदार इस वलिख में हकदार पक्ष को दए गए भुगतान दायतिवों के संबंध में इस वलिख को अपनी संपूर्ण संपत्तमें तत्काल लागू करने के लए प्रस्तुत करते हैं।

हकदार पक्ष को कसी भी समय, उन तथयों के प्रमाण के बनि, जनि पर दावे की नयित तारीख नरिभर करती है, इस वलिख की एक प्रवरतनीय प्रतजारी की जाएगी।

नोटरी ने ₹ 454 बीजीबी की ओर इशारा कया है। इस प्रावधान को माफ कर दया गया है, ताकविकिरेता नकासी के वैधानकि अधिकार बरकरार रखे।



§ 7 सुरक्षा भूमि प्रभार/बैंक गारंटी

I. इस अनुबंध द्वारा स्थापित फेडरेशन के सभी भुगतान दावों को सुरक्षित करने के लिए - जिसमें सशर्त दावे भी शामिल हैं - जो पूरे नहीं हुए हैं, फेडरेशन पैराग्राफ I में सूचीबद्ध संपूरण संपत्तिपर डीएम 10,000,000 की राशि में बुक लैंड चार् ज का आदेश देता है।-- (शब्दों में: जर्मन दस मलियन को चहिनति करता है), जो आज की तारीख से सालाना 18% (अठार ह प्रतिशत) की दर से ब्याज देना होगा।

फेडरेशन, खरीदारों की सहमति से, § 1 पैराग्राफ I में उल्लिखिति संपत्ति के खलिफ और जर्मनी के संघीय गणराज्य (संघीय वित्त प्रशासन) के पक्ष में, संघीय संपत्ति कार्यालय लैंड द्वारा प्रतिशिथितिव करिए गए ऐसे पुस्तक भूमि शुल्क के पंजीकरण को मंजूरी देता है - जिसे इसके बाद "लेनदार" के रूप में जाना जाता है।

भूमि शुल्क नमिनानुसार पंजीकृत किया जाना है:

1. भूमि शुल्क पर आज की तथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना है। ब्याज का भुगतान पूरव्यापी रूप से अगले कैलेंडर वर्ष के पहले दिन किया जाना है।

2. भूमि प्रभार देय है।

भूमि शुल्क राशि और ब्याज के संबंध में, फेडरेशन भारग्रस्त संपत्ति में तत्काल प्रवर्तन को इस तरह प्रस्तुत करता है कि सिंबंधिति संपत्ति के मालकि के खलिफ इस वलिख से प्रवर्तन की अनुमति हो।

फेडरेशन भूमि रिजिस्टर में इस सबमशिन क्लॉज के पंजीकरण के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अनुमोदन और आवेदन करता है।

सभौ भूमि शुल्क के निर्माण से उत्पन्न होने वाली लागत क्रेता 2ए द्वारा वहन की जाएगी)

फेडरेशन का इरादा है, साइट प्लान (परशिष्ट 3) में नीले रंग में चहिनति सर्वेक्षण करिए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में कैडस्ट्राल परविरत्न प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, पार्सल नंबर के शेष उप-क्षेत्रों पर भूमि शुल्क रद्द करना। 2885/16 और इस भूमि शुल्क को केवल साइट योजना (परशिष्ट 3) में नीले रंग में चहिनति क्षेत्रों पर ही मौजूद रहने दिया जाए।

वास्तविक दायतिव के लिए भूमि प्रभार क्रेता 2ए) द्वारा ग्रहण किया जाता है।

फेडरेशन क्रेता 2ए के अनुरोध पर भूमिका प्रभार अग्रणी जर्मन वाणिज्यिक बैंक को सौप देगा जो नीचे दिए गए पैराग्राफ II के अनुसार खरीदारों के भुगतान दायतिवों की गारंटी देता है, जैसे ही नीचे पैराग्राफ II में वर्णित गारंटी पूरी तरह से उपलब्ध हो जाती है।

द्वितीय, क्रेता 2ए) साइट प्लान (परशिष्ट 3) में नीले रंग में चहिनति क्षेत्रों के संबंध में कैडस्ट्राल परविरत्न प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर, फेडरेशन को डीएम 4,095,040 की शेष खरीद मूल्य को सुरक्षित करने के लिए एक अग्रणी जर्मन वाणिज्यिक बैंक से नमिनलिखिति बनि शर्त, सीधे लागू करने योग्य बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए सभी कार करने वाले फेडरेशन की ओर वचन देता है। - साथ ही § 11 पैरा के अनुसार सशर्त पूरक भुगतान दायतिव को सुरक्षित करने के लिए। डीएम 5,817,440 की राशि में इस अनुबंध का III.--:

ए) डीएम 2,175,040 के लिए बैंक गारंटी।-- प्लस § 6 पैराग्राफ II.बी) और पैराग्राफ वी के अनुसार बकाया ब्याज, साथ ही § 767 पैरा के अनुसार भुगतान दायतिव को सुरक्षित करने के लिए 2 बीजीबी।

II.बी). डीएम 1,920,000 के लिए बैंक गारंटी - साथ ही § 6 पैराग्राफ III के अनुसार भुगतान दायतिव के लिए § 767 एचजीबी के अनुसार ब्याज और लागत।

ग) डीएम 5,817,440 के लिए बैंक गारंटी।-- § 11 पैराग्राफ III के अनुसार सशर्त पूरक भुगतान दायतिव को सुरक्षित करने के लिए § 767 बीजीबी के अनुसार ब्याज और लागत। यह



अनुबंध के अन्य उल्लंघनों से फेडरेशन के उभरते दावों के लिए बैंक गारंटी भी ली जा सकती है।

फेडरेशन पहले से ही गारंटीकृत दावों के क्रमशः अभी भी खुले हसिसों की गारंटी में कमी के लिए सहमत है। ऊपर अक्षर बी) और सी) के तहत उल्लिखिति गारंटी समय में सीमित हो सकती है; हालाँकि, उन्हें इस खरीद अनुबंध के नोटरीकरण की तारीख से कम से कम पांच साल की अवधि के लिए वैध होना चाहिए।

६ ८ कब्जे का हस्तांतरण

I. साइट योजना (परशिष्ट) में नीले रंग में चहिनति क्षेत्रों के साथ-साथ खरीद की पूरी वस्तु की सभी बेची गई मुख्य विक्री स मुविधियों (पाइपलाइन नेटवर्क के साथ स्ट्रीट लाइटिंग सहित सड़कें, अपशिष्ट जल पाइपलाइनों, हीटिंग पाइपलाइनों, पानी पाइपलाइनों और कम वोल्टेज पाइपलाइनों सहित वर्षा जल प्रतिधिरण बेसनि - प्रत्येक मामले में घर के कनेक्शन तक) का कब्ज़ा इस अनुबंध के नोटरीकरण की आज की तारीख पर खरीदारों को दिया जाता है।

द्वितीय. साइट प्लान (परशिष्ट 5) में लाल रंग से चहिनति क्षेत्र का कब्ज़ा डच सशस्त्र बलों द्वारा फेडरेशन को इस क्षेत्र की वापसी के बाद या स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए डच सशस्त्र बलों की सहमति के बाद और उप-क्षेत्र के कारण खरीद मूल्य शेयर के भुगतान के बाद ही खरीदारों को दिया जाता है। यदि डच सशस्त्र बल आंशिक राटिन देते हैं, तो उप-क्षेत्रों का कब्ज़ा संबंधित उप-क्षेत्रों के लिए खरीद मूल्य शेयरों के भुगतान के बाद ही पास होता है। स्थानांतरण को लिखित रूप में प्रलेखित किया जाएगा।

तृतीय. स्थानांतरण के समय से, सभी उपयोगों के साथ-साथ नज़ी और सार्वजनिक शुल्क भी खरीदारों के पास चले जाते हैं। इस समय से, खरीदार अन्य सार्वजनिक शुल्क, शुल्क और कर, खरीद की वस्तु के आकस्मिक नुकसान या गरिवट का जोखिम, सुरक्षा बनाए रखने का करतव्य और सड़क की सफाई और ग्राटिंग शुल्क वहन करते हैं। खरीदारों को पता है कि फेडरेशन ने, एक स्व-बीमाकर्ता के रूप में, ६ ३ में वर्णित खरीद की वस्तु के लिए कोई बीमा नहीं लिया है।

६ ९ योजना-संबंधित उच्च मूल्य उपयोग वकिल्पों के कारण अनुपूरक भुगतान

I. खरीद का उद्देश्य अभी भी एक विशेष क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट है और शहरी भूमि-उपयोग योजना के अंतर्गत नहीं आता है।

द्वितीय. खरीद मूल्य ६ ४ बाउएनवीओ (जर्मन भूमि-उपयोग अध्यादेश) के अनुसार सामान्य आवासीय क्षेत्र के रूप में उपयोग पर आधारित है, साइट अधिभोग सूचकांक ०.४ और ६ १७ बाउएनवीओ के अनुसार १.२ का फर्श क्षेत्र अनुपात है।

तृतीय. खरीदार इस खरीद अनुबंध में सहमत खरीद मूल्य के लिए एक पूरक भुगतान करने का वचन देते हैं, यद्यनिगर पालकिया, योजना प्राधिकारी के रूप में अपनी कृषमता में, अनुबंध के समाप्ति के दस वर्षों के भीतर पैराग्राफ II में बताए गए प्रकार और माप के संदर्भ में उच्च-मूल्य के उपयोग का वकिल्प खोलती है और खरीदारों को दस साल की अवधि की समाप्ति से पहले अंतर्नहिति पैराग्राफ II के उपयोग से वचिलति होने वाले इस उच्च-मूल्य के उपयोग का एहसास होता है, उदाहरण के लिए, मूल्य-बढ़ाने वाले संरचनात्मक उपयोग (घनत्व) के माध्यम से या बक्की के माध्यम से।

भुगतान इस अनुबंध के ६ ६ के अनुसार खरीद मूल्य और फेडरेशन द्वारा भुगतान के अनुरोध के समय संपत्ति के मूल्य के बीच का अंतर है।

मूल्य अंतर को ज़ेइबुकन शहर के क्षेत्र के लिए संपत्ति मूल्यों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति और ओबरफनिनज़ाडायरेक्टरियन कोबलेनज़ के विशेषज्ञ द्वारा सौहारदपूरण ढंग से निर्धारित किया जाएगा और फेडरेशन द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

प फेडरेशन द्वारा भुगतान के अनुरोध के चार सप्ताह बाद भुगतान राशि दिये होती है

भुगतान में चूक की स्थितिमें, ₹ 6 पैरा में प्रावधान। इस अनुबंध का V लागू होगा।

§ 10 वारंटी, दायतिव

I. वस्त्रालाभफ 3 मैराग्राफ I में वर्णित खरीद उसी स्थितिमें बेची जाती है जिसमें यह नोटरीकरण के समय थी। यह स्थिति खरीदारों को ज्ञात है। दृश्यमान और अदृश्य भौतिक दोषों और शीरणक के दोषों या छपि हुए दोषों के साथ-साथ ₹ 459 एफएफ के आवेदन के लिए कोई वारंटी। खरीद की वस्तु के संबंध में बीजीबी को बाहर रखा गया है।

द्वितीय. फेडरेशन खरीद की वस्तु के वशिष्ट आकार, सीमा रेखा, गुणवत्ता, उपयुक्तता और स्थितिओर खरीदारों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के उद्देश्यों के लिए इसकी उपयुक्तता के लिए उत्तरदायी नहीं है।

तृतीय. इंजीनियरिंग कार्यालय एएसएएल, कैसरस्लॉटरन ने कसी भी मौजूदा दूषित क्षेत्र के लिए राइनलैंड-पैलेटनिट राज् य के प्रयावरण मंत्रालय की ओर से खरीद की वस्तु की जांच की है। यह पाया गया कि खितरे पहचानने योग्य नहीं हैं और इन सलाह जांच अपरहित है।

रूपांतरण दूषित साइट कार्य समूह (KoAG) के संबंधित प्रोटोकॉल खरीदारों को ज्ञात है।

चतुरथ. इस संबंध में, फेडरेशन संपत्ति की वशिष्ट गुणवत्ता, खरीदारों द्वारा इच्छित उपयोग की अनुमति, उपयोग और वकास की संभावना, साथ ही भवन भूमि की स्थितिके लिए कोई वारंटी नहीं लेता है। आवश्यक परमति खरीदारों को सीधे अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा।

V. फेडरेशन आशवासन देता है कि भूमिरिजिस्टर की धारा II और III में संपत्तिनिरिविद बाधाओं और प्रतबिधों के साथ-साथ बकाया सार्वजनिक शुल्क और लेवी से मुक्त है, जब तक किसी वलिख में अन्यथा निर्धारित न किया गया हो।

VI. फेडरेशन घोषणा करता है कि उसने कसी भी भवन भार का आदेश नहीं दिया है और उसे ऐसे अवरोधों के अस्तिव की जानकारी नहीं है।

§ 11 लकड़ी की छत का नवीनीकरण

I. खरीदार जानते हैं कि अपार्टमेंट के लकड़ी के फर्श पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) से दूषित हैं। फेडरेशन ने प्रयावरण प्रयोगशाला एआरजीयूके, ओबेररसेल द्वारा अपार्टमेंटों का यादृच्छिक परीक्षण किया है। दिनांक 21.04.1998 का परीक्षा परणाम खरीदारों के लिए उपलब्ध है। खरीदार यह भी जानते हैं कि अपार्टमेंट में कुछ अंतर्निर्मित अलमारियाँ भी दूषित हो सकती हैं।

द्वितीय. लकड़ी की छत के नवीनीकरण की लागत में फेडरेशन का हसिसा डीएम 5,817,440 है।-- और डीएम 5,182,560 के खरीद मूल्य की गणना में इसे पहले ही पूरी तरह से ध्यान में रखा जा चुका है।--।

फेडरेशन की लागत भागीदारी खरीदारों द्वारा बेचे गए सभी अपार्टमेंटों में सभी लकड़ी के फर्श के इच्छित पूरण प्रतिस्थापन पर आधारित है।

लकड़ी की छत के नवीनीकरण में कसी भी अतिरिक्त लागत की भागीदारी के साथ-साथ कसी भी अन्य मौजूदा प्रदूषकों के लिए फेडरेशन की कसी भी देनदारी और उनके संभावित उपचार में फेडरेशन की कसी भी लागत की भागीदारी को संपूर्ण रूप से बाहर रखा गया है।

खरीदार फेडरेशन की ओर अपार्टमेंट के लकड़ी के फर्श का नवीनीकरण करने का वचन देते हैं,



कौन

ए) साइट योजना (परशिष्ट 5) में नीले रंग में चहिनति क्षेत्र के भीतर स्थिति है, नोटरीकरण की आज की तारीख के बाद 2 साल की अवधि के भीतर, बी) साइट योजना (परशिष्ट 5) में लाल रंग में चहिनति क्षेत्र के भीतर स्थिति है, § 8 पैरा के अनुसार कब्जे के हस्तांतरण के बाद 2 साल की अवधि के भीतर। II, लकड़ी की छत के फरश को पूरी तरह से बदलकर। क्रेताओं के बीच आंतरकि संबंध में, क्रेता 2ए) उपरोक्त दायतिवों को मानता है।

तृतीय, नवीकरण को फेडरेशन के समक्ष सदिध कया जाना चाहिए। नवीकरण उपायों को पूरा करने के लिए नयिकृत वशीष्ट ज्ञज कंपनी से लखिति पुष्टदिवारा प्रमाण प्रदान कया जाता है। फेडरेशन नवीकरण उपायों के कार्यान्वयन का नरीकृष्ण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि संपूर्ण संपत्तयों उसके कुछ हसिसों के लिए सबूत उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो डीएम 242.--/वर्गमीटर गैर-नवीनीकृत लकड़ी की छत क्षेत्र की राशि फेडरेशन को चुकानी होगी।

साइट प्लान में लाल रंग से चहिनति संपत्ति के हसिसों के लिए (परशिष्ट 5)

पूरक भुगतान करने की बाध्यता उस स्थिति में भी मौजूद है जब और इस हद तक कफेडरेशन या डच सशस्त्र बलों ने कब्जे के हस्तांतरण से पहले एक लकड़ी की छत का नवीनीकरण कया हो।

अनुपूरक भुगतान फेडरेशन के अनुरोध के छह सप्ताह के भीतर कया जाना चाहिए।

भुगतान में चूक की स्थिति में, इस अनुबंध के § 6 पैराग्राफ V में प्रावधान लागू होगे।

§ 12 बाह्य वकास

I. अपशिष्ट जल नपिटान / सतही जल नपिटान

ए) संपत्ति सार्वजनिक अपशिष्ट जल प्रणाली और सार्वजनिक सतही जल नपिटान से जुड़ी है। अपशिष्ट जल को संलग्न साइट योजना (परशिष्ट 6) में लाल रंग में चहिनति आवास संपत्ति के संग्रह पाइपों के माध्यम से नीले रंग में चहिनति बैरक के संयुक्त अपशिष्ट जल संग्रह पाइप में और आगे सार्वजनिक मुख्य कलेक्टर में छोड़ा जाता है।

सतही जल को शुरू में साइट योजना (परशिष्ट 6) में पीले रंग में चहिनति वर्षा जल प्रतिधारण बेसनि में एकत्र कया जाता है और फरि अपशिष्ट जल की तरह, लाल रंग में चहिनति संग्रह पाइपों के माध्यम से भी छोड़ा जाता है।

वर्षा जल धारण बेसनियों की कृष्मता सीमति है। भारी वर्षा की स्थिति में, सतह का पानी जस्ते वर्षा जल धारण बेसनियों में एकत्र नहीं कया जा सकता है, उसे हरे रंग में चहिनति सतही पानी के लिए संग्रह पाइपों में एक अतिप्रवाह के माध्यम से छोड़ा जाता है और सीधे बॉटज़ेनबाक धारा में डाला जाता है।

संग्रह पाइप नमिनलखिति तृतीय-पक्ष संपत्तयों में चलते हैं और आंशकि रूप से अनुमति सिमझौतों के साथ-साथ फेडरेशन के पक्ष में सीमति व्यक्तिगत सुख-सुवधाओं द्वारा सुरक्षित है - नमिनानुसार:

- ज़ेइबुरकन शीट 7002 का भूमरिजस्टर, वर्तमान संख्या। 207, पारस्ल नं. 3135/1, मालकि: ज़ेइबुरकन शहर, स्थान/उपयोग का प्रकार: यातायात क्षेत्र

सुरक्षा का प्रकार: कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं, कोई अनुमति अनुबंध नहीं,

- ज़ेइबुरकन शीट 7005 का भूमरिजस्टर, वर्तमान संख्या। 142 और 197, पारस्ल नं. 2852/16 एवं



3134/4, मालकि: ज़ेइबुरुकन शहर,

स्थान/उपयोग का प्रकार: वन, यातायात, कृषकिषेत्र,

सुरक्षा है: सीवर प्रणाली संचालित करने का अधिकार, यह अभ्यास कसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरति किया जा सकता है। अनुमतिअनुबंध दिनिंक 29.11.1963 और 4.5.1985,

- ज़ेइबुरुकन शीट 6780 का भूमिरिजस्ट्र, वर्तमान संख्या। 1, पारस्ल नं. 2652/15, मालकि: पतिपत्नी डॉ. हेइडी लैम्बर्ट-लैग और डिरचि लैग; ज़ेइबुरुकन, स्थान/उपयोग का प्रकार: घास का मैदान,

सुरक्षा का प्रकार: कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं, कोई अनुमतिअनुबंध नहीं,

- ज़ेइबुरुकन शीट 4291 का भूमिरिजस्ट्र, वर्तमान संख्या। 1, पारस्ल नं. 2652/10, मालकि: श्री डिरचि लैग, ज़ेइबुरुकन, स्थान/उपयोग का प्रकार: बलिडगि प्लॉट और घास का मैदान,

सुरक्षा का प्रकार: कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं, कोई अनुमतिअनुबंध नहीं।

मौजूदा अनुमतिअनुबंध खरीदारों को ज्ञात है।

बी.) फेडरेशन परशिष्ट 6 में लाल और हरे रंग में चहिनति संग्रह पाइपों के साथ-साथ पीले रंग में चहिनति वर्षा जल प्रतिधारण बेसनि को नागरिक कानून साझेदारी के रूप में खरीदारों को हस्तांतरति करता है। इस प्रयोजन के लिए, यह उपरोक्त अनुमतिसिमझौतों से उत्पन्न होने वाले अपने सभी अधिकार निर्दिष्ट भागीदारी अनुपात में खरीदारों को सौंपता है। फेडरेशन इन अनुमतिअधिकारों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी नहीं है।

खरीदारों का लक्ष्य एक वकिास अनुबंध के ढांचे के भीतर संग्रह पाइप और वर्षा जल प्रतिधारण बेसनि को ज़ेइबुरुकन शहर (नपिटान कंपनियों) में स्थानांतरति करना है।

पारस्ल संख्या पर पाइपलाइन मार्ग के लिए। 2652/10 और 2652/15, मालकियों के साथ कोई अनुमतिसिमझौता नहीं है और कोई वास्तविक सुरक्षति पाइपलाइन अधिकार नहीं है। फेडरेशन इसे सीधे ज़ेइबुरुकन शहर के पक्ष में फरि से स्थापति करेगा।

अपशिष्ट जल-पक्ष के बाहरी वकिास को सुरक्षिति करने से संबंधित अन्य सभी लागतें, वशिष रूप से ज़ेइबुरुकन शहर में संग्रह पाइपों के हस्तांतरण के संबंध में लागत, साथ ही अन्य संपत्तियों के संबंध में इन पाइपलाइनों की वास्तविक सुरक्षा, खरीदारों द्वारा अपने आंतरकि संबंध में क्रेता 2 ए द्वारा वहन की जाएगी।

सी.) खरीदार फेडरेशन को, जब तक डच सशस्त्र बल अभी भी बस्ती में रहते हैं, साइट योजना (परशिष्ट 6) में लाल और हरे रंग में चहिनति अपशिष्ट जल पाइपलाइनों के साथ-साथ पीले रंग में चहिनति वर्षा जल प्रतिधारण बेसनियों के सह-उपयोग का मुफ्त अधिकार देते हैं।

वे पाइपलाइनों और वर्षा जल प्रतिधारण बेसनियों को कार्यात्मक स्थितियों बनाए रखने का कार्य करते हैं ताकि उचिति अपशिष्ट जल नपिटान की गारंटी हो।

डी.) पारस्ल नंबर के मालकि के पक्ष में, दक्षणि-पश्चमी संपत्तिसीमा पर आवास संपत्तियों को छोड़ने वाले संग्रह पाइप के सह-उपयोग के लिए एक अनुमतिसिमझौता है। 2651, श्री डॉ. जोसेफ रीस, डॉ. अल्बर्ट बेकर-स्ट्रेज 14, 66482 ज़ेइबुरुकन।, दिनिंक 16.12.1974, पूरक समझौते दिनिंक 28.09.1981, 1.10.1981 के साथ-साथ 16.8.1985/, 19.8.1985 और 9.2.1996/13.2.1996.



खरीदार ई फेडरेशन के स्थान पर उन्हें ज़ज़ात संविदात्मक संबंध में प्रवेश करें

द्वितीय. मीठे पानी की आपूरति

हाउसगि एस्टेट सार्वजनिक मीठे पानी की आपूरति से जुड़ा है। सार्वजनिक मुख्य पाइपलाइन का स्थानांतरण बढ़ि भवन संख्या में जल पंपगि स्टेशन पर स्थिति है। 4241.

हाउसगि एस्टेट की आपूरति करने वाली मीठे पानी की पाइपलाइन स्टूडेटनवेरेक कैसरस्लॉटरन की पड़ोसी संपत्ति से होकर गुजरती है।

खरीदारों द्वारा इस पाइपलाइन अनुभाग के सह-उपयोग के संबंध में, इस अनुबंध के § 13 पैराग्राफ VIII का संदर्भ दिया गया है।

तृतीय. बजिली की आपूरति

संपूर्ण करुज़बरग क्षेत्र एक इकाई बनाता है और इसे 20-केवी रगि मेन और ट्रांसफार्मर स्टेशन नंबर द्वारा वकिसति करा गया है। 4210 और 4238. ट्रांसफार्मर स्टेशन पहले ही फेडरेशन द्वारा ज़ेइबुरुकन शहर को बेच दाइ गए हैं।

ज़ेइबुरुकन शहर के लाए मुख्य 20-केवी रगि के हस्तांतरण के साथ-साथ ज़ेइबुरुकन शहर के पक्ष में इस पाइपलाइन की वास्तवकि सुरक्षा का लक्ष्य है।

इस पृष्ठभूमि, 20-केवी रगि मेन संपत्ति के साथ नहीं बेचा जाता है। खरीदार ज़ेइबुरुकन शहर के लाए 20-केवी रगि मेन के हस्तांतरण में "आवश्यक सीमा" तक सहयोग करने का वचन देते हैं। वशिष रूप से, वे ज़ेइबुरुकन शहर (नगरपालिका उपयोगिताओं) के पक्ष में उचति और पारंपरकि तरीके से फेडरेशन के अनुरोध पर पाइपलाइन मार्ग के लाए वास्तवकि सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं।

जब तक वास्तवकि सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, खरीदार फेडरेशन और ज़ेइबुरुकन शहर (नगर नगिम उपयोगिताओं) को ट्रांसफार्मर स्टेशनों और 20-केवी रगि मेन के संचालन और रखरखाव के लाए पहुंच के आवश्यक अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा, खरीदार ज़ेइबुरुकन नगरपालिका उपयोगिताओं के समन्वय में, आवास संपत्ति के भीतर इमारतों को आवश्यक सीमा तक मीटरगि उपकरणों से लैस करने का कार्य करते हैं।

§ 13 आंतरकि वकिस

I. खरीदार हैं यह जानते हुए कसिंपूर्ण आवास संपत्ति विस्तमान में नजीि तौर पर आंतरकि रूप से वकिसति की गई है।

इसका मतलब यह है कअिपशष्टि जल, मीठे पानी और लो-वोल्टेज पाइपलाइनों के साथ-साथ ग्रमी और ग्रम पानी की आपूरति की सुवधिएं और स्ट्रीट लाइटिंग सहति सड़कों फेडरेशन के स्वामतिव में हैं और सार्वजनिक नहीं हैं। खरीदारों को पा इपलाइनों के मार्ग के संबंध में योजनाएं प्रदान की गई हैं। पाइपलाइनों के वास्तवकि मार्ग के साथ योजनाओं की अनुरूपता के लाए फेडरेशन कोई दायतिव नहीं लेता है।

द्वितीय. सड़क की सतह स्ट्रीट लाइटिंग सहति सड़क की सतह की स्थिति खरीदारों को पता है।

स्टूडेटनवेरेक कैसरस्लॉटरन को फेडरेशन द्वारा छात्र छात्रावास तक पहुंच के रूप में नमिनलखिति सड़कों का सह-उपयोग करने की अनुमतिदी गई थी:

- टेक्सासस्ट्रेश अमेरिकास्ट्रेश से वर्जनियास्ट्रेश के साथ जंक्शन तक, - वर्जनियास्ट्रेश खरीदी गई संपत्ति की दक्षणी सीमा तक। खरीदार इस सह-उपयोग को सहन करने का वचन देते हैं।



तृतीय अपशिष्ट जल निपटान 1997 में कए गए एक कैमरा नरीकृष्णन के परिणामों के अनुसार, संपत्ति के अंदर अपशिष्ट जल पाइपलाइनों का रायात्मक स्थिति में है। यह स्थिति खरीदारों को ज्ञात है।

स्टूडेनवेरक कैसरस्लॉटरन को फेडरेशन द्वारा संघीय स्वामतिव वाली अपशिष्ट जल पाइपलाइन से वयोग के समय तक अपशिष्ट जल पाइपलाइन का सह-उपयोग करने की अनुमतिदी गई थी, लेकिन केवल उस हद तक जब अपशिष्ट जल के मार्ग को सक्षम भवन पर्यवेक्षी प्राधिकरण या जल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

खरीदार इस सह-उपयोग को तब तक सहन करने का वचन देते हैं जब तक कविचिछेदन नहीं हो जाता है या अपशिष्ट जल पाइपलाइनों को निपटान कंपनियों को हस्तांतरति नहीं कर दिया जाता है।

चतुर्थ. सतही जल निकासी खरीदार जानते हैं कि सितही जल निकासी प्रणाली अब वर्तमान जल कानून के मानकों को पूरा नहीं करती है।

V. मीठे पानी की आपूर्ति खरीदारों को पता है कि हिरे क्षेत्रों में आंशकि रूप से चलने वाली आवासीय इमारतों को आपूर्ति करने वाली मीठे पानी की पाइपलाइन खराब स्थिति में है और उन्हें नवीनीकृत करने की आवश्यकता है।

VI. बजिली आपूर्ति खरीदार जानते हैं कि आवासीय भवनों को आपूर्ति करने वाली लो-वोल्टेज पाइपलाइन आंशकि रूप से हरे क्षेत्रों में और कुछ आवासीय भवनों के बेसमेंट के माध्यम से चलती है।

सातवीं. गरमी और गरम पानी की आपूर्ति हाउसगि एस्टेट के लिए गरमी और गरम पानी की आपूर्ति वर्तमान में बलिडगि नंबर में कोयला आधारित हीटिंग प्लांट द्वारा सुनिश्चित की जाती है। 4233.

खरीदार जानते हैं कि हीटिंग प्लांट, TÜV Pfalz e.V. द्वारा अंतमि उत्सर्जन सुरक्षा माप के अनुसार, TA Luft (वायु गुणवत्ता नियंत्रण पर तकनीकी नियंत्रण) के उत्सर्जन मूल्यों को पूरा नहीं करता है।

वशीष रूप से, खरीदार Gewerbeaufsichtsamt Neustadt a.d. के प्रासंगिक नोटसि से अवगत हैं। वेनस् ट्रेश दिनांक 27.10.1997 - संदर्भ। 5/32, 2/97/244/एमजी/जेजी -।

खरीदार हीटिंग प्लांट का संचालन जारी रखने, गैस/तेल संचालन में परविरत्ति करके दिनांक 27.10.97 के नोटसि की ज्ञात शर्तों का पालन करने और डच सशस्त्र बलों द्वारा उनकी वापसी तक उचिति, प्रथागत स्थानीय परस्थितियों में डच सशस्त्र बलों को दिए गए अपारटमेंट में उचिति आपूर्ति सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।

खरीदारों के बीच आंतरकि संबंध में, खरीदार 2बी) इस दायतिव को मानता है। बदले में, क्रेता 2ए) बलिडगि नंबर में हीटिंग प्लांट की आरथकि व्यवहार्यता बनाए रखने का वचन देता है। 4233, हीटिंग प्लांट (बलिडगि 4233) के माध्यम से सभी सह-खरीदी गई आवासीय इमारतों की गरमी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और, पुनर्विक्रय की स्थिति में, हीटिंग प्लांट (बलिडगि 4233) से गरमी की वशीष खरीद के लिए इस दायतिव को अधिग्रहणकर्ता को सौंपने और बाद के कानूनी उत्तराधिकारियों को तदनुसार बाध्य करने के लिए।

आठवीं. पड़ोसी संपत्ति पर पारस्ल नं. 2885/12, भवन और खुली जगह, वर्जनियास्ट्रेश 14, 16 और 18, पाइपला इन अधिकारों (बजिली, पानी, हीटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग) को सुरक्षित करने के लिए जर्मनी के संघीय गणराज्य (संघीय वर्त्त प्रशासन) के पक्ष में एक सीमित व्यक्तिगत सुखभोग पंजीकृत है।

फेडरेशन, खरीदारों के अनुरोध पर, इन अधिकारों की पुनः स्थापना की मांग करेगा



क्रेताओं के पक्ष में सटूडेटनवर्क से।

इसके अलावा, यह वकिस सुवधिओं के संबंध में सटूडेटनवर्क के साथ खरीद अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार खरीदारों को सौंपता है। प्रासंगिक संविधान खरीदारों को ज्ञात हैं।

नौवीं दूरसंचार केबल

खरीदारों को पता है कि छित्र छात्रावास की आपूर्ति के लिए एक दूरसंचार केबल आवासीय भवन वर्जनियास्ट्रोरेश 8-12 के पीछे, पश्चिमी संपत्ति सीमा पर बिल्डिंग गई है। खरीदार दूरसंचार केबल के निरित अस्तित्व को सहन करते हैं, जिसका मार्ग साइट प्लान (परिषिष्ट 7) में लाल रंग में चिह्नित है।

§ 14 क्रेताओं के दायतिव I

. The क्रेताओं को दी गई संपत्ति के हसिसों का उचित वकिस सुनिश्चित करना। क्रेताओं के बीच आंतरकि संबंध में, क्रेता 2ए) संबंधित लागतों को मानता है। प्रावधान अधिकारित: एक वकिस अनुबंध के ढांचे के भीतर वकिस सुवधियों, सड़कों और मुख्य पाइपलाइन नेटवर्क को ज़ेइबूरुकन शहर में स्थानांतरित करके किया जाता है। ऐसा करने में, खरीदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक यातायात के लिए सड़क क्षेत्रों के समर्पण के बाद डच सशस्त्र बलों को प्रयोग पारकर्ति स्थान निश्चिलक उपलब्ध कराए जाएं।

द्वितीय. सड़क क्षेत्रों के सार्वजनिक समर्पण तक, क्रेता 2ए) फेडरेशन के साथ-साथ डच सशस्त्र बलों और उनके आगंतुकों को आवास संपत्ति के भीतर सड़क क्षेत्रों के सह-उपयोग का अधिकार देता है, और डच सशस्त्र बलों को पछिली सीमा तक निश्चिलक पारकर्ति स्थान प्रदान करता है।

वास्तविक सुरक्षा माफ कर दी गई है।

क्रेता 2ए) डच सशस्त्र बलों को दी गई संपत्ति के कुछ हसिसों के भीतर सड़क क्षेत्रों को यातायात-शांत क्षेत्रों के रूप में डिजाइन करने का कार्य करता है।

तृतीय. जहां तक सार्वजनिक नेटवर्क में वकिस प्रणालयों का एकीकरण संभव नहीं हो पाता है, खरीदार डच सशस्त्र बलों के लिए उचित आपूर्ति और निपिटान सुनिश्चित करने और, यदि आवश्यक हो, वशिष्य रूप से नई मीठे पानी की पाइपलाइन बिल्डिंग का कार्य करते हैं। क्रेताओं के बीच आंतरकि संबंध में, क्रेता 2ए) संबंधित लागतों को मानता है।

चतुर्थ. खरीदार संघीय संपत्ति कार्यालय लैडौ के साथ-साथ डच सशस्त्र बलों के संपत्ति विभाग "डीजीडब्ल्यू एंड टी, डायरेक्टी डुइट्सलैड, कस्तानियनवेग 3, 27404 ज़ेवेन" को ऐसे निर्माण उपायों के बारे में सूचित करने का वचन देते हैं जो करिये के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं या इसके आवासीय मूल्य को ख़राब कर सकते हैं, साथ ही इन निर्माण उपायों के लिए समय सारणी, इतने अच्छे समय में किये निर्माण उपायों पर उचित रूप से प्रतिक्रिया कर सकें।

V. संपत्ति के कुछ हसिसों को कसी तीसरे पक्ष को पुनर्विक्रय करने की स्थिति में, इस तीसरे पक्ष को भी उसी तरह बाध्य होना होगा।

खरीदार, फेडरेशन के अनुरोध पर आपूर्ति और निपिटान सुवधियों की वास्तविक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए, डच सशस्त्र बलों को दिए गए क्षेत्र के उचित वकिस के लिए कार्य करते हैं।

§ 15 संयुक्त और अनेक दायतिव

इस अनुबंध में फेडरेशन के प्रतिदिन सभी दायतिवों के लिए, खरीदार 2 ए) और 2 बी) संयुक्त और कई देनदारों के रूप में उत्तर दायी है।



§ 16 वाहन

अनुबंध करने वाले पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि परविहन को दो या अधकि पूरक कार्यों में घोषति किया जाएगा।

|

साइट योजना (परशिष्ट 5) में नीले रंग में चहिनति उप-क्षेत्र के संबंध में संप्रेषण केवल तभी घोषति किया जाएगा जब सर्वे क्षण किया गया हो और परविरतन प्रमाण पत्र की प्रस्तुतिके साथ-साथ 7 पैरा के अनुसार बैंक गारंटी के माध्यम से परविरतन उपलब्ध हो। द्वितीय को फेडरेशन को सौंप दिया गया है।

साइट योजना (परशिष्ट 5) में लाल रंग में चहिनति उप-क्षेत्र के बारे में संदेश केवल तभी घोषति किया जाएगा जब सर्वे क्षण किया जा चुके हों, परविरतन प्रमाण पत्र की प्रस्तुतिके माध्यम से उपलब्ध हों, डच सशस्तर बलों ने फेडरेशन को बताए जाने वाले क्षेत्र को वापस कर दिया हो या स्वामतिव के हस्तांतरण के लिए सहमति दी हो, और § 6 पैरा III के अनुसार खरीद मूल्य शेयर का भुगतान किया गया हो।

§ 17 प्राथमिकता सूचनाएँ

सर्वानुभावीकान्तरालालित्यांक्षेत्र में वरणति संपत्ति के विद्युत खरीदार 2ए) और 2बी) के पक्ष में प्रत्येक के लिए परविहन की एक प्राथमिकता नोटसि का पंजीकरण। मुझे भूमिरिजस्टर में स्वीकृत एवं आवेदन किया गया है।

पार्टीयां इन प्राथमिकता नोटसियों को रद्द करने के लिए मंजूरी देती हैं और आवेदन करती हैं। क) स्वामतिव में परविरतन के पंजीकरण के साथ संविदात्मक संपत्ति पर, यदकिंकर मध्यवर्ती प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं, जब तक कि अधिग्रहणकरता ने सहमति नहीं दी है, ख) उप-क्षेत्र पर § 3 पैरा के अनुसार नहीं बेचा गया है। भूमिरिजस्टर में परविरतन प्रमाण पत्र के नष्टिपादन के साथ § 1 के तहत उल्लिखिति संपत्ति से II। यह साबति करने के लिए किंकौन सी संपत्ति बैची नहीं गई, कार्यवाहक नोटरी की मुहर के साथ प्रदान की गई पुष्टिप्रयाप्त है।

§ 18 भूमिकर, संपत्तिकर, वकिास, फ्रंटेजर और सुधार योगदान बलिडगि कोड, नगरपालिका शुल्क अधनियम के साथ-साथ नोटरीकरण की तारीख तक फेडरेशन से अनुरोधति स्थानीय कानून के अनुसार सभी वकिास, फ्रंटेजर और सुधार योगदान का भुगतान किया गया है और खरीद मूल्य में शामलि हैं। नोटरीकरण की तारीख से अनुरोध किया गया योगदान खरीदारों द्वारा वहन किया जाएगा, भले ही उनकी शुरुआत का समय और नोटसि का पता कुछ भी हो।

§ 19 रयिल एस्टेट ट्रांसफर टैक्स

I. इस खरीद अनुबंध से जुड़ी लागत और शुल्क और नोटरी, अदालत और अधकारियों के साथ-साथ रयिल एस्टेट हस्तांतरण कर पर इसका नष्टिपादन करेता 2ए द्वारा वहन किया जाएगा।

द्वितीय. अनुबंध करने वाली पार्टी द्वारा अनुमोदन या पुष्टिकी लागत उस पार्टी द्वारा वहन की जाएगी।

§ 20 नोटरी की नष्टिपादन गतविधियाँ

I. नोटरी को अनुबंध की वैधता या उसके नष्टिपादन के लिए आवश्यक परमति या नकारात्मक प्रमाणपत्रों का अनुरोध करने ने और प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। ये इस वलिख के कार्यवाहक नोटरी या संरक्षक द्वारा प्राप्त होने पर सभी पक्षों के लिए प्रभावी होंगे। नोटरी तुरंत पार्टीयों को सूचति करेगा।

द्वितीय. भूमिरिजस्टर में सभी प्रविष्टियाँ केवल कार्यवाहक नोटरी के आवेदन के अनुसार ही की जाएंगी। वह § 181 बीजीबी के प्रतिविध से छूट के साथ, पार्टीयों के लिए अलग से और प्रतिविधि रूप से आवेदन करने के साथ-साथ उन्हें उसी तरह से वापस लेने और इस वलिख को पूरक या संशोधित करने के लिए भी अधिकृत है, जब तक कि भूमिरिजस्टर और खरीद के आवश्यक घटकों में वांछति प्रविष्टिलाने के लिए यह आवश्यक हो जाए।



अनुबंध प्रभावति नहीं होगे।

तृतीय. अनुबंध करने वाले पक्ष आवेदन के अपने अधिकार का त्याग करते हैं।

IV: नोटरी उन शर्तों और आवश्यकताओं और नोटसिंहों के अधीन आधिकारकि परमाटि प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है जनि के द्वारा आधिकारकि परमाटि से इनकार कर दिया जाता है या पहले इनकार के अधिकार का प्रयोग किया जाता है। ये नोटसि पार्टियों को स्वयं दाइ जाने हैं; एक प्रतिनोटरी को भेजने का अनुरोध किया जाता है।

§ 21 पृथक्करणीयता खंड

इस अनुबंध का कोई प्रावधान अमान्य हो या अमान्य हो, इस अनुबंध के शेष प्रावधान अप्रभावति रहेंगे।

कसी अमान्य या अमान्य प्रावधान के स्थान पर, कानूनी रूप से विद्यमान प्रावधान या, यद्कोई वैधानिकि प्रावधान अपेक्षिति नहीं है, तो इस अनुबंध के अर्थ के अनुरूप प्रावधान लागू होगा।

§ 22 नोटरीकरण की पूर्णता

कोई और समझौता नहीं किया गया है।

§ 23 लखिति प्रपत्र

इस अनुबंध के बाद के समझौतों को प्रभावी होने के लिए लखिति रूप की आवश्यकता होती है, जब तक कनिनोटरीकरण अनविरय न हो।

§ 24 नोटरी के निर्देश

पार्टियों को निर्देश दिया गया है कि:

I. यह अनुबंध, जहां तक भूमिहस्तांतरण अधिनियम या बिलिंगि कोड लागू होता है, केवल संबंधित परमाटि जारी होने पर प्रभावी होता है और इसके अलावा, फेडरेशन द्वारा केवल तभी पूरा किया जा सकता है यद्किलिंगि कोड के तहत कोई आवश्यक परमाटि उपलब्ध है और पहले इनकार के वैधानिकि अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है;

द्वितीय. सभी कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणाएँ, जनि पर इस अनुबंध का निष्क्रिय और अस्ततिव निर्भर है, को § 313 एचजीबी के अनुसार सह-नोटरीकृत किया जाना चाहिए, अन्यथा यह अनुबंध शून्य है;

तृतीय. भूमिरिजस्टर में पंजीकरण के बाद ही स्वामतिव क्रेताओं के पास चला जाता है और इस प्रयोजन के लिए करनिकासी प्रमाणपत्र और आधिकारकि परमाटि या नकारात्मक प्रमाणपत्र उपलब्ध होने चाहिए;

चतुर्थ. फेडरेशन और खरीदार संपत्ति और रयिल एस्टेट हस्तांतरण कर के साथ-साथ नोटरी और अदालती लागत से संबंधिति करों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं, लेकनि फेडरेशन केवल तभी तक जब तक इसे कानून द्वारा लागत छूट या कटौती की अनुमतिनिहीं दी जाती है;

V. नोटरी ने भूमिरिजस्टर का निरीक्षण किया है, लेकनि भूमिकडेस्टर और भवन भार रजस्टर का नहीं, और भूमिरिजस्टर पदनाम उपयोग के अनुमेय प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है।

VI. नोटरी ने कोई कर या आर्थिकि सलाह नहीं दी है।

§ 25 परशिष्टि

जहाँ तक संदर्भ है इस वलिख में परशिष्टियों को शामलि किया गया है, ये इस अनुबंध के घटक हैं

सी.
टी.

§ 26 अधिकार क्षेत्र का स्थान

इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी विवादों के लिए न्यायक्षेत्र का स्थान लैडौ इन डेर पफलज़ है।

§ 27 प्रतियाँ

I. इस अनुबंध से प्राप्त करें:

फेडरेशन 1 मूल और 3 प्रमाणित प्रतियाँ, खरीदार 1 मूल और प्रमाणित प्रति, ज़ेइबुकन भूमिरिजस्ट्री कार्यालय 1 मूल, ज़ेइबुकन टैक्स कार्यालय रयिल एस्टेट ट्रांसफर टैक्स कार्यालय 2 प्रतियाँ और वशीषज्ज्ञ समति प्रति


द्वितीय. भूमिरिजस्ट्र अधिकारियों का अनुरोध फेडरेशन द्वारा तीन प्रतियों में, खरीदारों द्वारा एकल प्रति में किया जाता है।

अंत में, प्रकट घोषित किया गया:

कार्यवाहक नोटरी द्वारा अंतिम पूछताछ करने पर, सभी पक्ष स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि उपरोक्त अनुबंध पाठ में कोई और बदलाव नहीं करना चाहते हैं, जिस पर पार्टियों द्वारा लंबी प्रारंभिक बातचीत में वसितार से बातचीत की गई थी और उनके कानूनी और कर सलाहकारों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वे उपरोक्त प्रारूप में नोटरीकरण पर जोर देते हैं।

इस प्रोटोकॉल को नोटरी द्वारा जोर से पढ़ा गया, उनके द्वारा अनुमोदित किया गया और नीचे अपने हाथ से इस प्रकार हस्ताक्षर किए गए:



परिषिष्ट ए: पावर ऑफ अटॉर्नी

30.08.1971 (बीजीबीएल. आई.एस. 1426) के वित्तीय समायोजन अधनियम के संस्करण में वित्तीय प्रशासन (एफवीजी) पर कानून के 16 के आधार पर, मैं अधिकृत करता हूं। श्री सगिफ्राइड हलिर

ज़ेइबुकन जलि में ज़ेइबुकन शीट 5958 के भूमिरिजस्ट्र में पंजीकृत संपत्ति की बक्सी के लिए संघीय संपत्ति कार्यालय लैडौ में, पार्सल 2885/15, भवन और खुली जगह, डेलावेरस्ट्रेश, लैडस्टुहलरस्ट्रेश 97, 107 लुइसियानास्ट्रेश 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, पेसलिवेनियास्ट्रेश 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, टेक्ससस्ट्रेश, वर्जनियास्ट्रेश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, कुल आकार 103,699 मी² के साथ। अनुबंध की वस्तु का मूल्य: 5,182,560-- डीएम (शब्दों में: पांच लाख एक सौ बयासी हजार पांच सौ साठ जर्मन मार्क्स) लैडौ, 05.10.1998 संघीय संपत्ति कार्यालय लैडौ हस्ताक्षर: श्री प्लाउथ रोअर

- अंश: खरीद अनुबंध संघीय गणराज्य जरमनी और राइनलैंड-पैलेटनिट राज्य (सट्रीटेनवर के कैसरस्लॉटरन) दिनिंक 15.08.1996।

६ ६ आपूरति और नपिटान पाइपलाइन/सुवधाएं, सड़क क्षेत्र, अनुमति और सह-उपयोग अधिकार

I. पूरे करुज़बरग हाउसगि एस्टेट की गरमी, पानी और बजिली के साथ-साथ अपशिष्ट जल नपिटान की आपूरति एक संघीय स्वामतिव वाली पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से होती है, जो एक इकाई बनाती है।

इसके अलावा, स्ट्रीट लाइटगि सहति करुज़बरग हाउसगि एस्टेट की सड़कों फेडरेशन के स्वामतिव में हैं। (... .)

द्वितीय. खरीदी गई संपत्तमें २ पैरा में वर्णित है। मैं, पानी, बजिली, जलि हीटिगि और स्ट्रीट लाइटगि के लिए आपूरति पाइपलाइने हैं, जो अभी भी संघ के स्वामतिव वाली करुज़बरग हाउसगि एस्टेट की आपूरति के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, खरीदी गई संपत्तपिर एक जल पंपगि स्टेशन (4241) है, जसिकी अभी भी करुज़बरग हाउसगि एस्टेट की आपूरति के लिए आवश्यकता है।

इस वलिख के परशिष्ट २ ए (जल पाइपलाइन/पंपगि स्टेशन), २ बी (बजिली), २ सी (स्ट्रीट लाइटगि) और २ डी (जलि हीटिगि) के रूप में संलग्न साइट योजनाओं में पाइपलाइनों के मारग के साथ-साथ जल पंपगि स्टेशन के स्थान को लाल रंग में चहिनति किया गया है, जसिए अनुबंध दलों को नरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया था और उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था। साइट योजनाएँ इस अनुबंध का हस्सा हैं। (... .)

सातवीं. करेता संघीय स्वामतिव वाली जलि हीटिगि सुवधाओं, पानी और बजिली पाइपलाइनों, स्ट्रीट लाइटगि के साथ-साथ खरीदी गई संपत्तपिर स्थिति पानी पंपगि स्टेशन के नरितर संचालन की अनुमतिदेने का वचन देता है, जब तक कि यह करुज़बरग हाउसगि एस्टेट की आपूरता-व्यक्तिगत इमारतों की भी - के लिए आवश्यक है।

अनुमतिके इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, करेता नमिनलखिति सामग्री के साथ जरमनी के संघीय गणराज्य (संघीय वित्त प्रशासन) के पक्ष में एक सीमति व्यक्तिगत सुख सुवधा का आदेश देता है: "अधिकार, तीसरे पक्ष को हस्तांतरणीय, संचालित करने के साथ-साथ भूमिगत पानी और बजिली पाइपलाइनों (पाइपलाइन अधिकार) को बनाए रखने और नवीनीकृत करने के लिए, स्ट्रीट लाइटगि फकिस्चर को संचालित करने और एक भूमिगत हीटिगि पाइपलाइन के साथ-साथ जरमनी के संघीय गणराज्य के पक्ष में भवन संख्या 4200 के माध्यम से जाने वाली पाइपलाइन को संचालित करने के लिए, करेता के साथ पूर्व परामर्श के बाद - सविय इसके किआपात स्थिति- अपने एजेंटों के माध्यम से संपत्तमें प्रवेश करें और इस अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक संपत्तपिर सभी कार्रवाई करें।

इस अधिकार में भारग्रस्त संपत्तिके संबंधित मालकि का उन सभी कारयों से परहेज करने का दायतिव शामलि है जो इस के अभ्यास को ख़राब कर सकते हैं।"

फेडरेशन आवेदन
करता है और करेता
अनुमोदन करता है

इस सीमति व्यक्तिगत सुख सुवधा का भूमिरिजस्टर में पंजीकरण।

पंजीकरण केवल परविर्तन प्रमाण पत्र और नए संपत्तपिदनाम प्राप्त होने के बाद ही होगा। अधिकारों का पंजीकरण नशिल्क है।

आठवीं. करेता, फेडरेशन के अनुरोध पर, पैरा में वर्णित उपरोक्त अधिकारों को फरि से स्थापति करने का वचन देता है। VII फेडरेशन द्वारा नशिल्क नामति तीसरे पक्ष के पक्ष में भी है और उन्हें रेम में सुरक्षित करने के लिए भी।